ध्येयIAS®
most trusted since 2003

PERFECT 7

साप्ताहिक समसामयिकी

अक्टूबर 2018 अंक 04

विषय सूची

अक्टूबर 2018
अंक-4

सात महत्वपूर्ण मुद्दे 01-17

- नारी सशक्तिकरण बनाम फ्यूचर ऑफ वर्क इन इंडिया
- ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2018 और भारत
- राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के 25 वर्ष
- भारत-रूस संबंध का नया दौर
- नोबेल पुरस्कार 2018: एक अवलोकन
- बिजली संशोधन अधिनियम 2018: एक समीक्षा
- बढ़ते हुए वैश्विक तापन की बढ़ती चेतावनी

सात विषयनिष्ठ प्रश्न और उनके मॉडल उत्तर 18-22

सात महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरें 23-29

सात ब्रेन बूस्टर्स तथा उन पर आधारित वस्तुनिष्ठ प्रश्न 30-38

सात महत्वपूर्ण तथ्य 39

सात महत्वपूर्ण सम्मेलन 40-41

सात महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्न (मुख्य परीक्षा हेतु) 42

सात महत्वपूर्ण मुद्दे

1. नारी सशक्तिकरण बनाम फ्यूचर ऑफ वर्क इन इंडिया

चर्चा का कारण

हाल ही में विश्व आर्थिक मंच ने ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन (ORF) के सहयोग से 'फ्यूचर ऑफ वर्क इन इंडिया' रिपोर्ट पेश की है। इस रिपोर्ट के मुताबिक, भारत में काम की अनिश्चितता है लेकिन भारत में भरपूर अवसर हैं। यह रिपोर्ट भारत में रोजगार सृजन, रोजगार के रुझानों और संबंधों तथा काम की प्रकृति को लेकर अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी के प्रभाव पर प्रकाश डालती है। इसके अलावा, इस रिपोर्ट में पाया गया कि भारत में कंपनियाँ भविष्य को लेकर आशावादी हैं और नई प्रौद्योगिकियों तथा डिजिटलीकरण द्वारा प्रस्तुत की गई उन संभावनाओं के लिये खुली हैं जो नवाचार को प्रोत्साहित करने और नई तकनीक को अपनाने तथा विकास एवं प्रगति में तेजी लाने वाली हों। दूसरी ओर रिपोर्ट में यह भी पाया गया है कि भारत में उच्चतम संवृद्धि वाली कंपनियाँ पुरुषों को भर्ती करना पसंद करती हैं। इस प्रकार प्रौद्योगिकी पर आधारित रोजगार की यह वृद्धि महिलाओं से अधिक पुरुषों को लाभ देती है जो लैंगिक समानता तथा महिला सशक्तीकरण की दिशा में चिंतनीय है।

क्या है रिपोर्ट?

- फ्यूचर ऑफ वर्क इन इंडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि एक तिहाई कंपनियों में कोई भी महिला कर्मचारी नहीं है।
- भारत में रोजगार सृजन काफी तीव्र गति से हो रहा है लेकिन देश की केवल 26 प्रतिशत महिलाएँ ही कार्यक्षेत्र में प्रवेश कर रही हैं। यह वैश्विक स्तर से काफी नीचे है।
- रिपोर्ट के अनुसार प्रत्येक तीन में से एक कंपनी महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों को काम पर रखने में प्राथमिकता देती है, जबकि दस में से एक कंपनी ही महिलाओं को काम पर रखने के लिए प्राथमिकता देती है।
- रिटेल सेक्टर में 45 प्रतिशत कंपनियों में कोई महिला कर्मचारी नहीं हैं, जबकि परिवहन और लॉजिस्टिक के क्षेत्र में 36 प्रतिशत कंपनियों में कोई भी महिला कर्मचारी कार्यरत नहीं हैं।
- महिलाओं की सबसे खराब स्थिति रिटेल सेक्टर में है।
- रिपोर्ट के अनुसार फ्रीलान्स क्षेत्र में भी 75 प्रतिशत पुरुष ही कार्यरत हैं।
- रिपोर्ट में पाया गया है कि फ्रीलान्स क्षेत्र में पुरुषों को महिलाओं की अपेक्षा 30 प्रतिशत अधिक फीस दी जाती है। इस सर्वेक्षण में यह भी पाया गया कि केवल एक चौथाई कंपनियाँ ही महिला कर्मचारियों को मातृत्व अवकाश की सुविधा प्रदान करती हैं।

रिपोर्ट का आधार: ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन द्वारा इस रिपोर्ट के लिए 700 सूक्ष्म आकार की कंपनियों का सर्वेक्षण किया गया। इन कंपनियों में 25,000 से अधिक कर्मचारी कार्य करते हैं। इस रिपोर्ट के लिए वस्त्र उद्योग, लॉजिस्टिक्स, परिवहन तथा बैंकिंग व वित्तीय सेवा क्षेत्र व रिटेल कंपनियों का सर्वेक्षण किया गया। इस रिपोर्ट में टेक्नोलॉजी का कार्यबल पर प्रभाव का अध्ययन किया गया, जिसमें पाया गया कि मशीनें मानव कार्यबल का स्थान ले रही हैं। इससे जॉबलेस ग्रोथ के आसार बढ़ते जा रहे हैं।

कंपनियों का रुझान क्या है?: भारत में कंपनियाँ रोजगार सृजन की उम्मीद कर रही हैं, इस व्यापक चिंता के विपरीत कि मशीनें और तकनीक मानव श्रमिकों को विस्थापित कर रही हैं। कंपनियाँ पिछले पाँच सालों से लगातार अतिरिक्त श्रमिकों को भर्ती कर रही हैं और वे उम्मीद करती हैं कि यह प्रवृत्ति जारी रहेगी। यदि सावधानी पूर्वक प्रबंधन किया जाए तो भारत में ये तकनीकी बाधाएँ वास्तव में काम करने योग्य आबादी के लिये पर्याप्त लाभकारी रोजगार के अवसरों का निर्माण कर सकती हैं।

कंपनियों ने सूचित किया कि आईओटी (Internet of Things) के कई पहलू उनकी कंपनियों में मौजूद हैं या वे अगले पाँच वर्षों में इसके पहलुओं को पेश करने की योजना बना रही हैं। इसी प्रकार, बिग डेटा के उपयोग की प्रवृत्ति बढ़ी है। इन नवीन प्रौद्योगिकियों एवं प्रवृत्तियों के कारण कंपनियाँ रोजगार तो दे रही हैं, लेकिन महिलाओं को नहीं जबकि भारतीय श्रम बाजार में महिलाओं का समावेशीकरण सामाजिक तथा आर्थिक दोनों तरह से अनिवार्य है। IMF के अनुमान के मुताबिक यदि भारत के कर्मचारियों में पुरुषों व महिलाओं की बराबर साझेदारी होती तो भारत की अमीरी 27% तक बढ़ जाती।

रिपोर्ट के अनुसार महिलाओं की स्थिति

पितृसत्तात्मक सोच वाले देश में महिलाएं बहुत तेजी से मुखर हो रही हैं लेकिन इसका खामियाजा भी उन्हें ही भुगतना पड़ रहा है। कंपनियाँ विवादों से बचने के लिए महिलाओं से किनारा कर रही हैं। आंकड़े बताते हैं कि भारतीय नौकरी के बाजार में करीब एक करोड़ लोग हर साल आ रहे हैं जिसमें 50 फीसदी भागीदारी महिलाओं की है लेकिन आज भी महिलाएं हाशिये पर हैं चाहे मामला वेतनमान का हो या फिर उन्हें ऊंचा पद दिए जाने का। महिलाओं की भागीदारी को लेकर बातें जरूर कई वर्षों से उठती आ रही हैं लेकिन आज भी हमारे देश में महज एक फीसदी महिलाएं ही शीर्ष पदों पर पहुंच रही हैं। डब्ल्यूईएफ ने कामकाज के दौरान जेंडर गैप का पता लगाने के लिए भारत की 770 कंपनियों पर अध्ययन किया था।

फ्यूचर ऑफ वर्क इन इंडिया नाम की रिपोर्ट के मुताबिक देश के कुल वर्कफोर्स में महिलाओं का योगदान महज 26 फीसदी ही है। ये आंकड़े दुनिया में आदर्श माने गए कामकाजी लोगों से 23 फीसदी कम हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि एक तिहाई कंपनियाँ तो ऐसी हैं, जहां स्टाफ

में कोई महिला है ही नहीं। जबकि देश में 71 फीसदी कंपनियां ऐसी हैं, जहां महिला कर्मचारी रखी तो गई हैं लेकिन उनकी संख्या 10 फीसदी से भी कम है। देश में महज 2.4 फीसदी कंपनियां ही ऐसी हैं जहां महिलाओं और पुरुषों को बराबर का अधिकार दिया गया है और इन कंपनियों में कर्मचारियों के बीच 50-50 का अनुपात बरकरार रखा गया है। इसके अलावा विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं की हिस्सेदारी निम्न है-

टेक्सटाइल एवं बैंकिंग सेक्टर और महिलाएं: टेक्सटाइल और बैंकिंग-फाइनेंस ही ऐसे सेक्टर हैं, जिन्होंने जेंडर गैप के क्षेत्र में अच्छी स्थिति बरकरार रखी है। बैंकिंग में महिलाओं की हिस्सेदारी करीब 61 फीसदी है, जबकि टेक्सटाइल के क्षेत्र में महिलाओं की स्थिति सबसे बेहतर बनी हुई है। यहां 64 फीसदी महिलाओं का अधिकार है।

शिक्षा और महिलाएं: इसी तरह वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन (एआईएसएचई) नाम की रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट के अनुसार हर साल कॉलेजों में दाखिला लेने वाली महिलाओं की संख्या में तेजी से सुधार हो रहा है। कुछ साल पहले तक उच्च शिक्षा से महिलाएं वंचित रह जाती थीं, लेकिन अब अंडरग्रेजुएट साइंस प्रोग्राम में दाखिला लेने वाली महिलाओं की संख्या पुरुषों के लगभग बराबर हो गई है।

वेतनमान और महिलाएं: सिर्फ काम-काज के मामले में ही महिलाओं के साथ भेदभाव नहीं किया जा रहा है बल्कि वेतनमान दिए जाने में भी उन्हें कमतर रखा जाता है। देश में महिलाकर्मियों की आय पुरुषों के मुकाबले औसतन 16.1 फीसदी कम है, जो कि वैश्विक स्तर पर कमाई में अंतर के बराबर है। यह हाल तब है जब महिलाएं समान स्तर, समान कंपनी और समान कार्य कर रही हैं। शोध के अनुसार वैश्विक स्तर पर महिला और पुरुष के समान पद और समान कंपनी में हिस्सेदारी का अंतर घटकर 1.5 फीसदी रह गया है लेकिन अगर वेतन में अंतर की बात भारत में करें तो समान स्तर की नौकरी में महिला पुरुष के बीच यह औसत अंतर 4 फीसदी है। कॉर्न फेरी सूचकांक ने दुनिया भर के 53 देशों में 14,284 कंपनियों में 1.23 करोड़ से अधिक स्त्री-पुरुष कर्मचारियों के वेतन और काम पर शोध किया था और उसके बाद यह विश्लेषण जारी किया था। भारत में स्त्री-पुरुष के वेतन में अंतर चीन से अधिक है, जो कि 12.1 फीसदी पर है। ब्राजील में वेतन का अंतर 26.2 फीसदी, फ्रांस में 14.1 फीसदी, जर्मनी में 16.8 फीसदी, ब्रिटेन में 23.8 फीसदी और अमेरिका में 17.6 फीसदी है।

बोर्ड मेंबर और महिलाएं: महिलाओं के कंपनियों में कामकाज से लेकर उनके अधिकार, वेतनमान के बाद बात होती है बोर्ड में उनकी पहुँच की। धीरे-धीरे महिलाओं की स्थिति में सुधार हो रहा है। क्रेडिट स्विस की एक रिपोर्ट के मुताबिक बोर्ड मेंबर में महिलाओं की संख्या नगण्य है। 2015 में भारतीय कंपनियों में 11.2 फीसदी महिलाओं को बोर्ड का सदस्य बनाया गया जो 2010 के मुकाबले दोगुना था। ज्ञातव्य है कि 2013 में सरकार ने एक नियम बनाया था जिसके बाद सूचीबद्ध कंपनियों के बोर्ड में कम से कम एक महिला सदस्य अनिवार्य कर दी गई थी।

उच्च पद और महिलाएं: ऊंचे पदों पर आसीन महिलाओं की बात करें तो 2014 में यह आंकड़ा 7.8 फीसदी था जो कि 2016 में घटकर 7.2 रह गया था। अगर दुनियाभर में ऊंचे पदों पर महिलाओं की स्थिति की बात करें तो महज 13.8 फीसदी महिलाएं ही ऐसे पदों पर आसीन हैं।

वर्तमान में महिलाओं की स्थिति: वर्तमान 21 वीं सदी को महिलाओं की सदी कहा जा रहा है लेकिन अगर भारत में महिलाओं की शिक्षा और रोजगार से सम्बंधित आंकड़ों पर नजर डालें तो स्थिति साफ नजर आती है कि भारत में अभी बहुत लम्बा सफर तय करना हैं। भारत की कुल जनसंख्या का 48.5% महिलाएं हैं जिसमे से सिर्फ 65.46% ही साक्षर हैं।

1. भारत की कुल जनसंख्या का 48.5% महिलाएं हैं जिसमे से सिर्फ 65.46% ही साक्षर हैं।
2. महिलाओं का वेतन, पुरुषों के वेतन का 62% हैं, यदि महिला और पुरुष का वेतन एक सामान हो जाये तो देश के सकल घरेलू उत्पाद में 30% की वृद्धि हो जायेगी।
3. वर्तमान में श्रम बल भागीदारी (labour force participation) 25% है जो कि 2004-05 में 37% थी।
4. भारत की संसद में वर्तमान में सिर्फ 11% महिला ही हैं।
5. 2011 की जनगणना के अनुसार, भारत में विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार में लगी महिलाओं का प्रतिशत इस प्रकार है:
   - कृषि:-76.3 मिलियन
   - विनिर्माण क्षेत्र :-10 मिलियन
   - सेवा क्षेत्र :-8.5 मिलियन
   - अन्य क्षेत्र :- 7.1 मिलियन
6. भारत में सभी नामांकित स्नातक छात्रों में 45.9% महिलाएं हैं जबकि पीएचडी में पंजीकृत सभी छात्रों में 40.5% महिलाएं हैं। 2012-2013 में विशिष्ट अंडरग्रेजुएट डिग्री कार्यक्रमों में नामांकित महिलाओं का प्रतिशत शामिल है
   - इंजीनियरिंग/प्रौद्योगिकी - 28.5%
   - आईटी और कंप्यूटर - 40.2%
   - प्रबंधन - 35.6%
   - कानून - 32.0%
7. ISRO के कुल कर्मचारियों 14,246 का केवल 20% महिलाएं हैं और 1963 में इसकी स्थापना से लेकर अभी तक कोई भी महिला इसकी अध्यक्ष नही बन पायी है।
8. 2011-2012 में सभी ग्रामीण श्रमिकों में 24.8% महिलाएं शामिल थीं जो कि 1972-73 में 31.8% थीं।
9. 2011-2012 में, सभी शहरी श्रमिकों में महिलाएं 14.7% थीं, जो कि 1972-73 में 13.4% थीं।
10. निदेशक मंडल (Board of Directors) में केवल 7.7% महिलाएं हैं इनमे भी केवल 2.7% निदेशक मंडल की चेयरमैन हैं। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में पंजीकृत 54% कंपनियों में से किसी में भी कोई महिला बोर्ड निदेशक नहीं (no women board directors) हैं।
11. भारत के सांख्यिकी विभाग के मुताबिक 2011-12 में गैर कृषि क्षेत्रों (non- agricultural sectors) में कुल श्रमिकों में से 20% से कम महिलाएं थीं। गैर कृषि क्षेत्रों, में काम करने वाली महिलाओं की सबसे अधिक संख्या मणिपुर, त्रिपुरा, तमिलनाडु और केरल में है जबकि बिहार, झारखंड, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में यह संख्या सबसे अधिक है।

महिलाओं की श्रम बल में कम भागीदारी का कारण?

- भारत में लिंग असमानता एक गंभीर चुनौती बनी हुई है।
- हमारा सामाजिक सांस्कृतिक ताना-बाना कारक भी श्रम बाजार में कम महिला भागीदारी के लिए उत्तरदायी है। यह उम्मीद की जाती है कि महिलाएं परिवार की प्राथमिक देखभाल करने वाली कामगार हैं।
- महिलाओं के बीच असुरक्षा की भावना भी एक बड़ी समस्या है। हमारा समाज या सरकारी मशीनरी आज भी महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने में सक्षम नहीं है। हाल ही में चर्चित 'मीटू' कैपेनिंग इसी का उदाहरण है।
- भारतीय श्रम बल में महिलाओं की कम भागीदारी का एक कारण यहाँ शिक्षा की नामांकन दर में कमी है। कई युवा महिलाएँ शिक्षा को प्राथमिकता नहीं देती हैं।
- भारत में कई महिला कामगार यह सोचती हैं कि काम केवल तभी किया जा सकता है जब उसकी आवश्यकता हो अर्थात् वे काम को आर्थिक अवसर नहीं मानती हैं।

- वस्तुतः एक स्थूल सच्चाई यह है कि भारत जैसे पितृसत्तात्मक समाज में महिलाएँ केवल घरेलू कार्य ही करती हैं।
- पारिवारिक स्तर से लेकर गाँव स्तर तक महिलाओं को कार्य करने के लिए प्रोत्साहित नहीं किया जाता है बल्कि उनको हतोत्साहित ही किया जाता है।
- सरकारी योजनाओं का अभाव अर्थात् महिलाओं से संबंधित या उन्हें कौशल रूप से विकसित करने के लिए विशेषीकृत योजनाओं का अभाव है।
- महिलाओं के कार्यसमूह में पर्याप्त भागीदारी नहीं होने का महत्वपूर्ण कारण कार्यस्थल पर होने वाला शोषण है।
- आज भी महिलाओं में शिक्षा का स्तर निम्न है साथ ही शिक्षा से संबंधित बुनियादी सुविधाओं का अभाव (विशेषता ग्रामीण क्षेत्र में) है।
- कौशल विकास संस्थाओं का अभाव।
- समाज में प्रचलित कुप्रथाएं आदि।

आगे की राह

किसी भी देश के लिए आर्थिक संवृद्धि जरूरी है लेकिन रोजगार सृजन के लिए यह पर्याप्त शर्त नही है। एक अनुमान के मुताबिक, भारत को वर्तमान रोजगार दर बनाये रखने के लिए प्रतिवर्ष 84 लाख से अधिक रोजगार सृजन करना होगा साथ ही महिलाओं के लिए अलग से प्रयास करने होंगे। इसके लिए आवश्यक है कि-

- महिलाओं को आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा राजनैतिक रूप से सशक्त किया जाए।
- लिंग असमानता को कम किया जाए तथा समाज में प्रचलित ताने-बाने जो महिलाओं को कार्य करने से रोकते हैं को समाप्त किये जाने की आवश्यकता है।
- महिलाओं की सुरक्षा के लिए महिला सेल का गठन किया जाए, साथ ही जहाँ महिलाएँ कार्य करती हों वहाँ पुलिस बल के साथ-साथ सीसीटीव कैमरे भी लगाएँ जाएँ ताकि उनके खिलाफ कार्यस्थल पर हो रही घटनाओं को रोका जा सके।
- श्रम बल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए ये आवश्यक है कि उन्हे शिक्षित किया जाए। इसके लिए शिक्षा से संबंधित बुनियादी सुविधाओं का विकास किय जाए साथ ही शिक्षा गुणवत्ता में भी सुधार किया जाना चाहिए।
- भारत में आज भी पितृसत्तात्मक समाज प्रचलित है इस प्रथा को समाप्त करने की जरूरत है क्योंकि आज महिलाएँ हर क्षेत्र में अपना परचम लहरा रही हैं इसलिए उन्हें मौका मिलना चाहिए। इसके लिए समाज के बुद्धजीवी वर्ग विशेषतः युवाओं को आगे आने की जरूरत है।
- महिलाओं को हर स्तर पर प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।
- महिलाओं के विकास तथा सशक्तिकरण के लिए सरकार द्वारा महिला केंद्रित योजनाएँ बनाए जाने की आवश्यकता है। क्योंकि इनके रोजगार तथा कौशल विकास से संबंधित योजनाओं और नीतियों की कमी हैं अथवा जो नीतियाँ हैं वो उन तक पहुँच नहीं पा रही हैं।
- आज के वैश्विक युग में रोजगार का परिदृश्य लगातार बदल रहा हैं अर्थात् जो जितना कुशल होगा उसी को तरजीह दी जाएगी इसलिए ये आवश्यक है कि शिक्षा या रोजगार दोनों में कौशल विकास का विशेष ध्यान रखा जाए।
- सरकारी फर्मो या निजी उद्योगों के लिए सरकार को दिशा-निर्देश जारी करना चाहिए कि किसी भी क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी 33% से कम नहीं होनी चाहिए और जो कंपनियाँ इन दिशानिर्देशों का पालन नहीं करती हैं उन पर आर्थिक प्रतिबंध भी लगाया जाए।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-1

- महिलाओं की भूमिका और महिला संगठन, जनसंख्या एवं सम्बद्ध मुद्दे, गरीबी और विकासात्मक मुद्दे, शहरीकरण, उनकी समस्याएं और उनके उपचार।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-2

- स्वास्थ्य, शिक्षा, मानव संसाधनों से संबंधित सामाजिक क्षेत्र/ सेवाओं के विकास और प्रबंधन से संबंधित मुद्दे।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-3

- भारतीय अर्थव्यवस्था तथा योजना, संसाधनों को जुटाने, प्रगति, विकास तथा रोजगार से संबंधित मुद्दे।
- समावेशी विकास तथा इससे उत्पन्न मुद्दे।

■

2. ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2018 और भारत

चर्चा का कारण

हाल ही में जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट के मुताबिक भारत में भूख एक गंभीर समस्या है। इस रिपोर्ट में भारत 119 देशों के भूख सूचकांक में 103वें पायदान पर है। इस मामले में हम नेपाल और बांग्लादेश से भी पीछे हैं, वहीं पाकिस्तान 106वीं रैंक पर है। रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में 68 मिलियन लोग रिफ्यूजी कैंपों में रह रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार, पाँच वर्ष से कम आयु के पाँच भारतीय बच्चों में से कम-से-कम एक बहुत अधिक कमजोर है जो कि अल्पपोषण की विकट स्थिति को दर्शाता है। ध्यातव्य है कि संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन की एक मुहिम के तहत प्रतिवर्ष 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य दुनिया भर से भुखमरी, कुपोषण तथा गरीबी के खात्मे के प्रयास को मजबूती देना व खाद्य सुरक्षा के प्रति लोगों में जागरूकता का प्रचार-प्रसार करना है।

क्या है ग्लोबल हंगर इंडेक्स?

वैश्विक भुखमरी सूचकांक (GHI : Global Hunger Index) विश्व के देशों में भुखमरी एवं कुपोषण की गणना एवं इसके तुलनात्मक अध्ययन हेतु एक बहुआयामी साधन है। इस इंडेक्स में दिखाया जाता है कि दुनिया भर में भूख के खिलाफ चल रही देशों की लड़ाई में कौन-सा देश कितना सफल और कितना असफल रहा है।

जीएचआई का उद्देश्य दुनिया भर में भुखमरी को कम करने के लिये की गई मुहिम का शुरूआत करना है। भुखमरी से लड़ने में प्रगति और असफलताओं का आकलन करने के लिये प्रत्येक वर्ष जीएचआई स्कोर की गणना की जाती है। उल्लेखनीय है कि अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान (IFPRI) द्वारा प्रतिवर्ष जारी किये जाने वाले इस इंडेक्स में उन देशों को शामिल नहीं किया जाता है जो विकास के एक ऐसे स्तर तक पहुँच चुके हैं, जहाँ भुखमरी नगण्य मात्रा में है।

इस तरह के सर्वेक्षण की शुरूआत इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट ने की और वेल्ट हंगरलाइफ नामक एक जर्मन स्वयंसेवी संस्था ने

इसे सबसे पहले वर्ष 2006 में जारी किया था। वर्ष 2007 से इस अभियान में आयरलैंड का भी एक स्वयंसेवी संगठन शामिल हो गया। कुछ वर्षों से रिपोर्ट को संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावित 2030 के एजेंडे से भी जोड़ा गया है जिसमें जीरो हंगर का लक्ष्य रखा गया है।

ग्लोबल हंगर इंडेक्स को मापने के पैमाने

ग्लोबल हंगर इंडेक्स किसी देश में भुखमरी की स्थिति को निर्धारित करती है। यह निर्धारण प्रतीकात्मक रूप से स्कोर कार्ड से तय होता है। ग्लोबल इंडेक्स स्कोर ज्यादा होने का मतलब उस देश में भूख की समस्या का अधिक होना होता है। वहीं यदि किसी देश का स्कोर कम होता है तो उसका मतलब है कि वहाँ स्थिति बेहतर है।

इसे मापने के चार मुख्य पैमाने होते हैं- अल्पपोषण, लंबाई के अनुपात में कम वजन, आयु के अनुपात में कम लंबाई तथा बाल मृत्यु दर।

> खाद्य एवं कृषि संगठन की 'फसल पूर्वानुमान एवं खाद्य स्थिति' रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में 34 ऐसे देश हैं जिनके पास अपनी आबादी को खिलाने के लिए पर्याप्त भोजन नहीं है।

आवश्यकता क्यों पड़ी?

वैश्विक अर्थव्यवस्था का स्वरूप 1990 के दशक में तेजी से बदलने लगा। मुक्त बाजारों को आर्थिक विकास का वाहक माना गया। ज्यादातर राष्ट्र अपने-अपने बाजारों को मुक्त करने लगे। ऐसे में एक ओर जहाँ समृद्धि बढ़ती जा रही थी, वहीं दूसरी ओर वैश्विक जनसंख्या का एक बड़ा भाग अपने लिये दो वक्त का भोजन भी नहीं जुटा पा रहा था। वैश्वीकरण में यह स्थिति एक बाईप्रोडक्ट हो गई ऐसे में विकास एक वर्ग विशेष तक सीमित रह गया था जबकि दूसरा वर्ग इससे दूर हो गया आज यह स्थिति और विकराल रूप ले रही है। उदाहरण हाल ही में संयुक्त राष्ट्र की बाल संस्था यूनिसेफ की रिपोर्ट में बताया गया कि दुनिया के अमीर मुल्कों में कई परिवार व्यापक गरीबी से जूझ रहे हैं जिससे बच्चे कुपोषण के शिकार हो रहे हैं। यूनिसेफ ने इस स्टडी में दुनिया के 41 उच्च और मध्यम आय वाले देशों को शामिल किया था। बच्चों के लिए जिन देशों को बेहतर माना गया है उनमें डेनमार्क, फिनलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, जर्मनी, स्विटजरलैंड, दक्षिण कोरिया, स्लोवेनिया और नीदरलैंड्स प्रमुख हैं, वहीं दक्षिणी और पूर्वी यूरोप और लैटिन अमेरिकी देशों में बाल गरीबी दर सबसे अधिक पाया गया।

यूनिसेफ ने अपने अध्ययन में पाया कि उच्च आय बाल जीवन की गुणवत्ता तय नहीं करती। मसलन जापान, अमेरिका और कनाडा जैसे अमीर देशों में बाल गरीबी घटाने के लिये सबसे कम नीतियाँ हैं।

यूनिसेफ की एक अन्य रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के अमीर देशों में हर पाँचवां बच्चा गरीबी में रहता है। वहीं हर आठ में से एक बच्चे को पर्याप्त भोजन नहीं मिलता। वहीं तुर्की और मेक्सिको में हर तीन में से एक बच्चे के लिये पर्याप्त भोजन नहीं है। इन देशों में 15 साल की उम्र वाले एक तिहाई बच्चे पढ़ना-लिखना नहीं जानते हैं।

उपरोक्त रिपोर्ट इस बात का बयान करने के लिए काफी है कि भुखमरी को लेकर विश्लेषण जरूरी हो जाता है ताकि अलग-अलग देशों व क्षेत्रों में भुखमरी की क्या स्थिति हो पता चल सके व नीतियाँ अधिक जनोन्मुखी बनायी जा सकें।

भारत की वर्तमान स्थिति

दुनिया में भुखमरी बढ़ रही है। इस संदर्भ में पिछले चार सालों में ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत के स्कोर को तुलनात्मक रूप से देखा जा सकता है। गौरतलब है कि साल 2014 में भारत जहाँ 55वें पायदान पर था, तो वहीं 2015 में 80वें, 2016 में 97 वें और पिछले साल 100वें पायदान पर आ गया। जबकि इस बार रैंकिंग और गिर कर 103 हो गया है जो भारत में भूख संकट में हो रही बढ़ोतरी को दर्शाती है। यह स्थिति न सिर्फ भारत के लिए चिंता का विषय है बल्कि 21वीं सदी में अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में भारत की साख पर भी प्रश्न चिह्न खड़ी कर रहा है। यह मात्र संयोग ही है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स उसी हफ्ते आया है जबकि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भारत को दक्षिण एशिया में सबसे तेजी से उभरती अर्थव्यवस्था बताया है। भारत की मौजूदा रैंक उसे उन देशों मे शामिल करती है जहाँ यह समस्या गंभीर स्थिति में पहुंच चुकी है।

रिपोर्ट से सम्बन्धित महत्वपूर्ण तथ्य

- रिपोर्ट के अनुसार, भारत में भुखमरी के स्तर को 'गंभीर' श्रेणी के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
- पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष भारत की रैंकिंग में तीन स्थान की गिरावट आई है।
- संयुक्त राष्ट्र की संस्थाओं के मुताबिक, दक्षिण एशिया में बच्चों में आयु के अनुपात में कम वजन की दर उच्च है, जो 'संकटपूर्ण सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल' का निर्माण करती है।
- रिपोर्ट में कहा गया है कि 0 से 5 महीने तक के शिशुओं के लिये आयु के अनुपात में कम वजन की दर सबसे अधिक है। साथ ही रिपोर्ट में सुझाव दिया गया है कि जन्म संबंधी आँकड़ों और स्तनपान पर ध्यान दिया जाना महत्त्वपूर्ण है।
- इसके अलावा, दक्षिण एशिया क्षेत्र में बच्चों में कम वजन का संबंध मातृ बॉडी मास इंडेक्स (BMI) से बताया गया है, जो गर्भावस्था के दौरान माँ की पोषण संबंधी स्थिति पर ध्यान देने की आवश्यकता का सुझाव देता है।
- पिछले दो दशकों में सुधार के बावजूद वैश्विक तौर पर अभी भी भुखमरी का स्तर 'गंभीर' श्रेणी में आता है।
- यह सूचकांक इस बात का अनुमान व्यक्त करता है कि प्रगति की वर्तमान दर पर विश्व के 50 देश वर्ष 2030 तक भुखमरी की 'निम्न' श्रेणी तक पहुँचने में असफल रहेंगे।
- रिपोर्ट में कहा गया है कि यह संयुक्त राष्ट्र के सतत् विकास लक्ष्य 2 को खतरे में डालता है, जिसका उद्देश्य 2030 तक भुखमरी को समाप्त करना है।

सरकार द्वारा प्रयास/उपलब्धि

हाल ही में ग्लोबल हंगर इंडेक्स सरकार द्वारा भुखमरी को दूर करने के प्रयास में उसकी असफलता को व्यक्त करती है लेकिन इस संदर्भ में ग्लोबल हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट तैयार करने वाली एजेंसी कंसर्न वर्ल्डवाइड एंड वेल्टहुंगरहिल्फे का कहना है भारत ने शिशु मृत्यु दर के मामले में सुधार किया है। उदाहरण यहाँ इस बात को समझने की जरूरत है कि सरकार भूख से परिवार और बच्चों को पूर्ण रूप से निजात दिलाने में असफल रही है तथा रैंक भी बिगड़ा है बावजूद इस क्षेत्र में सरकार द्वारा कई पहल किए गए जो इनकी पूर्व वर्षों के मुकाबले उपलब्धि के रूप में सामने भी आयी है। भारत ने तुलनात्मक रूप से संदर्भ वर्षों में तीन संकेतकों में सुधार किया है। जनसंख्या में अल्पपोषित लोगों का प्रतिशत वर्ष 2000 के 18.2% से घटकर वर्ष 2018 में 14.8% हो गया है। इसी अवधि में बाल मृत्यु दर 9.2% से घटकर लगभग आधी अर्थात् 4.3% हो गई है, जबकि बच्चों में बौनापन 54.2% से घटकर 38.4% हो गया। हालाँकि, बच्चों में आयु के अनुपात में कम वजन का जनसंख्या में प्रसार वास्तव में पिछले संदर्भ वर्षों की तुलना में बदतर हो चुका है। वर्ष 2000 में यह 17.1% था जो कि बढ़कर वर्ष 2005 में 20% तक हो गया और वर्ष 2018

में यह 21% है। इस मामले में युद्ध से पीड़ित सूडान अकेला देश है जिसकी स्थिति भारत से भी खराब है। चाइल्ड वेस्टिंग की दर सूडान में 28 फीसदी है।

स्मरणीय हो कि चाइल्ड वेस्टिंग पूरे दक्षिण एशिया में बहुत ज्यादा है। रिपोर्ट में इसे सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए आपातकाल की स्थिति बताते हुए शिशुओं और स्तनपान पर विशेष ध्यान देने की मांग की गई है। यहाँ हम सरकार द्वारा कुपोषण को दूर करने को लेकर किए जा रहे प्रयासों को निम्न बिंदुओं के अंतर्गत समक्षा सकते हैं -

- सरकार द्वारा भुखमरी और गरीबी से मुकाबला करने के नाम पर चलाई जा रही योजनाओं में सार्वजनिक वितरण प्रणाली, राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम, मध्याह्न भोजन योजना, अंत्योदय अन्न योजना, समन्वित बाल विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, जननी सुरक्षा योजना, इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम तथा अन्नपूर्णा योजना आदि शामिल हैं।
- भारत के ग्लोबल हंगर इंडेक्स में निराशाजनक प्रदर्शन को देखते हुए अक्टूबर 2017 में राष्ट्रीय पोषण अभियान प्रारंभ किया गया जो काफी हद तक कुपोषण को नियंत्रित करने में कामयाब रही।
- वहीं दूसरी तरफ आयोडिन युक्त नमक, विटामिन ए एवं आयरन सप्लीमेंट, स्तनपान आदि कि व्यवस्था पर बल दिया गया।
- स्वच्छ भारत मिशन की सफलता ने भी कुपोषण की राह में एक कदम आगे बढ़ाया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि दक्षिण एशिया में बेहतर जल एवं स्वच्छता तक पहुँच की कमी बच्चों में आयु अनुपात व कम वजन की दरों से अधिक निकटता से जुड़ी हुई है, जो यह बताती है कि अकेले गरीबी में कमी समस्या के समाधान के लिये पर्याप्त नहीं हो सकती है।
- सरकार द्वार हाल ही में पोषण के पैमाने पर अत्यंत पिछड़े 113 जिलों की पहचान कर इनकी स्थिति सुधारने हेतु युद्ध स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। इसकी अगली कड़ी के रूप में समन्वित बाल विकास कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु 1.1 लाख आंगनबाड़ी केंद्रों का निर्माण किया गया है।
- वहीं दूसरी तरफ पूरक पोषण नियम 2017 को अधिसूचित किया गया है। समन्वित बाल विकास कार्यक्रम तथा मध्याह्न भोजन योजना बढ़ोतरी को सूक्ष्म पोषक तत्व तथा विटामिन के द्वारा अधिक पौष्टिक बनाया जा रहा है। सरकार ने कुपोषण से मुकाबला करने हेतु अगले 3 वर्ष के लिए 12000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त फण्ड दिया है।
- सरकार न सिर्फ पोषण स्तर पर कुपोषण के लिए कार्य कर रही है बल्कि स्वास्थ्य स्तर पर भी। उदाहरण भारत सरकार की एजेंसी राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे के ताजा आंकड़ों के अनुसार देश में कुल 93.4 लाख बच्चे गंभीर रूप से कुपोषण के शिकार हैं। सरकार द्वारा देशभर के 25 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में कुल मिलाकर 966 पोषण पुनर्वास केंद्र संचालित किये जा रहे हैं। पोषण पुनर्वास केंद्रो पर 2015-16 में लगभग 1,72,902 बच्चों को भर्ती कराया गया था। उनमें से 92,760 सफलतापूर्वक बचाया गया था।
- सरकार के अनुसार राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत पोषण पुनर्वास केंद्र की स्थापना सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं में वृद्धि के लिये की गई है, ताकि गंभीर रूप से कुपोषण से ग्रस्त और चिकित्सीय जटिलताओं वाले बच्चों के इलाज के लिए उन्हें भर्ती कराया जा सके।

गौरतलब है कि उपर्युक्त प्रयासों के तहत भारत ने 2022 तक 'कुपोषण मुक्त भारत' नामक कार्य योजना भी विकसित की है। यहाँ सरकारी प्रयासों को देखते हुए प्रश्न उठता है कि क्यों सफलता पूर्वक भारत स्थिति को प्राप्त नहीं कर पा रही है? उसके समक्ष क्या चुनौतियाँ है? इन चुनौतियों को निम्न बिन्दुओं के अन्तर्गत समझा जा सकता है-

सरकार के समक्ष चुनौतियाँ

- हमारे देश में पर्याप्त अन्न उपलब्ध है किंतु इसका वितरण अत्यंत निर्धन और निराश्रित लोगों के मध्य नहीं हो पाता जिसका परिणाम भुखमरी, कुपोषण एवं अन्य समस्याओं के रूप में सामने आता है। गौरतलब है कि कुछ वर्षों पहले भारतीय लोक प्रशासन संस्थान (आईआईपीए) ने अपने अध्ययन के आधार पर इस बात का खुलासा किया था कि शादी-ब्याह और अन्य समारोहों में 20 से 25 प्रतिशत तक खाने की बर्बादी होती है। इसके बाद कई राज्यों की सरकारों ने इस बर्बादी को रोकने के लिये कार्यक्रमों में व्यंजनों की संख्या सीमित करने जैसे उपाय करने की कोशिश की लेकिन उम्मीद के मुताबिक नतीजे नहीं मिल सके तो सरकार के समक्ष चुनौती बनी हुई है।
- सरकार ने बड़े पैमाने पर सबको पोषण उपलब्ध कराने के कार्यक्रम चलाए, लेकिन प्राकृतिक आपदाओं तथा कई तरह की व्यवस्थागत समस्याओं के कारण इनके लाभ देश के सभी हिस्सों और तबकों तक नहीं पहुँच पाए हैं। इस संबंध में सरकार को तुरंत ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि ग्लोबल हंगर इंडेक्स जैसे पैमानों पर यदि देश की छवि खराब होती रही तो दूसरे क्षेत्रों की तमाम उपलब्धियों पर भी ग्रहण लग सकता है। देश के अंतिम जन तक सभी बुनियादी सुविधाएँ मुहैया कराना आज समय की माँग भी है और जरूरत भी।
- खाद्य पदार्थों में प्रोटीन की मात्रा में कमी भी कुपोषण का एक अन्य करण है। वैज्ञानिकों का कहना है कि कार्बनडाइ ऑक्साइड उत्सर्जन की अधिकता से भोजन से पोषक तत्व नष्ट हो रहे हैं, जिसके कारण चावल, गेहूँ, जौ जैसे प्रमुख खाद्यान्न में प्रोटीन की कमी होने लगी है। आँकड़ों के मुताबिक चावल में 7.6 प्रतिशत, जौ में 14.1 प्रतिशत, गेहूँ में 7.8 प्रतिशत और आलू में 6.4 प्रतिशत प्रोटीन की कमी दर्ज की गई है। एक अनुमान के मुताबिक 2050 तक भारतीयों के प्रमुख खुराक से 5.3 प्रतिशत प्रोटीन गायब हो जाएगा। इस कारण 5.3 करोड़ भारतीय प्रोटीन की कमी से जूझेंगे। विदित हो कि प्रोटीन की कमी होने पर शरीर की कोशिकाएँ ऊतकों से ऊर्जा प्रदान करने लगती हैं।
- हाल ही में संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार भुखमरी के कारणों में संघर्ष, हिंसा, जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक आपदा आदि के साथ नवसाम्राज्यवाद, नवउदारवाद, मुक्त अर्थव्यवस्था और बाजार का ढांचा भी एक बड़ा कारण है। वर्तमान में भारत इसी दौर से गुजर रहा है।
- भारत में कुपोषण से निपटने के लिए योजनाएं बनी हैं लेकिन उन पर सही तरीके से अमल होता नहीं दिखता है। महंगाई और खाद्य पदार्थों की कीमतों में उछाल ने गरीबों और निम्न आय के लोगों को असहाय बना दिया है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली हांफ रही है और मिड-डे मील जैसी आकर्षक

परियोजनाएं भ्रष्टाचार और प्रक्रियात्मक विसंगतियों में डूबी हैं।

- इसके अलावा बढ़ रही जनसंख्या भी कुपोषण का एक कारण बनी हुई है व सरकार को चुनौती दे रही है।
- कुपोषण का एक अन्य करण भारत में खाद्य चीजों और महिलाओं के द्वारा स्तनपान कराने वाले दूध में आने वाली कमी को भी बताया गया है। जो पहले 52.7 प्रतिशत था वो अब घटकर 42.7 प्रतिशत हो गया है। देश में 6 महीने से लेकर 23 महीने तक के बच्चों में सिर्फ 9.6 प्रतिशत ही पर्याप्त डाइट पाई गई है, जिसकी वजह से 5 साल के उम्र से कम 35.7 बच्चों का वजन तय से कम पाया गया है।
- दरअसल बढ़ती बेरोजगारी परिवारो का भरण पोषण करने में नाकाम रहती है। नतीजतन ऐसे परिवार की महिलाएँ समान्यत: एनिमिया और कुपोषण से पीड़ित होती है।
- जलवायु परिवर्तन भी सरकार के समक्ष एक चुनौती रूप में उभरा है। संयुक्त राष्ट्र की ओर से जारी एक रिपोर्ट से खुलासा हुआ है कि दुनिया में 85 करोड़ 30 लाख लोग भुखमरी का शिकार हैं। वर्ष 2030 तक के लिये वैश्विक स्तर पर खाद्य सुरक्षा और पोषण पर जारी की गई इस रिपोर्ट में कहा गया है कि जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों और हिंसक संघर्षों के कारण पिछले एक दशक में पहली बार इस साल वैश्विक स्तर पर भुखमरी में 11 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई है।

आगे की राह

उपरोक्त अध्ययन का कुल निचोड़ यह है कि सरकारी प्रयास सराहनीय हैं लेकिन इसके समक्ष चुनौतियाँ भी हैं। यहाँ जरूरत है कि इसे प्रभावी तरीके से निपटा जाए इस संदर्भ में कुछ उपाय अमल में लाये जा सकते हैं। सर्वप्रथम जरूरत है खाद्य उत्पादों के उचित भंडारण के लिये देश में कोल्ड स्टोरेज की भारी व्यवस्था किया जाए, यही नहीं उसके संचालन के लिये प्रशिक्षित कर्मियों की कमी की भी व्यवस्था हो। बर्बाद हो रहे खाद्य पदार्थों को बचाने, एकत्र करने, स्टोर करने और एक से दूसरी जगह भेजने के लिये नई तकनीकों को इस्तेमाल किया जाये।

- इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट (IFPRI) ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि बच्चों में कुपोषण की उच्च दर के कारण देश में भूख का स्तर गंभीर है ऐसे में सामाजिक क्षेत्र को इसके प्रति मजबूत प्रतिबद्धता दिखाने की जरूरत है।
- शादी विवाह में व्यंजनों की संख्या सीमित करने वाले नियम को कठोरता से लागू करने की जरूरत है।
- बच्चों में कम वजन की समस्या को जो कारक कम कर सकते हैं उनमें स्वच्छता तक पहुँच, महिलाओं की शिक्षा, सुरक्षित जल तक पहुँच, लिंग समानता और राष्ट्रीय खाद्य उपलब्धता में वृद्धि शामिल हैं। सरकार के द्वारा इस दिशा में देश के सकल घरेलू उत्पाद का 1.4 प्रतिशत ही खर्च किया जाता है, जो कि काफी कम है। इसे बढ़ाने की जरूरत है।
- देश में स्वास्थ्य सेवाओं को दूरस्थ गांव-देहात तक पहुंचाने की भी जरूरत है। साथ ही देश के हर नागरिक को समय पर पर्याप्त चिकित्सा सुविधा भी सुनिश्चित किया जाए। तभी भारत में नवजात शिशुओं की मौत पर रोक लगाई जा सकती है।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-1

- महिलाओं की भूमिका और महिला संगठन, जनसंख्या एवं सम्बद्ध मुद्दे, गरीबी और विकासात्मक मुद्दे, शहरीकरण, उनकी समस्याएं और उनके उपचार।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-2

- स्वास्थ्य, शिक्षा, मानव संसाधनों से संबंधित सामाजिक क्षेत्र/ सेवाओं के विकास और प्रबंधन से संबंधित मुद्दे।
- गरीबी और भूख से संबंधित मुद्दे।

■

3. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के 25 वर्ष

चर्चा का कारण

हाल ही में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 'लोकतंत्र की प्रहरी' राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) के 25 वर्ष पूरे होने पर सिल्वर जुबली कार्यक्रम का उद्घाटन किया। दरअसल राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने भारत में कई ऐतिहासिक (लैंडमार्क) निर्णयों में अभूतपूर्व सहायता प्रदान किया है। एनएचआरसी ने जेल सुधार से लेकर शरणार्थी संकट का समाधान करने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाहण किया है।

क्या है एनएचआरसी

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग संयुक्त राष्ट्र के ह्यूमन राईट्स (मानवाधिकार) के आधार पर स्थापित एक स्वायत्त विधिक संस्था है। इसकी स्थापना 12 अक्टूबर 1993 को हुई थी, जो मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत की गई थी। यह एक संविधान द्वारा अभिनिश्चित तथा अंतर्राष्ट्रीय संधियों में निर्मित व्यक्तिगत अधिकारों का संरक्षण है। यह एक ऐसा बहुसदस्यीय निकाय है जो देश में मानवाधिकारों के प्रहरी का कार्य करता है।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के गठन की प्रक्रिया:

आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री के नेतृत्व में गठित छह सदस्यीय समिति की सिफारिश पर होती है। समिति में प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा के उपसभापति, संसद के दोनों सदनों के मुख्य विपक्षी दल के नेता व केन्द्रीय गृहमंत्री होते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का एक महासचिव होगा जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) होगा और ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा तथा ऐसे कार्यों का संपादन करेगा जो इसे प्रत्यायोजित किये जाएँगे। आयोग का मुख्यालय दिल्ली में होगा, किन्तु आयोग केन्द्र सरकार की पूर्व अनुमति से भारत में अन्य स्थानों पर भी कार्यालय स्थापित कर सकता है।

एनएचआरसी द्वारा मानवाधिकार से संबंधित उठाए गए कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे:

- इसने भारत में आपराधिक न्यायिक व्यवस्था सुधार में महत्ती भूमिका को निभाया है।
- अफस्पा (आर्म्ड फोर्स विशेष सुरक्षा अधिनियम) के अंतर्गत सुरक्षा बलों को प्राप्त असीमित शक्तियों को सीमित करने में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की विशेष भूमिका रही है।

- पिछले दिनों आईपीसी की धारा 377 को सर्वोच्च न्यायालय ने 'अपराध की श्रेणी से बाहर' रखा। इस ऐतिहासिक फैसले में भी आयोग का महत्वपूर्ण योगदान रहा है।
- महिलाओं के प्रताड़ना के खिलाफ एनएचआरसी हमेशा से मुखर रहा है। यही कारण है कि कई महत्वपूर्ण निर्णयों में इसकी अनुशंसाओं को शामिल किया गया।
- अनुसूचित जाति तथा जनजाति से संबंधित विभिन्न सुधारों एवं अधिनियम के लागू करने में आयोग हमेशा अग्रणी रहा है।
- इसके अलावा बच्चों से संबंधित विभिन्न सुधार, पुलिस अत्याचार विरोधी अभियान, सांप्रदायिकता के खिलाफ मुखर आवाज, नस्लभेदी संहार तथा टिप्पणी के खिलाफ आयोग ने कई महत्वपूर्ण प्रयास किए हैं।
- राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने न सिर्फ नागरिकों बल्कि विदेशी नागरिकों के अधिकारों को संरक्षित करने के लिए कार्य किया है।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के कार्य तथा शक्तियाँ

- मानवाधिकार से संबंधित हिंसा के मामले को देखना।
- मानव अधिकारों के क्षेत्र में काम कर रहे गैर-सरकारी संगठनों और संस्थाओं के प्रयासों को प्रोत्साहित करना।
- यदि लोक सेवकों द्वारा हिंसा के कारकों को दबाया या ध्यान नहीं दिया जाता है तो उसको संज्ञान में लेना।
- राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग देश के किसी भी न्यायालय में मानवाधिकार उल्लंघन से संबंधित दर्ज शिकायत पर संज्ञान ले सकता है।
- गवाहों और दस्तावेजों के लिये शासन पत्र जारी करना।
- मानवाधिकार से संबंधित किसी भी प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय कारकों, निकायों पर महत्वपूर्ण बैठक व चर्चा का आयोजन कर सकता है। साथ ही इस मुद्दे पर सरकार को संज्ञान लेने के लिए दबाव डाल सकता है।
- किसी दस्तावेज को ढूँढना और प्रस्तुत करना।
- संविधान द्वारा या उसके तहत प्रदान किये गये सुरक्षा उपायों की समीक्षा करना या मानवाधिकार के संरक्षण के लिए लागू होने वाली किसी भी कानून की समीक्षा करना तथा उनके प्रभावी कार्यान्वयन के उपायों की अनुशंसा करना।

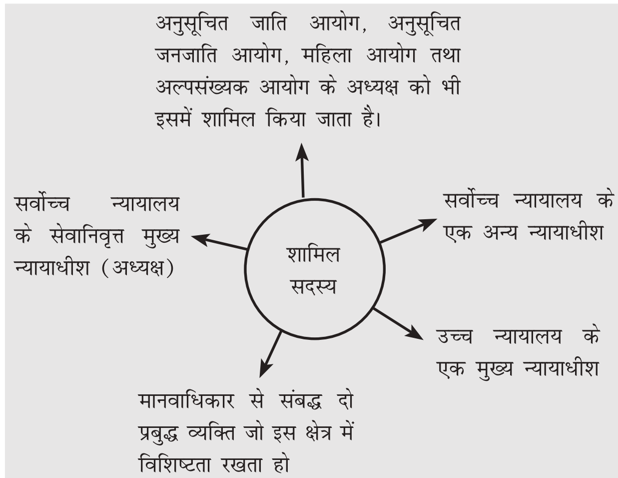

आयोग की समीक्षा

आयोग ने निःसंदेह अपने खाते में कुछ उपलब्धियां दर्ज की हैं। यह केंद्र सरकार को यातना एवं क्रूर., अमानवीय एवं निम्न दण्ड या व्यवहार के अन्य स्वरूपों के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र अभिसमय पर हस्ताक्षर कराने हेतु मनाने में सफल हुआ। इसने संरक्षा में मृत्यु की समस्या को बेहतरीन तरीके से सामने लाया। इसने शैक्षिक एवं प्रशिक्षण संस्थानों में मानवाधिकारों पर विशिष्टिकृत प्रशिक्षण माड्यूल तैयार करने में भी मदद की है। हालांकि यह महसूस किया जाता है कि आयोग को मानवाधिकार के क्षेत्र में अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। इसके लिए मानवाधिकार आयोग को और अधिक सशकत किया जाना चाहिए जिसमें प्रतिनिध्यात्मक संगठन; व्यापक पहुंच, प्रभाविकता; स्वतंत्रता; पर्याप्त संसाधन; और जांच की पर्याप्त शक्ति शामिल हैं।

मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा 2(क) मानव अधिकारों को संविधान द्वारा प्रत्याभूत, जीवन समानता एवं वैयक्तिक गरिमा से सम्बद्ध अधिकार के तौर पर परिभाषित करता है या वे अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय या संविदा में उल्लिखित होते हैं तथा भारत में न्यायालय द्वारा लागू कराए जाते हैं। इस प्रकार, कानून एनएचआरसी से सामाजिक एवं आर्थिक अधिकारों पर ध्यान लगाने के बजाय नागरिक एवं राजनीतिक अधिकारों पर फोकस करने की अपेक्षा करता है। यह दुर्भाग्यपूर्ण रहा है कि मानवाधिकार आयोग सरकार पर नागरिकों को सामाजिक एवं आर्थिक न्याय प्रदान कराने के लिए दबाव डालने की प्रभावी भूमिका नहीं निभा पाता है। आयोग की संरचना आमतौर पर गोपनीय फाइलों में टिप्पणी करने या राजनेताओं और उनके पसंदीदा नौकरशाहों के बीच बंद दरवाजों के पीछे चल रही बैठकों के दौरान निर्णित होती है।

अधिनियम की धारा-11 के अनुसार, केंद्र सरकार आयोग को अनुसंधान, जांच, तकनीकी एवं प्रशासनिक कार्य के लिए अधिकारी एवं अन्य स्टाफ मुहैया कराएगी। कानून के इस प्रावधान से आयोग अपने कार्य की जरूरत के लिए केंद्र सरकार पर निर्भर है। आयोग में कार्य करने वाले अधिकतर अधिकारी एवं स्टाफ भारत सरकार के विभिन्न कार्यालयों से आते हैं। सरकारी कार्यालयों में काफी समय तक कार्य करने के बाद वे आयोग में आते हैं, जिससे उनकी एक निश्चित सोच, बदलावों के प्रति बेहद प्रतिरोध, कार्य की नौकरशाही पद्धति और बुरी आदतों का एक भारी-भरकम बैकलॉग होता है। उन्हें मानव अधिकार दर्शन के बारे में कोई जानकारी नहीं होती है और न ही वे इसके लिए प्रतिबद्ध होते हैं।

आयोग को एक निश्चित मात्रा में शिकायतें प्राप्त होती रहती हैं। हालांकि, अध्ययन प्रकट करता है कि अधिकतर शिकायतें तीन या चार राज्यों से ही प्राप्त होती हैं। अधिकारों के प्रति जागरूकता, मात्र कुछ राज्यों तक सीमित होने से, सूचित नहीं होती। लगभग आधे मामलों को प्रथम दृष्टया खारिज कर दिया जाता है। ये मामले वे होते हैं जो आयोग के चार्टर में नहीं आते या समयबद्ध होते हैं या अर्द्ध-न्यायिक प्रकृति के होते हैं। इस तरह लोगों में आयोग के चार्टर के बारे में बेहद अज्ञानता होती है। आयोग में प्रत्येक वर्ष लंबित मामलों की संख्या बढ़ती जा रही है। आयोग को इसके कार्यों में पूरी तरह स्वतंत्र समझा जाता है, यद्यपि अधिनियम ऐसा उल्लेख नहीं करता। वास्तव में, अधिनियम में ऐसे प्रावधान हैं जो आयोग की सरकार पर निर्भरता को कम करते हैं लेकिन आयोग अपने मानव संसाधन सम्बन्धी जरूरतों के लिए सरकार पर निर्भर है। अधिनियम की धारा-32 के तहत् केंद्र सरकार, आयोग की अनुदान के तौर पर इतना पैसा देगी, जितना वह उपयुक्त समझे। इस प्रकार, मानव शक्ति एवं धन संबंधी जरूरतों, जो अत्यधिक महत्व के हैं, के परिप्रेक्ष्य में आयोग स्वतंत्र नहीं है।

सशस्त्र बलों के कर्मियों द्वारा मानवाधिकारों के उल्लंघन के मामलों की शिकायत की जांच

करने का अधिकार अधिनियम द्वारा आयोग को नहीं दिया गया है क्योंकि मानव अधिकार उल्लंघन की शिकायतों की बड़ी तादाद सशस्त्र बलों के कर्मियों के खिलाफ होती हैं, स्वाभाविक रूप से इन मामलों में लोगों की शिकायतों के एनएचआरसी द्वारा निपटान में अधिनियम इसे कमजोर बना देता है।

आयोग को अपने निर्णयों को लागू करने की शक्ति नहीं है। अधिनियम की धारा-18 के अनुसार, आयोग द्वारा हुई जांच में मानव अधिकारों के उल्लंघन के मामले स्पष्ट होने पर, आयोग केवल दोषी व्यक्ति के खिलाफ कार्यवाही करने और पीड़ित को राहत देने की सरकार को सलाह दे सकता है। यदि कोई सरकार सलाह मानने से इंकार कर देती है तो कानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो आयोग को इसकी सलाह को लागू करने के लिए सरकार को बाध्य करने को सशक्त करता हो।

एनएचआरसी की सीमाएँ

- आयोग केवल अनुशंसाएँ/संज्ञान लेने हेतु अधिकृत है न कि क्रियान्वयन का अधिकार रखता है।
- सशस्त्र बलों द्वारा किये जाने वाले मानवाधिकार उल्लंघन के मामले में आयोग के अधिकार अत्यधिक सीमित हैं।
- 1 वर्ष तक ही किसी शिकायत को अपने अधीन रखना, यह आयोग के कार्यों को सीमित करता है।
- आयोग के पास वित्तीय एवं मानव संसाधनों का अभाव है जिससे कि आयोग कुशलतापूर्वक एवं प्रभावी तरीके से कार्य नहीं कर पाता है।
- आयोग के जाँच के दायरे में जम्मू-कश्मीर को शामिल नहीं किया गया है, अतः वहाँ मानवाधिकार उल्लंघन के मामलों की आयोग जाँच नहीं कर सकता है।
- आयोग की सलाह सरकार पर बाध्यकारी नहीं है किन्तु इसकी सलाह पर की गई कार्यवाही पर उसे एक महीने के भीतर सूचित करना होता है कि संबंधित मुद्दे पर क्या कार्यवाही की गई। आयोग की संरचना में यह उल्लेखित है कि राज्य मानवाधिकार आयोग तथा जनपद मानवाधिकार न्यायालयों का गठन किया जाएगा जिनका अभी तक गठन नहीं किया गया है।

आगे की राह

- आयोग के रिपोर्टों को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए सरकार को विशेष प्रयास करना चाहिए।
- आयोग में सिविल सोसाइटी, एनजीओ, स्वयंसेवी संस्थाओं को भी शामिल किया जाना चाहिए।
- एनएचआरसी में शिकायत संज्ञान की अवधि को 1 वर्ष से बढ़ाए जाने की आवश्यकता है ताकि नीतिगत निर्णयों में अधिक सुधार हो सकें।
- हाल के दिनों में 'मी टू' मुद्दा काफी चर्चा में रहा है। ऐसे में पीड़ित/शिकार महिलाओं के पक्ष में एनएचआरसी जोर-शोर से मुद्दा उठा रहा है।
- आयोग के सामने वित्तीय संकट को सरकार को जल्द से जल्द खत्म करना चाहिए।
- आयोग में महिलाओं का प्रतिनिधित्व पर्याप्त मात्रा में हो, इसका ख्याल रखना होगा।
- इस प्रकार कहा जा सकता है कि लोकतंत्र के चार खंभों में एक और महत्वपूर्ण खंभा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जुड़ चुका है जो अपने नीतिगत निर्णयों या विचारों के बल पर देश की सरकार तथा न्यायालय की आँख-कान की भाँति काम कर रहा है।
- सरकार को चाहिए कि वह आयोग के कार्यों में राजनीतिक हस्तक्षेप को कम करें।
- बहरहाल कुछ कमियों के बाद भी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग आम लोगों में मानव अधिकार के प्रति सचेत करने में कामयाब रहा है।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-2

- संविधिक, विनियामक और विभिन्न अर्ध-न्यायिक निकाय।

■

4. भारत-रूस संबंध का नया दौर

चर्चा का कारण

भारत और रूस के बीच 19वें वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए रूसी राष्ट्रपति ब्लादिमीर पुतिन अपनी दो दिवसीय यात्रा में भारत आये और भारत के साथ 'एस-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम' जैसी महत्वपूर्ण खरीद के अलावा अन्य समझौतों पर भी हस्ताक्षर किये।

पृष्ठभूमि

- भारत सिर्फ दो देशों (रूस व जापान) के साथ वार्षिक द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन (Bilateral Summit) आयोजित करता है।
- रूस और भारत के संबंध बहुत पुराने रहे हैं क्योंकि रूस को सोवियत संघ की विरासत उत्तराधिकार के रूप में मिली थी। सोवियत संघ के साथ भारत की 'पीस एण्ड फ्रेंडशिप ट्रीटी' 1971 में हुयी थी, जिसके चलते भारत पाकिस्तान से 1971 का युद्ध जीता और बांग्लादेश का एक नए राष्ट्र के रूप में जन्म हुआ। इसके अलावा समय-समय पर सोवियत संघ ने संयुक्त राष्ट्र में कश्मीर मुद्दे पर भारत का साथ देते हुए कई बार वीटो का इस्तेमाल किया।
- सोवियत संघ के विघटन के बाद भारत चाहता था कि जिस प्रकार के संबंध उसके सोवियत संघ से थे, ठीक उसी प्रकार के संबंध रूस के साथ बने अर्थात् रूस, भारत को रक्षा तकनीक व हथियार उपलब्ध कराये किन्तु रूस ने अमेरिका के दबाव के चलते ऐसा नहीं कर पाया और भारत को महत्वपूर्ण क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी देने से मना कर दिया।
- आगे चलकर धीरे-धीरे भारत और रूस के आपसी संबंध काफी बेहतर हुए और 2010 में दोनों ने अपने संबंधों को 'विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी' (Special and Privileged Strategic Partnership) का दर्जा दिया, किन्तु पिछले 2-3 वर्षों से दोनों के संबंध उतार-चढ़ाव भरे रहे हैं। रूस चाहता है कि भारत उसे सोवियत संघ जैसी अहमियत देकर हथियारों का आयात करे किन्तु भारत की भी अपनी कुछ चिंताएँ (Concerns) हैं। भारत का कहना है कि रूस 'सोवियत संघ' की तरह उन्नत किस्म के न तो हथियारों की पूर्ति सुनिश्चित कर पा रहा है और न ही तकनीक को देने में दिलचस्पी रखता है। जिसके फलस्वरूप भारत अपनी रक्षा खरीद को विविधतापूर्ण बनाते हुए इजरायल और अमेरिका से भी हथियारों का आयात कर रहा है।
- भारत के न चाहते हुए भी इस समय विश्व व्यवस्था (विशेषकर एशिया) दो ध्रुवों में

बँटता जा रहा है। एक ध्रुव का नेतृत्व अमेरिका कर रहा है जिसमें भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया समेत कुछ अन्य पश्चिमी शक्तियाँ हैं और दूसरी तरफ रूस, चीन, ईरान और पाकिस्तान का ध्रुव बन रहा है। इस समस्या के चलते भारत ने इस साल (2018) की शुरूआत में रूस के साथ एक 'अनौपचारिक शिखर सम्मेलन' (Informal Summit) को आयोजित किया। इस सम्मेलन में भारतीय प्रधानमंत्री रूस गए और रूस को आश्वस्त किया कि भारत और यूएसए की दोस्ती को रूस के हितों के खिलाफ नहीं जाने देंगें और रूस ने भी कहा था कि भारत उसका पुराना एवं भरोसेमन्द साथी है।

19वें शिखर सम्मेलन में

भारत और रूस के बीच यह द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन का हाल ही में भारत में आयोजित हुआ और इसमें निम्न प्रमुख समझौते हुए-

- 'एस-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम' की खरीद पर हस्ताक्षर किए, किन्तु अभी इसके निर्माण या तकनीकी हस्तांतरण पर बातचीत नहीं हुई है।
- इस मिसाइल डिफेंस सिस्टम के अलावा रूस और भारत के बीच अंतरिक्ष में सहयोग हेतु एक समझौते पर भी हस्ताक्षर किया गया। अंतरिक्ष क्षेत्र में सहयोग हेतु हुए समझौते के तहत रूस के साइबेरिया के नोवोसिबिर्स्क में भारत एक मॉनीटरिंग सेंटर बनाएगा।
- इसके अतिरिक्त रूस ने भारत को गगनयान मिशन में सहायता दिए जाने का भी भरोसा दिया है।
- दोनों देश के प्रमुखों ने एक बिजनेस सम्मेलन को भी संबोधित किया और दोनों देशों के मध्य द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाने के उपायों पर जोर दिया। अभी रूस और भारत के बीच लगभग 10 बिलियन डॉलर का व्यापार होता है।

उपर्युक्त सौदों में 'एस-400 ट्रायंफ सिस्टम' की खरीद सबसे महत्वपूर्ण है। इसने दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग के क्षेत्र में नए युग का आरम्भ किया है और द्विपक्षीय सामरिक साझेदारी को नई दिशा दी है। तेजी से बदलते विश्व में भारत-रूस के संबंध इस खरीद से और भी अधिक प्रासंगिक हुए हैं। इसके अतिरिक्त 'एस-400 डील' की खरीद पर हस्ताक्षर की टाइमिंग बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि सन् 2015 में ही अमेरिका ने 'काटसा एक्ट' (काउंटरिंग अमेरिका एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शन एक्ट) के तहत स्पष्ट कर दिया था कि कोई भी देश यदि रूस, ईरान और उत्तर कोरिया के डिफेंस कम्पनी से किसी भी प्रकार की डील करता है तो उसे अमेरिका के हितों के खिलाफ माना जाएगा और उस देश पर प्रतिबंध भी लगाए जा सकते हैं।

कुछ समय पहले (लगभग 2 महीने) ही भारत और अमेरिका ने अपने रक्षा संबंधों को नई ऊँचाइयों पर ले जाते हुए 'कॉमकासा एग्रीमेंट' (COMCASA- Communication Capability and Security Agreement) पर हस्ताक्षर किये थे, यानि भारत एक तरफ अमेरिका के साथ अपने रक्षा संबंधों को मजबूती प्रदान कर रहा है और दूसरी तरफ पारम्परिक दोस्त 'रूस' से भी संबंधों में कटौती करने को तैयार नहीं है, तो ऐसे में आगे देखने लायक होगा कि क्या भारत अपने राष्ट्रीय हितों को केन्द्र में रखकर दोनों देशों (अमेरिका व रूस) के साथ संबंधों को अनुरक्षित कर पायेगा।

- रूस की 'एस-400 मिसाइल सिस्टम' को चीन पहले ही खरीद चुका है, जिसके परिणामस्वरूप अमेरिका ने चीन पर कई प्रतिबंधों को लगाया हुआ है। इसके अलावा इस मिसाइल सिस्टम को अन्य देश भी खरीदने के काफी इच्छुक हैं। यथा- सउदी अरब, तुर्की आदि।
- भारत अपनी 'एस-400' डील का ज्यादा प्रचार करने से बचा है, इसीलिए भारत एवं रूस ने अपनी संयुक्त वक्तव्य में इस डील का जिक्र नहीं किया है। भारत इस बात का प्रचार नहीं करना चाहता है कि काटसा एक्ट के होते हुए भी उसने रूस से बड़ी डिफेंस डील पर हस्ताक्षर किये।
- भारत एवं रूस के बीच इस 19वें शिखर सम्मेलन में गजप्रोम (रूसी पॉवर कम्पनी) और ओएनजीसी (भारतीय पॉवर कम्पनी) के बीच एग्रीमेंट होने के आसार थे किन्तु इसमें अभी सफलता नही मिल पायी है। इस एग्रीमेंट से भारत की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित होगी।

इस सम्मेलन से उभरने वाले मुद्दे

इस सम्मेलन में 'S-400 डील' मुख्य रही और डिफेंस डील ने कई मुद्दों को जन्म दिया है, जो निम्नांकित हैं-

1. इस डील को लेकर सभी की निगाहें यूएसए पर थीं कि वह कैसी प्रतिक्रिया करेगा। यूएसए ने अभी स्पष्ट किया है कि वह 'काटसा एक्ट' से किसी भी देश को पूरी तरह छूट प्रदान नहीं करेगा, इसके लिए वह निर्णय 'ट्राजेक्शन' (Transaction) के आधार पर लेगा अर्थात् भिन्न-भिन्न केसों की सुभेद्दता के आधार पर प्रतिबंधों को लगाने या न लगाने का निर्णय लिया जायेगा, किन्तु भारत रूस के साथ डिफेंस संबंधों को नई धार देने के लिए यहीं पर रूकने वाला नहीं है, वह अभी रूस से कामोस हेलीकॉप्टर और असाल्ट राइफल आदि रक्षा खरीदों पर हस्ताक्षर करेगा।

   नोटः भारत ने परम्परागत रूप से अपनी 'रणनीतिक स्वायत्तता' (Strategic Autonomy) पर जोर दिया है। भारत ने अपने इस गुण को शीत युद्ध (जब विश्व दो ध्रुवों में बँटा हुआ था) के दरम्यान भी अच्छे से कायम रखा। शीत युद्ध के समय भारत ने गुट निरपेक्षता की भावना को अपनी विदेश नीति में केन्द्र में रखा और यूएसए व सोवियत संघ से समान रूप से संबंधों को पोषित किया। भारत ने किसी भी महाशक्ति के दबाव मे आकर अपने राष्ट्रीय हितों को ताक पर नहीं रखा, जबकि साउथ कोरिया और जापान आदि यूएसए के दबाव में आकर अपनी विदेश नीति को दिशा देते हैं।

2. सोवियत संघ की 'दक्षिण एशिया नीति' बिल्कुल स्पष्ट थी, जिसमें वह भारत को अपना प्रमुख सहयोगी मानता था और पाक से उसने किसी प्रकार के भी संबंधों को नकारा था, लेकिन रूस की दक्षिण एशिया नीति स्पष्ट नहीं है। रूस पाकिस्तान को विभिन्न प्रकार के हथियार बेचता है और सैन्य अभ्यास को भी आयोजित करता है। इसके अलावा रूस कश्मीर मुद्दे पर भी लाइन से हटने तक पर भी विचार कर रहा है, जो कि भारत के लिए बेहद संवेदनशील मामला है। रूस अफगानिस्तान में पाक की ही तरह तालिबान को सपोर्ट करता है, जिसके भारत खिलाफ है। तो ऐसे में भारत-रूस के बीच रक्षा संबंध किस तरह ऊँचाइयों पर पहुँचेगे।
3. पिछले कुछ समय से चीन और रूस के बीच काफी जुगलबंदी बढ़ी है। रूस ने चीन और मंगोलिया के साथ मिलकर एक बड़े सैनिक युद्धाभ्यास को संपन्न किया। भारत, रूस का चीन की ओर होने वाले झुकाव से भी चिंतित है।
4. यूएसए ने अपनी नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी में माना है कि रूस और चीन संशोधनवादी शक्तियाँ (Revisionist Power) हैं क्योंकि ये दोनों देश चाहते हैं कि एकध्रुवीय (अमेरिका केन्द्रित) विश्व व्यवस्था परिवर्तित होकर बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था में बदले, जिसमें यूएसए के अलावा रूस, चीन और भारत जैसे अन्य ध्रुव भी हों। भारत भी कुछ इसी प्रकार की बहुध्रुवीय व्यवस्था चाहता है।

भारत न तो अमेरिका के दबाव में अपनी विदेश नीति को दिशा देना चाहता है और न ही उसका पिछलग्गू बनना चाहता है, किन्तु वर्तमान में विश्व व्यवस्था में जिस प्रकार के समीकरण उभरकर सामने आ रहे हैं, उसमें भारत को सभी के साथ अच्छे संबंधों को बनाए रखना काफी चुनौतीपूर्ण है। अमेरिका ने कई बार संकेत दिये हैं कि भारत या तो अमेरिका के साथ रहे या फिर रूस के साथ। भारत को ऐसी स्थिति में शीत युद्ध जैसी अपनी रणनीतिक स्वायत्तता को बनाए रखना काफी मुश्किल होगा।

आगे की राह

- भारत और रूस के बीच संबंध ऐसे मोड़ पर खड़े हैं कि यदि अभी दोनों देशों ने अपनी चिंताओं का पता लगाकर निदान नहीं किया तो आगे चलकर गम्भीर स्थितियाँ उत्पन्न होंगी।
- भारत को चाहिए कि रूस, चीन और पाकिस्तान के बीच मजबूत होते त्रिकोणीय संबंधों को मन्द (Dilute) करे और इन देशों के साथ भी अमेरिका की तरह ही अपने संबंधों को मजबूती प्रदान करे।
- भारत को अमेरिका का पिछलग्गू बनने की बजाय अपने राष्ट्रीय हितों को केन्द्र में रखकर विदेश नीति को डिजाइन करना चाहिए।
- अमेरिका ने ईरान के साथ भी अपनी परमाणु डील को रद्द किया है और अभी आगे आने वाले दिनों में ईरान पर विभिन्न प्रकार के प्रतिबंधों को लगायेगा। इसके अलावा चीन के साथ भी अमेरिका का ट्रेड वार जारी है। अत: भारत को रूस, ईरान व चीन आदि देशों को देखते हुए एशिया में अपनी कूटनीति को संतुलित करना होगा ताकि भारत की ऊर्जा, रणनीतिक और व्यापारिक सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-2

- द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह और भारत से संबंधित और/ अथवा भारत के हितों को प्रभावित करने वाले समझौते।

■

5. नोबेल पुरस्कार 2018: एक अवलोकन

चर्चा का कारण

2018 के लिए विभिन्न क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कारों की घोषणा कर दी गई है। हालाँकि साहित्य का नोबल इस बार नहीं दिया गया। पिछले 70 साल में ऐचसा पहली बार है जब साहित्य का नोबल नहीं दिया जाएगा। स्वीडन में सांस्कृतिक गतिविधियों का बड़ा चेहरा माने जाने वाले जियाँ क्लाउड अर्नोल्ड यौन अपराधों तथा वित्तीय आरोपों से घिरे हुए हैं। माना जा रहा है इससे अकादमी की छवि को गहरा धक्का लगा है इसीलिए अकादमी ने साहित्य का नोबल नहीं देने का फैसला किया है।

पृष्ठभूमि

- नोबेल पुरस्कार दरअसल एक पुरस्कार ही नही बल्कि एक ऐसा सम्मान है जो दुनिया में अलग-अलग क्षेत्रों में मानवता के लिए किये गये सर्वश्रेष्ठ कार्यों के लिए दिया जाता है। नोबेल पुरस्कारों की स्थापना स्वीडन के वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल ने की। अल्फ्रेड नोबेल का जन्म 1833 में स्वीडन के शहर स्टॉक होम में हुआ था। उनकी सबसे बड़ी खोज थी डाइनामाइट की जिसकी खोज उन्होंने 1866 में की। 1896 में उनकी मृत्यु हो गई। अपनी मौत के बाद अल्फ्रेड नोबेल अपनी वसीयत की सारी संपत्ति इन पुरस्कारों के नाम कर दी थी। उसके बाद 1901 में नोबेल पुरस्कार की शुरूआत कर दी गई। तब से उनकी ओर से छोड़े गये धन पर मिलने वाला ब्याज उन व्यक्तियों के बीच वार्षिक रूप से बाँटा जाता है, जिन्होंने विज्ञान (चिकित्सा, भौतिक एवं रसायन), साहित्य, शांति, और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान दिया हो।
- शुरूआत में नोबेल पुरस्कार पाँच विषयों में काम करने के लिए दिया जाता था। अर्थशास्त्र के लिए पुरस्कार स्वीडिश बैंक ने अपनी 300 वीं वर्षगाठ के मौके पर 1967 में शुरू किया। हालाँकि 1969 में पहली बार इस सम्मान को प्रदान किया गया, इसे अर्थशास्त्र में 'नोबल स्मृति पुरस्कार' भी कहा जाता है। नोबेल पुरस्कार विजेताओं की घोषणा अक्टूबर में की जाती है। परंतु पुरस्कारों का वितरण अल्फ्रेड नोबेल की पूण्यतिथि 10 दिसंबर को किया जाता है। प्रत्येक पुरस्कार में एक वर्ष में अधिकतम तीन लोगों को पुरस्कार दिया जा सकता है। इनमें से प्रत्येक विजेता को एक स्वर्ण पदक, डिप्लोमा, स्वीडिश नागरिकता और धन दिया जाता है।
- अगर इस पुरस्कार में दो विजेता हैं तो धनराशि दोनों में समानरूप से बाँट दी जाती है। अगर ये संख्या तीन हो तो ज्वाइंट समिति के पास यह अधिकार होता है कि वो धन तीनों में बराबर-बराबर बाँट दे या एक को आधा दे दे और बाकी दो को बचा धन बराबर-बराबर बाँट दे।

नोबेल के लिए किसी को कैसे चुना जाता है?

- पहले चरण में लोगों से नामांकन मंगाए जाते हैं फिर नामित हुए लोगों पर एक्सपर्ट्स विचार करते हैं। उनकी खासियत और योगदान पर चर्चा होती है। नामित हुए शख्स के बारे में उसके देश की सरकार समेत पूर्व नोबेल विजेताओं और विद्वानों से राय मांगी जाती है। इसके बाद ही किसी का नाम फाइनल होता है।
- किसी व्यक्ति को उसकी मौत के बाद नोबेल प्राइज के लिए नामित नहीं किया जा सकता। हांए अगर नामित के बाद मौत हो गई हो तो पुरस्कार दिया जा सकता है। ऐसा दो बार हो चुका है।

भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता	
पुरस्कार	क्षेत्र वर्ष
रवीन्द्र नाथ टैगोर	साहित्य (1913) के क्षेत्र में
सीवी रमन	भौतिकी (1930) के क्षेत्र में
हरगोबिंद खुराना	फिजियोलॉजी या मेडिसिन (1968) के क्षेत्र में
मदर टेरेसा	शांति (1979) के क्षेत्र में
सुब्रह्मण्यम चंद्रशेखर	भौतिकी (1983) के क्षेत्र में
अमर्त्य सेन	इकानॉमिक साइंसेज (1998) के क्षेत्र में
वी.एस. नायपॉल	साहित्य (2001) के क्षेत्र में
आर. के पचौरी/ टेरी	शांति के (2007) के क्षेत्र में
वेंकटरमन रामकृष्णन	रासायन विज्ञान (2009) के क्षेत्र में
कैलाश सत्यार्थी	शांति (2014) के क्षेत्र में

नोबेल पुरस्कार, 2018

1. चिकित्सा विज्ञान

किसे मिला: अमेरिका के जेम्स पी. एलिसन और जापान के तासुकू होंजो।

क्यों मिला: इम्यून चेकपॉइंट थ्योरी के लिए। कैंसर का नाम सुनते ही आज भी लोग शीहर उठते हैं। अब तक कैंसर का इलाज सर्जरी, रेडिएशन और कीमोथेरपी तक सीमित था लेकिन अब वैज्ञानिकों ने इसका आगे का रास्ता खोज लिया है। इसके इलाज का चौथा चरण भी सामने आने वाला है। कैंसर के इलाज के लिए नई पद्धति की खोज अमेरिका के जेम्स पी एलिसन, और जापान के तासुकू होंजों द्वारा किया गया है। इनके द्वारा विकसित उपचार को 'इम्यून चेक प्वाइंट थेरेपी' के नाम से जाना जाता है। इस थेरेपी से एडवांस कैंसर के मरीजों में बदलाव आया है। इनका रिसर्च जान लेवा बिमारी कैंसर के इलाज में मील का पत्थर साबित हो सकती है। इस पद्धति के जरिए हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम ही इस बिमारी से लड़ने में सक्षम हो जाता है।

दोनों वैज्ञानिकों ने कैंसर जैसी दुर्लभ बिमारी के इलाज के लिए ऐसी थेरेपी विकसित की है जिससे शरीर की कोशिकाओं में खुद इम्यून सिस्टम को कैंसर ट्यूमर से लड़ने के लिए मजबूत बनाया जा सकेगा

- पुरस्कार देने वाली स्वीडिस एकेडमी के मुताबिक इम्यून चेक प्याइंट थेरेपी से कैंसर के इलाज में काफी क्रांतिकारी बदलाव आया है। हमारा इम्यून सिस्टम हमें कई बिमारियों से बचाता है लेकिन अंदर से अपने ही ऊतकों के हमलों से बचने के लिए सेफगार्ड भी बनाता है तथा कुछ कैंसर उन ब्रिक्स का फायदा उठा सकते हैं और हमले से बच सकते हैं। 70 के दशक में एलिसन और होंजों ने वैसे प्रोटीन जो शरीर के विकास में रूकावट पैदा करते हैं को खत्म करके ट्यूमर पर हमला करने वाले हमारे इम्यून सिस्टम के लिए एक रास्ता ढूंढ निकाला। जिस बिमारी का पहले इलाज होना नामुमकिन था उसके लिए नई दवाईयां लाई गईं। इम्यून थेरेपी चेक प्वाइंट का उपयोग गंभीर मेलानोमा यानी त्वचा के अंदर के इलाज के लिए किया जा रहा है।
- ये थेरेपी सबके लिए प्रभावी नहीं है लेकिन कुछ मरीजों में बहुत ही अच्छी तरह कार्य कर रहा है जिसके परिणाम चौंकाने वाले हैं। नोबेल समिति के सदस्य एडवर्ड स्मिथ के अनुसार इस थेरेपी से पूरी तरीके से ट्यूमर से छुटकारा मिल रहा है चाहे वह शरीर में पूरी तरह से ही क्यों ना फैल गया हो। ऐसे मरीजों में इतने अच्छे परिणाम पहले कभी नहीं देखे गये हैं। एडवांस लंग्स कैंसर में भी कई डॉक्टर्स इस ट्रीटमेंट का उपयोग कर रहे हैं। अमेरिकी वैज्ञानिक जेम्स एलिसन ने अपनी किताब ''कैंसर इम्यूनों थेरेपी'' में उस प्रोटीन पर काम किया जो मानव रोग प्रतिरोधक क्षमता को कम करने में मुख्य भूमिका निभाता है। उन्होंने सिस्टम के नेगेटिव सेल्स को खत्म कर कैंसर के ट्यूमर को खत्म करने के तरीकों पर काम किया एवं इसके लिए उपचार पद्धति इजाद की ये कैंसर के खिलाफ नायाब पद्धति है।
- वहीं जापान के प्रोफेसर तासुकू होंजो ने प्रतिरक्षा कोशिकाओं में एक प्रोटीन का पता लगाया। इसके बाद वे इस नतीजे पर पहुँचे कि ये प्रोटीन
  - हमारे प्रतिरक्षा तंत्र व शरीर को तमाम बीमारियों से बचाता है।
  - इसे खास तरह के प्रोटीन से गाइड किया जाता है जिससे ये शरीर की कोशिकाओं को नुकसान नहीं पहुँचाएँ।
  - कैंसर कोशिकाएं भी इसी प्रोटीन की मदद से आस-पास चेक प्वाइंट बना लेती हैं।

लाभ : इन वैज्ञानिकों ने जिस इलाज को खोज लिया है उसकी मदद से इन्हीं प्रोटीन या चेक प्वाइंट को खत्म किया जा सकेगा।

- उसके बाद प्रतिरक्षा कोशिकाएं कैंसर कोशिकाओं को मारने में सक्षम हो जाएगी।
- इम्यून चेक प्वाइंट थेरेपी जैसी इलाज पद्धति से त्वचा, फेंफड़े और किडनी जैसे एडवांस कैंसर के इलाज में मदद मिलेगी।

2. रसायन विज्ञान

किसे मिला: अमेरिका की फ्रांसेस अर्नाल्ड, अमेरिका के जार्ज स्मिथ और ब्रिटेन के ग्रेगरी विंटर

क्यों मिला: डायरेक्ट इवॉल्यूशन और फेज डिस्प्ले के क्षेत्र में नई खोजों के लिए।

इन तीनों वैज्ञानिकों ने इंसानों के शरीर में एन्जाइम और एण्टीबॉडीज विकसित करने के लिए क्रमिक विकास के सिद्धांतों का प्रयोग कर जैव ईंधन से लेकर औषधी तक हर चीज में इस्तेमाल होने वाले एन्जाइम्स का विकास किया।

2018 के नोबेल विजेताओं ने डार्विन के सिद्धांत को परखनली में उतार दिया है साथ ही आण्विक स्तर पर क्रम विकास की प्रक्रियाओं की समझ का इस्तेमाल कर अपनी प्रयोगशाला में इसे मूर्तरूप दिया। इसके तहत क्रम विकास की गति हजारों गुना तेज की गई और इसे नये प्रोटीन के निर्माण के लिए इस्तेमाल किया गया।

इन तीनों वैज्ञानिकों ने एन्जाइम और एण्टीबॉडी जैसे खास प्रोटीन को विकसित करने के लिए क्रमिक विकास की ताकत का इस्तेमाल किया जिससे कि खतरनाक चरण वाले कैंसर, गठिया, आँत के रोगों की कारगर दवाएँ और जैविक ईंधन बनाना संभव हुआ है।

लाभ

- प्रोफेसर अर्नाल्ड ने ऐसे एन्जाइम का विकास किया है जिससे जिवाश्म ईंधन जैसे जहरीले रसायनों की समस्या से निपटने में काफी मदद मिलेगी। 1993 में अर्नाल्ड ने एन्जाइम के विकास का अध्ययन किया। एन्जाइम भी प्रोटीन होते हैं जो रासायनिक प्रक्रिया को तेज कर देते हैं। अर्नाल्ड के द्वारा तैयार एन्जाइम का इस्तेमाल दवाइयों और नवीनीकृत ईंधन में किया जा रहा है।
- वांछित गुणों के साथ नए प्रोटीन के निर्माण की पद्धति का इस्तेमाल किया जा सकेगा।
- गन्ना को जैव ईंधन जैसे नवीकरणीय संसाधनों में बदलना मुमकिन होगा।
- साथ ही इसका इस्तेमाल से पर्यावरण अनुकूल रासायनिक पदार्थ बनाना संभव होगा।
- इसके जरिए कम तापमान में कपड़ा धोनें और बर्तन धोने वाले डिटरजेंट जैसे रोजमर्रा के उत्पादों को बेहतर बनाया जा सकेगा।
- जार्ज स्मिथ ने फेज डिस्प्ले नामक अनूठा तरीका विकसित किया है जिसके जरिए बैक्टीरिया को संक्रमित करने वाले वायरस बैक्टीरियोफेज तैयार किया गया है।
- इसका इस्तेमाल भी नए प्रोटीन तैयार करने में किया जा सकता है।
- फेज प्रक्रिया का इस्तेमाल कर नए एंटीबॉडी का विकास किया जा सकता है।
- इनसे गठिया, सोराइसिस और आंत की सूजन जैसी बिमारी के लिए दवाएँ बनाने में फायदा होगा।
- इसके अलावा जहरीले पदार्थों की काट के लिए एंटीबॉडी बनाने और कैंसर के इलाज में भी मदद मिलेगी।

3. **भौतिकी विज्ञान**

किसे मिला: अमेरिका के ऑर्थर ऑश्किन, फ्रांस के जेरार्ड मोउरो और कनाडा की डोना स्ट्रिकलैंड

क्यों मिला: लेजर फिजिक्स के क्षेत्र में अपने काम के लिए।

- कनाडा की ऑपटिकल फिजियोलिस्ट डोना स्ट्रीकलैण्ड 55 साल बाद भौतिकी में महिला नोबेल पुरस्कार विजेता हैं तथा भौतिकी में नोबेल पाने वाली तीसरी महिला हैं। उनसे पहले यह सम्मान 1963 में नाभिकीय संरचना पर खोज करने वाली 'मरिया मेयर' को दिया गया था।
- भौतिकी का पहला नोबेल पाने वाली पहली महिला मैरीक्यूरी थीं। उन्हें 1903 में पति पियरे क्यूरी और हेनरी बेकुरल के साथ संयुक्त रूप से रेडियो विकिरण खोज के लिए यह सम्मान मिला था। 96 साल के ऑश्किन ने 1987 में ऑप्टिकल ट्वीलर्स की खोज की। आर्थर ऑश्किन के जरिए पार्टिकल्स परमाणु, वायरस, और कोशिकाओं को पकड़ने वाली तकनीकी की खोज के लिए चुना गया। सामान्य भाषा में समझें तो ऑश्किन ने ऐसा आविष्कार किया जिससे रोशनी के रेडिएशन के दबाव का इस्तेमाल करके भौतिक वस्तुओं को हिलाया जा सकता है।
- भौतिकी के क्षेत्र में साझा नोबेल पाने वाले तीसरे वैज्ञानिक हैं फ्रांस के 'गेरार्ड मोउरो'। मोउरो के हाई इंटेन्सिटी अल्ट्रासॉट आप्टिकल पल्स को जेनेरेट करने के तरीके के लिए नोबेल पुरस्कार के लिए चुना गया है। मोउरो और स्ट्रिकलैंड ने अब तक के सबसे छोटे और सबसे ज्यादा शक्तिशाली लेजर पल्स तैयार किये हैं। ये सब मिलाकर उच्च तीव्रता वाले लेजर के लिए मानक बने। इन तीनों वैज्ञानिकों के तकनीक आज के दौर में आँखों की सर्जरी से लेकर कई क्षेत्रों में इस्तेमाल की जाती है। तीनों वैज्ञानिकों की खोज से भविष्य में लेजर सर्जरी से किये जाने वाले ज्यादा सटीक और प्रभावी बन पायगें।

4. **शांति (Peace)**

किसे मिला: इराक की नादिया मुराद और अफ्रीका के डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो के डेनिस मुकवेज

क्यों मिला: नादिया ने यौन हिंसा के खिलाफ मुहिम चलाई डेनिस ने यौन हिंसा की शिकार महिलाओं का इलाज किया।

समाज में क्या योगदान: 25 साल की नादिया को आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट ने अगवा कर लिया था। उनका तीन महीने तक शोषण हुआ। किसी तरह छूटने के बाद उन्होंने बताया कि कैसे IS आतंकी दिन-रात यजीदी लड़कियों का रेप करते थे और मन भरने पर बेच देते थे। उन्होंने इसके खिलाफ आवाज उठाइ जिसे दुनियाभर में सुना गया। 2016 में वह संयुक्त राष्ट्र की गुडविल ऐंबेसडर बनाई गई। नादिया शांति का नोबेल पाने वाली पहली इराकी नागरिक हैं।

कॉन्गो के डेनिस मुकवेज को 'डॉक्टर मिरैकल' के नाम से जाना जाता है। उन्होंने अपनी सारी जिंदगी कांगो में यौन हिंसा से पीड़ित महिलाओं के इलाज में बिताई। इनमें से अधिकांश महिलाएँ कांगो में लंबे समय तक चले गृहयुद्ध के दौरान यौन हिंसा की शिकार हुई थीं। डेनिस ने न सिर्फ महिलाओं का इलाज किया बल्कि कोई ऐक्शन न लेने पर कांगो समेत कई देशों की सरकारों की आलोचना भी की।

5. **अर्थशास्त्र**

किसे मिला: अमेरिकी अर्थशास्त्री (इकॉनमिस्ट) विलियम डी. नॉर्डहॉस और पॉल एम रोमर।

क्यों मिला: जलवायु परिवर्तन पर नई तकनीक की खोज के लिए।

समाज में क्या योगदान: विलियम और पॉल मैक्रोइकॉनमिक्स से ताल्लुक रखते हैं। दोनों ने प्रकृति और मार्केट इकॉनमी के बीच रिश्ते को विस्तार देने वाले मॉडल बनाए हैं और जलवायु परिवर्तन से होने वाले नुकसान को रोकने के तरीकों पर खोज की है। 21वीं सदी में पूरी दुनिया के सामने ग्लोबल वॉर्मिंग और इकॉनमिक डेवेलपमेंट दो सबसे बड़े सवाल हैं इन दोनों अर्थशास्त्रियों ने अपनी थ्योरीज में इन अहम सवालों के जवाब दिए हैं कि कैसे दुनिया के देश प्रकृति को नुकसान पहुंचाए बिना अपनी आर्थिक वृद्धि को लंबे समय तक बनाए रख सकते हैं। विलियम को जलवायु परिवर्तन इकॉनमिक्स का पितामह कहा जाता है जबकि पॉल वर्ल्ड बैंक के सीनियर वाइस प्रेजिडेंट हैं।

निष्कर्ष

विश्व के महानतम् कार्यों तथा खोज के लिए दिये जाने वाले नोबेल पुरस्कार के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि वित्तीय अपराध तथा यौन शोषण के आरोप के कारण शांति का नोबेल पुरस्कार दिया नहीं जा रहा है जिससे कि इस पुरस्कार की गरिमा को गहरा धक्का लगा है। अब आवश्यकता इस बात की है कि इस पुरस्कार को प्रदान करने से पहले संबंधित क्षेत्र के व्यक्ति के बारे में समुचित जानकारी प्राप्त किया जाए जिससे की ये पुरस्कार उन व्यक्तियों को न मिल सकें जो विवादित हैं। जिससे इस महान पुरस्कार की विश्वसनीयता तथा गरिमा बरकरार रहे।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-2

- महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थान, संस्थाएं और मंच-उनकी संरचना, अधिदेश।

■

6. बिजली संशोधन अधिनियम 2018: एक समीक्षा

चर्चा का कारण

हाल ही में विद्युत मंत्रालय विद्युत संशोधन अधिनियम 2018 को लाने जा रही है यह संशोधन विद्युत अधिनियम 2003 में परिवर्तन करके लाया जायेगा। देशभर में बिजली उपभोक्ताओं को 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराने को लेकर केंद्र सरकार ने प्रस्ताव रखा है। केंद्र सरकार के इस प्रस्ताव के अनुसार यदि बिजली वितरण कंपनियां ऐसा कर पाने में विफल रहती हैं तो तकनीकी गड़बड़ी को छोड़कर बाकी परिस्थितियों में बिजली गुल होने पर उन पर जुर्माना लगेगा। अभी दिल्ली जैसे कुछ शहरों में यह प्रावधान करने की मंशा जताई गई है तथा आगामी समय में पूरे देश के सभी शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में यह प्रावधान लागू हो जाएगा। इस पर अमल करने के लिए एक अप्रैल 2019 का समय तय किया गया है।

पृष्ठभूमि

भारत के संविधान में बिजली को समवर्ती सूची के अंतर्गत रखा गया है। इसके तहत इस विषय पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकते हैं।

भारत में बिजली का विकास 19वीं सदी के अंत में शुरू हुआ। सर्वप्रथम सन् 1897 में दार्जिलिंग में बिजली आपूर्ति शुरू हुई। 1899 में एक थर्मल केन्द्र कोलकाता में लगाया गया। उसके पश्चात् 1899 में तमिलनाडु के मेथुर में और 1902 में कर्नाटक के शिवसमुद्रम में जल-विद्युत केंद्र काम करने लगा। विदित हो कि स्वतंत्रता से पहले बिजली की आपूर्ति मुख्य तौर पर निजी क्षेत्र करता था और यह सुविधा भी कुछ शहरों तक ही सीमित थी। 1948 में जारी विद्युत आपूर्ति अधिनियम और पंचवर्षीय योजनाओं के विभिन्न चरणों में राज्य बिजली बोर्डों का गठन, देशभर में बिजली आपूर्ति उद्योग के सुव्यवस्थित विकास की ओर एक महत्वपूर्ण कदम था। इसके पश्चात् निरंतर विद्युत आपूर्ति को लेकर उद्योग व तकनीक में बढ़ोतरी की गई।

आज हालात यह है कि राष्ट्र के विकास के लिये बिजली रीढ़ की हड्डी की तरह हो गई है। इसकी महत्ता का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि समय-समय पर कई विद्युत अधिनियम पारित किए गए तथा उनमें समय के साथ संशोधन किया गया। उल्लेखनीय है कि भारत में सर्वप्रथम 1910 में भारतीय विद्युत अधिनियम लाया गया। यह प्राथमिक प्रयास था जिसके अंतर्गत बिजली आपूर्ति को कानूनी रूप से नियंत्रित किया गया। स्वतंत्रता के पश्चात इसमें परिवर्तन करते हुए 1948 में विद्युत आपूर्ति अधिनियम लागू किया गया तथा कालांतर में विद्युत आपूर्ति को नियंत्रित व नियमित किया गया। वर्ष 1998 में विद्युत नियामक आयोग अधिनियम द्वारा इसमें संशोधन किया गया।

इन तीनों अधिनियमों के प्रावधानों को समग्र रूप से विवेक युक्त बनाने के लिये राज्यों तथा विशेषज्ञों से विचार विमर्श के बाद विद्युत अधिनियम 2003 को भारतीय संसद से पारित कराया गया। इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य विद्युत के उत्पादन एवं वितरण में सुधार के साथ-साथ विद्युत उद्योग के क्षेत्र में प्रतिस्पर्द्धात्मक विकास को बढ़ावा देना था।

हाल ही में बिजली मंत्रालय द्वारा विद्युत अधिनियम 2003 में संशोधन का नया ड्राफ्ट लाए जाने की नीति बनाई गई है जो अपने आप में एक नई पहल साबित हो सकती है।

बिजली संशोधन अधिनियम 2018 के प्रमुख प्रावधान

- बिजली संशोधन अधिनियम, 2018 बदलते बाजार में गतिशीलता, नवीकरणीय क्षमता में वृद्धि के साथ गुणवत्तापूर्ण बिजली आपूर्ति प्रदान करने पर बल देता है।
- सब्सिडी और नुकसान के चक्र को तोड़ने के बाद, अधिनियम ने बिजली में डीबीटी (डयरेक्ट बेनिफिट ट्रॉसफर) भी पेश किया है। अधिनियम में प्रावधान है कि यदि राज्य सरकार या केंद्र सरकार किसी भी उपभोक्ता या उपभोक्ताओं के वर्ग को कोई सब्सिडी देने की इच्छा रखती है, तो ऐसी सब्सिडी लाभार्थी के सीधे बैंक खाते में हस्तांतरित की जाएगी।
- यह अधिनियम एक क्षेत्र में एक से अधिक बिजली आपूर्तिकर्ता के कार्य करने को मंजूरी प्रदान करने तथा उपभोक्ता के पास उनके पसंदीदा बिजली सप्लायर को चुनने का विकल्प होगा।
- बिजली संशोधन अधिनियम में जलविद्युत को नवीकरणीय स्रोत के तहत परिभाषित किया गया है। अधिनियम का उद्देश्य उपभोक्ता मामलों के विभाग के प्रतिनिधि के स्थान पर केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग में नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय से एक सदस्य को पेश करना है।
- पहली बार विद्युत अधिनियम ने स्मार्ट मीटर और प्रीपेड मीटर और इसके नियमों का उल्लेख किया है, जिसमें स्मार्ट मीटर स्थापित करना अनिवार्य है। यह बिजली की खपत और अपव्यय के उचित लेखांकन में मदद करेगा।
- मसौदे में कहा गया है कि 24×7 बिजली की आपूर्ति एक दायित्व है और राज्य बिजली नियामक आयोग बिजली वितरण कंपनी (डिस्को) को दंडित कर सकता है, अगर ऐसा करने में वह विफल रहती है। आयोग लाइसेंस को निलंबित या रद्द कर सकता है।
- अधिनियम में प्रावधान है कि, पीपीए (पॉवर परचेंजिग एग्रीमेंट) का उल्लंघन दंड का कारण हो सकता है जो आयोग द्वारा निर्धारित किया जा सकता है तथा दोषी को जुर्माने का भुगतान भी करना पड़ सकता है जो प्रति दिन एक करोड़ रुपये तक बढ़ सकता है, वही लाइसेंसधारकों के मामले में लाइसेंस का निलंबन और रद्दीकरण भी हो सकता है।

बिजली संशोधन अधिनियम के फायदे

- इन संशोधनों में क्रॉस सब्सिडी खत्म कर बिजली दरों में एकरूपता लाने का प्रावधान है। क्रॉस सब्सिडी खत्म होने से बिजली दरों में एकरूपता आएगी, जिससे उद्योग के लिए भी बिजली दरों में कमी आएगी क्योंकि घरेलू उपभोक्ताओं को सस्ती बिजली के लिए उद्योग पर पड़ने वाला भार खत्म हो जाएगा।
- बिजली क्षेत्र इस समय बिजली की कम मांग के संकट से जूझ रहा है। ऐसे में बिजली अधिनियम में प्रस्तावित संशोधनों से इसकी मांग बढने के साथ बिजली की आपूर्ति भी बेहतर हो सकती है।
- बिजली से चलने वाले वाहनों (ईवी) की जरूरत और उसकी बढ़ती स्वीकार्यता को चिह्नित कर अधिनियम में ईवी की चार्जिंग के लिए नियम बनाए गए हैं।
- इसकी धारा 14 में कहा गया है, चार्जिंग स्टेशनों के माध्यम से इलेक्ट्रिक वाहनों की बैटरी की चार्जिंग में होने वाला ट्रांजेक्शन को वितरण, ट्रेडिंग या आपूर्ति के रूप में नहीं माना जाएगा और यह नियम और शर्तों के मुताबिक होगा।
- ईवी चार्जिंग के लिए अलग से वाणिज्यिक कारोबार के रूप में देखा जाएगा, जिससे राज्यों और ईवी विनिर्माताओं को चार्जिंग संबंधी बुनियादी ढांचा बनाने मे मदद मिल सकेगी।
- ईवी चार्जिंग के लिए बिजली की दर और शुल्क भी प्रतिस्पर्धी कारोबार की तरह होगी और यह राज्यों के बिजली वितरण या निजी बिजली वितरण कंपनियों से अलग होगी। राज्य का नियामक ईवी के लिए बिजली की दरें तय करने के लिए स्वतंत्र होगा।
- पहली बार अधिनियम में ग्राहकों के लिए 24 घंटे बिजली आपूर्ति का प्रावधान किया गया है और अगर वितरण कंपनिया ऐसा करने में असफल रहती हैं तो जुर्माने का प्रावधान होगा। यह स्थिति लोगों को बिजली की समस्या से मुक्त करेगी।
- इस क्षेत्र के विशेषज्ञों का कहना है कि बिजली संशोधन अधिनियम 2018 की सख्त जरूरत है। सौभाग्य जैसी योजनाओं के माध्यम से जहां बिजली कनेक्टिविटी मुहैया कराई जा रही है, राज्यों को यह संज्ञान में लेना चाहिए कि बिजली की अबाध आपूर्ति हो, अन्यथा हर परिवार को बिजली देने का उद्देश्य पूरा नहीं होगा। बिजली मुहैया कराने और ऐसा न कर पाने पर जुर्माने का प्रावधान सही दिशा में उठाया गया कदम है।

- इस समय के कानून से इतर अधिनियम में आपूर्ति, भुगतान और जुर्माने से संबंधित हर नियम में अक्षय ऊर्जा खरीद को शामिल किया गया है।
- संशोधन अधिनियम की सीमा का विस्तार करते हुए यह भी प्रावधान किया गया है कि मेट्रो रेल नेटवर्क को भी वितरण लाइसेंस मिल सकता है।
- रेलवे के साथ मेट्रो रेल नेटवर्क भी अब खुली खरीद के माध्यम से किसी उत्पादक से सीधे बिजली खरीद सकेगा।
- अब तक इसने बिजली के लिए बिजली वितरण कंपनियों के साथ समझौता किया हुआ है। उदाहरण के लिए दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (डीएमआरसी) ने मध्य प्रदेश से सीधे अक्षय ऊर्जा खरीद के लिए समझौता किया है, लेकिन वितरण लाइसेंस न होने के कारण उसे अतिरिक्त पारेषण शुल्क का भुगतान करना पड़ता है।
- मौजूदा संशोधन से डीएमआरसी के वित्त पर सकारात्मक असर पड़ेगा और वह मूल्य पर नियंत्रण के साथ आपूर्तिकर्ता का चयन कर सकेगा। मेट्रो रेल नेटवर्क इस समय सभी मेट्रो शहरों और बड़े व मझोले शहर में फैल रहा है, जिससे बिजली की मांग बढ़ सकती है और वाणिज्यिक इस्तेमाल वाले बिजली उपभोक्ताओं के लिए दाम भी घट सकते हैं।
- मौजूदा प्रावधान बिजली चोरी को रोकेगी। कुल राजस्व का 50% (500 करोड़ रुपये) से ज्यादा हिस्सा बड़े उपभोक्ताओं से आता है। ऐसे उपभोक्ताओं के बिजली उपभोग ऑडिट से राजस्व में बढ़ोतरी की जा सकती है। प्रदेश में बिजली चोरी रोकने के लिए जो अभियान चल रहा है, उसमें बड़े उपभोक्ताओं के यहां बिजली चोरी के कई मामले पकड़े गए हैं।

सरकार के समक्ष चुनौतियाँ

बिजली संशोधन अधिनियम 2018 को लेकर जहाँ सरकार एक मन बना रही है वहीं दूसरी तरफ इसको लेकर राज्यों का रवैया नकारात्मक है। उन्हें लगता है कि यदि केन्द्र सरकार बिजली को अपने अधिकार क्षेत्र में लेगी तो इससे उनके राज्य में बिजली को लेकर केन्द्र का हस्तक्षेप बढ़ जाएगा और केन्द्र अनावश्यक तरीको से बड़े भू-संपत्तिवानों को फायदा पहुँचाएगी और आम जन इन सुविधाओं से अलग थलग हो सकता है। राज्यों द्वारा इस मुखर विरोध की अभिव्यक्ति दिल्ली में देखने को मिली है। इस संदर्भ में आलोचकों द्वारा संशोधन के विपक्ष में निम्न तर्क दिए जा रहे हैं-

- कम लोड व कम उपभोग वालों की तुलना में ज्यादा लोड व ज्यादा उपभोग वालों को अधिक दर पर बिजली मुहैया कराई जाएगी। इससे छोटे-मझोले उपभोक्ताओं और किसानों को सब्सिडी देने में कमी आएगी। बिजली अधिनियम में प्रस्तावित संशोधनों से यह व्यवस्था खत्म हो जाएगी और सभी उपभोक्ताओं को एक दर से बिजली दी जाएगी।
- आलोचकों का मानना है कि प्रस्तावित संशोधनों में धीरे-धीरे क्रॉस सब्सिडी खत्म करने की बात कही गई है। मौजूदा समय में पूरे देश में घरेलू उपभोक्ताओं और किसानों को सब्सिडी देने के लिए औद्योगिक व व्यावसायिक उपभोक्ताओं को महंगी दर पर बिजली दी जाती है।
- आलोचकों का मानना है कि इस संशोधन विधेयक से बिजली की दरों में तेज वृद्धि होगी और बिजली क्षेत्र पर केंद्र सरकार का पूरा नियंत्रण हो जाएगा तथा राज्य सरकारों को पूरी तरह से अलग-थलग कर दिया जाएगा।
- आलोचकों का यह भी मानना है कि यह संशोधन चुनी हुई निजी कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए किया जा रहा है। इससे देश भर में छोटे और मध्मय घरेलू उपभोक्ताओं के बिजली बिल तुरंत दो से तीन गुणा बढ़ जाएंगे।
- वर्तमान में बिजली नियामक आयोगों के तीन में दो सदस्य राज्य सरकार की पसंद के होते हैं। इस संशोधन में छह सदस्यीय चयन समिति का प्रस्ताव किया गया है, जिसमें केवल एक सदस्य को राज्य सरकार मनोनीत कर सकेगी, जबकि चार सदस्य केंद्र सरकार मनोनीत करेगी और एक सदस्य सर्वोच्च न्यायालय का पदस्थ न्यायाधीश होगा। इसका नतीजा यह होगा कि सभी राज्य बिजली नियामक आयोगों (एसईआरसीज) के गठन में केंद्र सरकार की भूमिका बढ़ जाएगी।
- आलोचको का तर्क है कि राष्ट्रीय स्तर पर भारत सरकार ने डिस्कॉम के आर्थिक संकट को पहचाना तथा माना है लेकिन निजी लाइसेंस प्रणाली के लागू करने से आर्थिक संकट और गहरायेगा। देश की कुल जनसंख्या का 30 फीसदी भाग बिजली आपूर्ति से वंचित है जबकि सरकार का कहना है कि 2019 तक देश की 100 फीसदी जनसंख्या को बिजली आपूर्ति के अधीन लाया जायेगा। पहले सरकार 100 फीसदी आपूर्ति शुरू करे उसके पश्चात निजीकरण की योजना पर विचार किया जाना चाहिए।

आगे की राह

बिजली संशोधन अधिनियम 2018 के प्रावधान अपने आप में एक नई पहल है चूँकि यह अधिनियम बिजली केन्द्रों को केन्द्र सरकार के अधीन करता है। इस संदर्भ में जहाँ एक ओर कई अवसर हैं तो वही दूसरी ओर सस्ती, बुनियादी, किफायती बिजली तक आम जन की पहुँच सुनिश्चित करने की चिंता भी है। ऐसे में जरूरत है कि राज्यों के मध्य एक बार पुनः विचार विमर्श कर उनके भय को दूर करने के पश्चात् इस अधिनियम को लागू किया जाए।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-3

- बुनियादी ढांचाः ऊर्जा, बंदरगाह, सड़क, विमानपत्तन, रेलवे आदि।

■

7. बढ़ते हुए वैश्विक तापन की बढ़ती चेतावनी

चर्चा का कारण

जलवायु परिवर्तन की वजह से तापमान में लगातार इजाफा हो रहा है। संयुक्त राष्ट्र ने अपनी एक ऐतिहासिक रिपोर्ट में कहा कि अभूतपूर्व स्तर की वैश्विक जलवायु परिवर्तन से बचने के लिए दुनिया को अपनी अर्थव्यवस्था और समाज में बड़ा बदलाव लाना होगा। इसमें कहा गया है कि आपदा से बचाव के लिए समय तेजी से बीतता जा रहा है। धरती की सतह का तापमान पहले ही एक डिग्री सेल्सियस बढ़ चुका है और यही जानलेवा तूफानों, बाढ़ और सूखे की स्थितियां पैदा करने के लिए एक महत्वपूर्ण कारक है। तापमान में यह बढ़ोतरी तेजी से तीन से चार डिग्री की ओर बढ़ रहा है और अगर ऐसा हुआ तो पृथ्वी पर जीवन दुश्वार हो जाएगा।

इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज (आइपीसीसी) ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन अगर इसी रफ्तार से जारी रहा तो कम से कम 2030 और अधिकतम 2050 तक धरती के तापमान में 1.5 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हो जाएगी।

क्या है ग्लोबल वार्मिंग?

ग्रीन हाउस गैस धरती से लौटने वाली सूरज की गर्मी को सोखकर धरती के तापमान को संतुलित रखती हैं लेकिन अगर धरती पर इन गैसों की मात्रा बढ़ जाए तो धरती का तापमान भी बढ़ जाता है जिसे ग्लोबल वार्मिंग की संज्ञा दी जाती है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी कार्बन डाईऑक्साइड, मीथेन, ओजोन, कार्बन मोनो ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड आदि ग्रीन हाउस गैसें हैं। कोयला, पेट्रोलियम पदार्थों, फ्रिज, एसी के प्रयोग से इन ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन होता है। इस वजह से धरती पर ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा काफी बढ़ गई है जिसका सीधा प्रभाव धरती के तापमान पर पड़ा है। ''एक अध्ययन के अनुसार 1750 से अब तक यानी औद्योगीकरण की शुरूआत के बाद धरती के तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हो चुकी है।

यूएनआईपीसीसी का परिचय

दुनिया के देशों ने संयुक्त राष्ट्रसंघ की अगुवाई में 'ग्लोबल वार्मिंग' के इन खतरों को देखते हुए एक साथ आने का फैसला लिया। ग्रीन हाउस गैसों खासकर कार्बन के उत्सर्जन को कम करने के लिए कई समझौते किए गए। जलवायु परिवर्तन पर अंतर-सरकारी पैनल (IPCC) जलवायु परिवर्तन से संबंधित वैज्ञानिक आकलन करने हेतु संयुक्त राष्ट्र का एक निकाय है जिसमें 195 सदस्य देश हैं। इसे संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) और विश्व मौसम विज्ञान संगठन (WMO) द्वारा 1988 में स्थापित किया गया था। इसका उद्देश्य जलवायु परिवर्तन, इसके प्रभाव और भविष्य के संभावित जोखिमों के साथ-साथ अनुकूलन तथा जलवायु परिवर्तन को कम करने हेतु नीति निर्माताओं को रणनीति बनाने के लिये नियमित वैज्ञानिक आकलन प्रदान करना है। IPCC आकलन सभी स्तरों पर सरकारों को वैज्ञानिक सूचनाएँ प्रदान करता है जिसका इस्तेमाल जलवायु के प्रति उदार नीति विकसित करने के लिये किया जा सकता है। IPCC आकलन जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिये अंतर्राष्ट्रीय वार्ताओं में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

जलवायु परिवर्तन पर सम्मेलन

जलवायु परिवर्तन पर लगाम लगाने के लिए सबसे पहले 1992 में रियो डी जनेरियो में संयुक्त राष्ट्रसंघ द्वारा 'पृथ्वी सम्मेलन' का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज (यूएनएफसीसी) का गठन हुआ। इसके गठन का उद्देश्य ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करना था। अभी इसमें अमेरिका सहित कुल 197 देश शामिल हैं। इन देशों के सम्मेलन को 'कांफ्रेंस ऑफ पार्टीज' (सीओपी) कहा जाता है। 'ग्लोबल वार्मिंग' के खतरों से निपटने की दिशा में सबसे पहला निर्णायक कदम 1997 में हुआ 'क्योटो प्रोटोकॉल' है। इस संधि के तहत सभी देशों ने मिलकर यह फैसला लिया कि वे 2012 तक ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के स्तर में 1990 में हो रहे ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन के स्तर से 5.2 फीसदी की कमी करेंगे। हालांकि यह समझौता 2005 में प्रभाव में आया।

'क्योटो प्रोटोकॉल' के बाद भी जलवायु परिवर्तन पर एक समझौते की जरूरत बनी रही। खासकर कार्बन के उत्सर्जन को कम करने को लेकर क्योंकि कार्बनजनित गैसों का हिस्सा ही ग्रीन हाउस गैसों में सबसे अधिक है। इसके बाद दिसम्बर, 2015 में पेरिस में हुई सीओपी की 21वीं बैठक में कार्बन उत्सर्जन में कटौती के जरिए वैश्विक तापमान में वृद्धि को 2 डिग्री सेल्सियस के अंदर सीमित रखने और 1.5 डिग्री सेल्सियस के आदर्श लक्ष्य को लेकर एक व्यापक सहमति बनी थी। इस बैठक के बाद सामने आए 18 पन्नों के दस्तावेज को सीओपी-21 समझौता या पेरिस समझौता कहा जाता है। अक्टूबर, 2016 तक 191 सदस्य देश इस समझौते पर हस्ताक्षर कर चुके थे। इस समझौते के तहत सभी सदस्य देशों को अपने कार्बन उत्सर्जन में कमी लानी थी लेकिन यह समझौता विकसित और विकासशील देशों पर एक समान नहीं लागू किया जा सकता था। इस वजह से इस समझौते में विकासशील देशों के लिए कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने के लिए आर्थिक सहायता और कई तरह की छूटों का प्रावधान किया गया है। 6-17 नवंबर, 2017 के मध्य बॉन (Bonn), जर्मनी में 'जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र संरचना अभिसमय' (UNFCCC) के पक्षकारों का 23वां सत्र (COP 23) का आयोजन किया गया।

क्या है रिपोर्ट?

आइपीसीसी के सह-अध्यक्ष और दक्षिण अफ्रीका के डरबन में इंवायरमेंट प्लानिंग एंड क्लाईमेट प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट के प्रमुख 'डेबरा रॉबर्ट्स' के अनुसार मानव इतिहास में संभवत: अगले कुछ साल बेहद अहम हैं। नीति निर्धारकों की 400 पृष्ठों की इस रिपोर्ट में इस बात को रेखांकित किया गया है कि ग्लोबल वार्मिंग ने किस तरह उस पर नियंत्रण पाने के मानवता के प्रयासों को विफल कर दिया है।

करीब एक दशक के वैज्ञानिक शोध के बाद जब 2015 में पेरिस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए तो अनुमान लगाया गया था कि जलवायु परिवर्तन सुरक्षित विश्व के लिए दो डिग्री सेल्सियस सुरक्षित होगा लेकिन ग्रीनपीस इंटरनेशनल के कार्यकारी निदेशक जैनिफर मॉर्गन ने कहा, वैज्ञानिकों ने जिन चीजों के भविष्य में घटित होने की बात कही थी, वह अब घटित हो रही हैं।

रिपोर्ट के मुताबिक, 1.5 डिग्री सेल्सियस की सीमा को नीचे रखने के लिए दुनिया को 2050 तक हर हालत में कार्बन न्यूट्रल बनना होगा। इसे समझाते हुए यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड के क्लाइमेट रिसर्च प्रोग्राम के प्रमुख 'माइल्स एलन' ने बताया कि जितनी कार्बन डाईऑक्साइड वातावरण में उत्सर्जित की जाए, उतनी ही कार्बन डाई ऑक्साइड को खत्म भी किया जाए।

- रिपोर्ट में जलवायु परिवर्तन संबंधी अनुमान की अनिश्चितताओं के बावजूद तापमान में 1.5 से 2.0 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होगी। आशंका वाले संभावित इलाकों में विकसित और विकासशील देशों के आर्थिक विकास में भारी अंतर भी दिखेगा।
- इसके परिणामस्वरूप रिपोर्ट में अफ्रीका और दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के अलावा मैक्सिको, भारत और ब्राजील में प्रति व्यक्ति विकास दर के आधार पर सकल घरेलू उत्पाद में उल्लेखनीय गिरावट आने की भी आशंका व्यक्त की गई है।
- वैश्विक तापमान बढ़ोतरी (ग्लोबल वार्मिंग) के क्षेत्रीय आधार पर विभिन्न खतरों के दायरे में आने वाले शहरों में सालाना 1.5 डिग्री सेल्सियस तापमान बढने की आशंका है।
- इस दायरे में दक्षिण एशिया में भारत, पाकिस्तान और चीन के अलावा उपसहारा क्षेत्र के अफ्रीकी देश, मध्य पूर्व और पूर्वी एशियाई देशों के तमाम शहर शामिल हैं।
- रिपोर्ट के अनुसार यद्यपि ग्लोबल वार्मिंग के कारण तापमान में 1.5 या 2.0 डिग्री सेल्सियस बढ़ोतरी वाले संभावित इलाकों के दायरे में उत्तरी गोलार्ध क्षेत्र को प्रमुखता से शामिल किया गया है, वहीं उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र और दक्षिणी गोलार्ध क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों पर इसका सर्वाधिक असर देखने को मिल सकता है।
- इस रिपोर्ट के मुताबिक अगर पृथ्वी का तापमान डेढ़ डिग्री सेल्सियस बढ़ता है, तो 2050 तक दुनिया के बड़े शहरों में रहने वाले कम से कम 35 करोड़ लोगों पर इन गर्म हवाओं का जानलेवा प्रभाव पड़ेगा।
- तापमान में वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखने के लिए कार्बन डाईऑक्साइड के उत्सर्जन में 2030 तक 45% की कटौती करनी होगी।

- रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री तक सीमित करने के लिए 2016 से लेकर 2035 तक करीब 2 लाख 40 हजार करोड़ अमेरिकी डॉलर्स के निवेश की जरूरत होगी, ये पूरी दुनिया के GDP का 2.5% है।
- वास्तविक समस्या यह है कि दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता जैसे शहरों के कुछ इलाके असामान्य रूप से गर्म हैं, ये भी ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हो रहा है।
- शहरों के तापमान में होने वाले इस वृद्धि को अर्बन हीट आइलैण्ड (Urban Heat Islands) कहा जाता है। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, गुवाहाटी, कोच्चि, और चेन्नई जैसे शहरों में हीट आइलैण्ड (Heat Islands) की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है।
- जैसे-जैसे शहर तरक्की कर रहे हैं, इन शहरों का मौसम गर्म होता जा रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि शहरों का निर्माण मौसम में आने वाले बदलाव को ध्यान में रखकर नहीं किया जा रहा। हमारे आधुनिक शहर एक तरह से माइक्रोवेव ओवेन (Microwave Oven) बन गए हैं जिनमें हम सभी को पकाया (Bake) जा रहा है।

ग्लोबल वार्मिंग के कारण

- **जीवाश्म ईंधन:** जब हम खाना बनाने या किसी अन्य काम के लिए कोयला जैसे जीवाश्म ईंधन जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है। कोयला जलाने वाले बिजली संयंत्रों से वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड भारी मात्रा में मुक्त होती है जोकि ग्रीन हाउस गैस है इसकी वृद्धि से वायुमंडल में न केवल वायु प्रदूषण होता है बल्कि यह ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण भी है।
- **वनों की कटाई:** पौधे जलवायु को विनियमित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं क्योंकि वे हवा से कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं और इसमें ऑक्सीजन को वापस छोड़ देते हैं। वन कार्बन सिंक (sink) के रूप में कार्य करते हैं। लेकिन मनुष्य खेती के लिए, शहरी और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए दुनिया भर में वनस्पति के विशाल क्षेत्रों को साफ करते हैं या लकड़ी और ताड़ के तेल जैसे पेड़ के उत्पादों को बेचते हैं। वैश्विक ग्रीनहाउस गैस प्रदूषण का एक-पांचवां हिस्सा वनों की कटाई और वन अवक्रमण से आता है।
- **अत्यधिक परिवहन का उपयोग:** जनसंख्या वृद्धि के साथ-साथ परिवहन के साधन भी बढ़ते जा रहे हैं। इन यातायात के साधनों में इस्तेमाल होने वाला पेट्रोल, डीजल जब जलता है तो भारी मात्रा में CO_2 और अन्य घातक गैसें उत्सर्जित होती हैं। ग्लोबल वार्मिंग में 90 प्रतिशत योगदान मानवजनित कार्बन उत्सर्जन का है।
- **भूमि पर रासायनिक उर्वरकों के उपयोग में वृद्धि:** आज के समय में अच्छे उत्पादन और खाद्यान्न सुरक्षा के लिए खेतों में रासायनिक उर्वरकों (पशु खाद के विपरीत) का उपयोग बढ़ गया है। नाइट्रोजन समृद्ध उर्वरकों के उपयोग की उच्च दर में भूमि के ताप भंडारण पर प्रभाव पड़ता है (नाइट्रोजन ऑक्साइड में कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में, प्रति यूनिट 300 गुना अधिक ताप मुक्त करने की क्षमता होती है)।
- **आधुनिक जीवन शैली:** आज के समय में रेफ्रीजरेटर, AC, कुलिंग मशीनों का उपयोग बहुत ज्यादा होने लगा है। इनके इस्तेमाल से क्लोरो-फ्लोरो-कार्बन गैस निकलती है जो एक ग्रीन हाउस गैस है।
- **औद्योगीकरण में वृद्धि:** औद्योगिक इकाइयों की चिमनियों से निकलने वाला धुआँ हानिकारक है और इनसे निकलने वाला कार्बन डाइऑक्साइड तापमान को बढ़ाता है इसके अलावा शहरीकरण, जनसंख्या वृद्धि, माँसाहार को बढ़ावा, पराली जलाना तथा जंगलों में बढ़ती आग की घटनाएँ, भौम जल का अत्यधिक दोहन, ज्वालामुखी का उद्गार आदि भी ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार हैं।

प्रभाव

- जब पृथ्वी का तापमान बढ़ता है तो बे मौसम बरसात होती है और इससे फसलों पर बुरा असर पड़ता है इससे बहुत से देशों में फसल का नुकसान होगा और कई फसलों की पैदावार कम होगी।
- एक अनुमान के मुताबिक ग्लोबल वॉर्मिंग की वजह से 2060 तक फसलों के नुकसान की वजह से दुनिया की अर्थव्यवस्था को 44 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हो सकता है। जाहिर है जब फसलों का नुकसान होता है तो महंगाई भी बढ़ती है, जिसका असर आम जनता की जेब पर पड़ता है।
- ग्लोबल वार्मिंग की वजह से दुनिया भर की झीलें सूख जाएंगी और स्वच्छ जल की भारी कमी हो जाएगी। 2 डिग्री तापमान बढ़ने पर साफ पानी के स्रोतों में 17% की कमी आ जाएगी।
- पृथ्वी का तापमान बढ़ने से समुद्र का जल स्तर भी बढ़ता है और अगर ऐसा हुआ तो समुद्र के पास बसे शहरों का बड़ा हिस्सा डूब सकता है समुद्र का लेवल 50 सेंटीमीटर बढ़ जाएगा। और इसका सबसे ज्यादा असर एशियाई देशों पर पड़ेगा, जिनमें भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और मालदीव प्रमुख हैं।
- पूरे एशिया में बाढ़ की वजह से हर साल 15 करोड़ लोग प्रभावित होंगे, फिलहाल ऐसे लोगों की संख्या 7 करोड़ है।
- सूखे और अकाल की वजह से दुनिया भर में विस्थापित होने वाले लोगों की संख्या बढ़ जाएगी।
- दुनियाभर की सरकारें पर्यावरण को बचाने के लिए बहुत बड़ी रकम खर्च करने पर मजबूर हो जाएंगी। जाहिर है इन नई योजनाओं का पैसा आम आदमी की जेब से ही जाता है इसे पर्यावरण टैक्स भी कहा जा सकता है। इतनी गर्मी की वजह से मलेरिया और डेंगू जैसी बीमारियां बढ़ जाएंगी।
- रिपोर्ट के मुताबिक, ग्लोबल वॉर्मिंग के कारण गरीबी भी बढ़ेगी। इसमें लिखा है, ग्लोबल वॉर्मिंग को दो डिग्री सेल्सियस की बजाय 1.5 डिग्री सेल्सियस तक रोकने से 2050 तक करोड़ों लोग जलवायु परिवर्तन से जुड़े खतरों, गरीबी में जाने से बच जाएंगे।

ग्लोबल वार्मिंग के अन्य प्रभाव: ग्लेशियरों का पिघलना, ओजोन परत में कमी, पर्यावरण में विषाक्त गैसों में वृद्धि, भयंकर तूफान, चक्रवात संबंधी और सूखा, विभिन्न प्रकार की त्वचा बीमारियां, कैंसर, पक्षियों और जानवरों की कई प्रजातियों का विलुप्त होना जो कि बदलते माहौल से निपटने में असमर्थ हैं। जंगल में आग की बढ़ती घटनायें, बाढ़ के बढ़ते जोखिम के कारण पहाड़ों पर बर्फ का पिघलना, भयंकर गर्मी के कारण रेगिस्तान में विस्तार, वन क्षेत्र का घटना आदि।

भारत पर प्रभाव

- एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत के कई शहरों में हीट आइलैण्ड प्रभाव (Heat Island Effect) देखा जा रहा है। दिल्ली में अधिकतम और न्यूनतम तापमान के बीच का फासला अब 2 डिग्री सेल्सियस तक कम हो चुका है।

- चेन्नई में सुबह के वक्त सिटी सेंटर का तापमान आसपास के हरे इलाकों के मुकाबले 3 से 4.5 डिग्री सेल्सियस तक ज्यादा होता है।
- इसी तरह तिरुअनंतपुरम में जब ठंडी हवाएं चलती हैं, तो ग्रामीण इलाकों का तापमान 3 से 4 डिग्री कम हो जाता है, जबकि इस शहर के केंद्र में तापमान में सिर्फ डेढ़ से 2 डिग्री सेल्सियस की कमी आ पाती है।
- गुवाहाटी में शहरी इलाके आसपास के इलाकों के मुकाबले 2 डिग्री ज्यादा गर्म रहते हैं जबकि कोच्चि में शहर का केंद्र बाकी इलाकों के मुकाबले 4.6 डिग्री सेल्सियस ज्यादा गर्म रहता है।
- किसी भी शहर को ठंडा रखने के लिए वहां वनावरण (Forest Cover) का दायरा बढ़ाना जरूरी होता है इसके साथ ही तालाब, नदियां और झीलें भी किसी शहर को ठंडा रखने में मदद करती है, लेकिन हमारे शहरों की हरियाली बहुत तेजी से कम हो रही है और इसकी वजह है शहरों में कंक्रीट (Concrete) का जंगल बन जाना इसका सबसे ज्यादा असर बैंगलुरू पर पड़ा है। एक अनुमान के मुताबिक 2025 तक बैंगलुरू शहर का 95% हिस्सा सिर्फ कंक्रीट (Concrete) से ही बना होगा।

आगे की राह

- कार्बन डाइऑक्साइड रिमूवल (सीडीआर) के लिये तकनीकें अभी भी अविकसित हैं। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 100 से 1000 गीगाटन (बिलियन टन) के बीच है जिसे हटाया जाना जरूरी है। वर्तमान में पूरी दुनिया 47 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करती है। जिसको जल्द से जल्द कम करने की जरूरत है।
- कार्बन उत्सर्जन को रोकने के लिये ऊर्जा, भूमि, शहरी अवसंरचना (परिवहन और भवनों सहित) तथा औद्योगिक प्रणालियों में तीव्र एवं दूरगामी नजरिये से बदलाव की आवश्यकता है।
- विकासशील देशों को बड़े पैमाने पर कार्बन उत्सर्जन से बचना चाहिये, जबकि विकसित देशों को अपने देश में ऐसी खपत पर रोक लगानी चाहिये, जो कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को बढ़ावा देती हो।
- वैश्विक रूप से कार्बन डाइऑक्साइड को कम करने के लिये अर्थव्यवस्था के वैसे क्षेत्र जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड का सर्वाधिक उत्सर्जन होता है में कम कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित करने वाली तकनीक, ऊर्जा दक्ष मशीनों और कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषकों को शामिल करना होगा।
- विज्ञान ने अपना फैसला सुना दिया है। इसने कार्रवाई और परिणामों की आशा भी प्रदान की है। अब नीति निर्माताओं की जिम्मेदारी बनती है कि 1.5 डिग्री सेल्सियस पर अस्तित्व बनाए रखने हेतु आवश्यक कार्रवाई करें।
- यह जरूरी है कि हम जीवाश्म ईंधन के उपयोग को और कारखानों में प्रदूषण को कम करें।
- वाहनों द्वारा उत्सर्जन का नियंत्रण भी आवश्यक है।
- हमें ऊर्जा के स्रोतों का उपयोग करना होगा जिसमें कार्बन का प्रयोग सीमित मात्रा में किया जाता हो जैसे कि सौर ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा और पवन ऊर्जा आदि।
- ग्लोबल वार्मिंग के विरुद्ध हमारी लड़ाई में सबसे बड़े सहायक पेड़ को काटने से संरक्षित किया जाना चाहिए और अधिक से अधिक वृक्ष लगाए जाने चाहिए।
- सार्वजनिक जागरूकता अभियान, बैठकों, सेमिनारों और सम्मेलनों और कार्यक्रमों में वृक्षारोपण, नदियों के प्रवाह को व्यवस्थित करने की आवश्यकता पर बल दिए जाने की जरूरतर है।
- हमें महानगरों पर बढ़ते दबाव को कम करना चाहिए। अगर हम ग्रामीण क्षेत्रों को विकसित करते हैं तो बड़े शहरों और महानगरीय क्षेत्रों पर अनावश्यक दबाव कम होगा। हमें आजीविका के वैकल्पिक साधनों को विकसित करना होगा।
- हमें जैव ईंधन, पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा जैसे प्राकृतिक, नवीकरणीय और स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों को इस्तेमाल करके कम कार्बन बनाने का लक्ष्य रखना चाहिए। हमें अक्षय ऊर्जा के साथ प्रदूषित जीवाश्म ईंधन निर्मित ऊर्जा को बदलना चाहिए।
- गैर-नवीकरणीय पदार्थ जैसे कि प्लास्टिक का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए।
- उष्णकटिबंधीय वनों को एक विशेष धन व्यवस्था के साथ संरक्षित किया जाना चाहिए तथा परमाणु ऊर्जा के उपयोग को कम किया जाना चाहिए।
- औद्योगिक और घरेलू अपशिष्ट का पुनर्नवीनीकरण किया जाना चाहिए।
- प्रदूषण-उत्पादक वाहनों पर प्रतिबंध लगा दिया जाना चाहिए।
- हमें एयर कंडीशनर और अन्य शीतलन उपकरण के इस्तेमाल को कम करना चाहिए।
- उन सभी देशों में सोलर पावर का उत्पादन होता है जहां तीव्र सूरज की रोशनी बहुतायत में उपलब्ध होती है। सभी केंद्रों को विद्युत ग्रिड के माध्यम से जोड़ा जाना चाहिए और पूरे विश्व में फैला हुआ होना चाहिए ताकि बिजली उत्पादन 24 घंटों के लिए संचयी रूप से जारी हो सके। यह सौर ऊर्जा उत्पादन को अधिकतम करके ग्लोबल वार्मिंग की समस्या को नियंत्रित करने में भी मदद कर सकता है।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-3

- संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण और क्षरण, पर्यावरण प्रभाव का आकलन।

■

सात विषयनिष्ठ प्रश्न और उनके मॉडल उत्तर

नारी सशक्तिकरण बनाम फ्यूचर ऑफ वर्क इन इंडिया

प्र. ''हाल ही में विश्व आर्थिक मंच (WEF) द्वारा जारी रिपोर्ट 'फ्यूचर ऑफ वर्क इन इंडिया' के अनुसार भारत में उच्च संवृद्धि वाली कंपनियाँ नियुक्ति के मामले में महिलाओं की तुलना में पुरुषों को वरियता दे रही हैं'' इसका क्या कारण है तथा इसके समाधान के लिए आवश्यक उपायों की चर्चा करें।

उत्तरः

दृष्टिकोण

- चर्चा का कारण
- क्या है रिपोर्ट?
- रिपोर्ट के अनुसार महिलाओं की स्थिति
- वर्तमान में महिलाओं की स्थिति
- महिलाओं की श्रमबल में कम भागीदारी का कारण
- आगे की राह

चर्चा का करण

- हाल ही में विश्व आर्थिक मंच ने ऑवजर्वर रिसर्च फाउंडेशन (ORF) के सहयोग से 'फ्यूचयर ऑफ वर्क इन इंडिया' रिपोर्ट जारी की है।
- यह रिपोर्ट भारत में रोजगार सृजन, कार्यस्थल, रोजगार के रूझानों और संबंधों तथा काम की प्रकृति को लेकर परिवर्तनीय प्रौद्योगिकी के प्रभाव पर प्रकाश डालती है।

क्या है रिपोर्ट?

- रिपोर्ट के अनुसार एक-तिहाई कंपनियों में कोई भी महिला कर्मचारी नहीं है।
- रिपोर्ट के अनुसार प्रत्येक तीन से एक कंपनी महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों को काम पर रखने में प्राथमिकता देती है।

रिपोर्ट के अनुसार महिलाओं की स्थिति

- देश में 71 फीसदी कंपनियाँ ऐसी हैं, जहाँ महिला कर्मचारी रखी तो गई हैं लेकिन उनकी संख्या 10 फीसदी से भी कम है।
- देश में महिलाकर्मियों की आय पुरुषों के मुकाबले औसतन 16.1 फीसदी कम है, जोकि वैश्विक स्तर पर कमाई में अंतर के बराबर है।

वर्तमान में महिलाओं की स्थिति

- भारत की संसद में वर्तमान में सिर्फ 11% महिला ही हैं।
- ISRO के कुल कर्मचारियों 14,246 का केवल 20% महिलाएँ हैं और 1963 में इसकी स्थापना से लेकर अब तक कोई भी महिला इसकी अध्यक्ष नहीं बन पायी हैं।

महिलाओं की श्रमबल में कम भागीदारी के कारण

- लिंग असमानता, सामाजिक- सांस्कृतिक ताना-बाना, असुरक्षा की भावना, शिक्षा की कमी, पितृसत्तात्मक समाज, प्रोत्साहन की कमी, सरकारी योजनाओं का अभाव, कौशल विकास शिक्षा तथा संस्थाओं का अभाव आदि को दर्शाएँ।

आगे की राह

- महिलाओं को आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा राजनैतिक रूप से सशक्त किया जाए।
- कार्य स्थल पर महिलाओं की सुरक्षा के लिए महिला सेल का गठन किया जाए साथ उन स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे से निगरानी रखी जाएं। ■

ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2018 और भारत

प्र. ग्लोबल हंगर इंडेक्स से आप क्या समझते हैं? इस संदर्भ में भारत कि वर्तमान स्थिति का जिक्र करते हुए सरकार द्वारा इसको लेकर किए गए प्रयासों की चर्चा करें।

उत्तरः

दृष्टिकोण

- चर्चा का कारण
- क्या है ग्लोबल हंगर इंडेक्स?
- भारत की वर्तमान स्थिति
- सरकार द्वारा प्रयास
- आगे कि राह

चर्चा का कारण

- हाल ही में जारी किये गए ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2018 के अनुसार, पाँच वर्ष से कम आयु के पाँच भारतीय बच्चों में से एक बहुत अधिक कमजोर है जो कि अल्पपोषण की विकट स्थिति को दर्शाता है।

क्या है ग्लोबल हंगर इंडेक्स?

- वैश्विक भुखमरी सूचकांक (GHI - Global Hunger Inden) विश्व के विकासशील देशों में भुखमरी एवं कुपोषण की गणना एवं इसके तुलनात्मक अध्ययन हेतु एक बहुआयामी साधन है। इस इंडेक्स में दिखाया जाता है कि दुनिया भर में भूख के खिलाफ चल रही देशों की लड़ाई में कौनसा देश कितना सफल और कितना असफल रहा है।

- इस तरह के सर्वेक्षण की शुरुआत इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट ने की और वेल्ट हंगरलाइफ नामक एक जर्मन स्वयंसेवी संस्थान ने इसे सबसे पहले वर्ष 2006 में जारी किया था। वर्ष 2007 से इस अभियान में आयरलैंड का भी एक स्वयंसेवी संगठन शामिल हो गया। कुछ वर्षो से रिपोर्ट को संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावित 2030 के एजेंडे से भी जोड़ा गया है जिसमे जीरो हंगर का लक्ष्य रखा गया है।

भारत कि वर्तमान स्थिति

- रिपोर्ट के अनुसार, भारत को इस सूचकांक में 119 देशों में से 103वाँ स्थान दिया गया है तथा देश में भुखमरी के स्तर को 'गंभीर' श्रेणी के रूप में वर्गीकृत किया गया है। पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष भारत की रैंकिंग में तीन स्थान की गिरावट आई है।
- दक्षिण सूडान में बच्चों में आयु के अनुपात में कम वजन का जनसंख्या में प्रसार 28% है जो कि विश्व में सर्वाधिक है।

सरकार द्वारा प्रयास

- इन प्रयासों को निम्न बिंदुओं के अंतर्गत समझा जा सकता है -
  - महात्मा गाँधी रोजगार गारंटी योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम, मध्यान्ह भोजन योजना, समन्वित बाल विकास कार्यक्रम तथा अन्नपूर्णा योजना आदि योजनाएं गरीबी और भुखमरी उन्मूलन हेतु चलाई जा रही हैं।
  - सरकार द्वारा देशभर के 25 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में कुल मिलाकर 966 पोषण पुनर्वास केंद्र संचालित किये जा रहे हैं। पोषण पुनर्वास केंद्रो पर 2015-16 में लगभग 1,72,902 बच्चों को भर्ती कराया गया था। उनमें से 92,760 को सफलतापूर्वक बचाया गया था।

आगे कि राह

- उपरोक्त अध्ययन का कुल निचोड़ यह है कि सरकारी प्रयास सरहनीय है लेकिन जरूरी है की इसके समक्ष जो चुनौती है उसे प्रभावी तरीके से किस प्रकार से निपटा जाए इस संदर्भ में कुछ उपाय अमल में लाए जा सकते हैं।
- सर्वप्रथम जरूरत है खाद्य उत्पादों के उचित भंडारण की उल्लेखनीय है कि खाद्य उत्पादों के उचित भंडारण के लिये देश में कोल्ड स्टोरेज की बुनियादी व्यवस्था को मजबूत किया जाए।
- सामाजिक क्षेत्र को इसके प्रति मजबूत प्रतिबद्धता दिखाने की जरूरत है।
- शादी विवाह में व्यंजनों की संख्या सीमित करने वाले नियम हैं लेकिन अब भी कागजों पर हैं इसको व्यवहारिक बनाने कि जरूरत है। ■

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के 25 वर्ष

प्र. हाल ही में 'लोकतंत्र के प्रहरी'' के नाम से विख्यात राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने अपने गठन के 25 वर्ष पूरे किये हैं। इन वर्षों में मानवाधिकार आयोग द्वारा किये गये कार्य तथा उसके सामने विद्यमान चुनौतियों की समीक्षा करें।

उत्तरः

दृष्टिकोण

- चर्चा का कारण
- एनएचआरसी क्या है?
- राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के कार्य
- आयोग की सीमायें
- आगे की राह

चर्चा का कारण

- हाल ही में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 'लोकतंत्र के प्रहरी' राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के 25 वर्ष पूरे होने पर रजत जयंती (सिल्वर जुबली) कार्यक्रम का उद्घाटन किया।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग क्या है?

- राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग संयुक्त राष्ट्र के ह्यूमन राईट्स के आधार पर स्थापित एक स्वायत्त विधिक संस्था है।
- आयोग की स्थापना 12 अक्टूबर 1993 को हुई थी जो मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत की गई थी।

मानवाधिकार आयोग के कार्य

- मानवाधिकार से संबंधित हिंसा के मामले को देखना।
- यदि लोकसेवकों द्वारा हिंसा के कारकों को दबाया या ध्यान नहीं दिया जाता है तो इसको संज्ञान में लेना।

मानवाधिकार आयोग की सीमायें

- आयोग केवल अनुशंसाएँ/संज्ञान लेने हेतु अधिकृत है न कि क्रियान्वयन का अधिकार रखता है।
- सशस्त्र बलों द्वारा किये जाने वाले मानवाधिकार उल्लंघन के मामले में आयोग के अधिकार अत्यधिक सीमित हैं।
- आयोग के पास वित्तीय एवं मानव संसाधनों का अभाव है जिससे कि आयोग कुशलतापुर्वक एवं प्रभावि तरीके से कार्य नही कर पाता है।

आगे की राह

- आयोग के रिपोर्टो को सफलतापूर्वक लागू करने के लिये सरकार को विशेष प्रयास करना होगा।
- आयोग में सिविल सोसाइटी, एनजीओ, स्वयंसेवी संस्थाओं को भी शामिल किया जाना चाहिए।
- आयोग के सामने जो वित्तीय समस्यायें हैं, सरकार को उसे जल्द से जल्द खत्म करना चाहिए। ■

भारत-रूस संबंध का नया दौर

प्र. भारत अपनी रणनीतिक स्वायत्तता को बनाएँ रखने के लिए बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था की चाहत रखता है। भारत के इस मंतव्य को साकार होने में किस प्रकार की वैश्विक बाधाएँ मौजूद हैं? समीक्षा कीजिए।

उत्तरः

दृष्टिकोण

- चर्चा का कारण
- रणनीतिक स्वायत्तता का सिद्धान्त
- बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था का सिद्धान्त

- आगे की राह

चर्चा का कारण

- हाल ही में भारत-रूस के बीच 19वें शिखर सम्मेलन के दौरान 'एस-400' जैसी प्रमुख रक्षा खरीद हुयी।

रणनीतिक स्वायत्तता का सिद्धान्त

- रणनीतिक स्वायत्तता का तात्पर्य है कि कोई देश अपने राष्ट्रीय हितों को केन्द्र में रखकर बिना किसी महाशक्ति के दबाव में स्वतंत्र वैदेशिक नीति के तहत सामरिक निर्णय ले।

बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था का सिद्धान्त

- बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था का तात्पर्य है कि विश्व व्यवस्था में सिर्फ अमेरिका ही केन्द्रीय तत्व न रहे बल्कि अन्य ध्रुव भी उभरकर सामने आयें। यथा- चीन, भारत, रूस आदि।
- जब बहुध्रुवीय व्यवस्था होगी तभी भारत जैसे विकासशील देश स्वतंत्र रूप से अपने हितों के अनुरूप निर्णय ले सकेंगे।

चुनौतियाँ

- अमेरिका का काटसा एक्ट।
- चीन व रूस के बीच जुगलबंदी।

आगे की राह

- भारत को अपने हितों को केन्द्र में रखकर सभी से अच्छे संबंधों को स्थापित करना होगा।
- चीन, रूस व पाकिस्तान के बीच उभरते ट्राएंगल को मंद करने पर फोकस करना होगा। ■

नोबेल पुरस्कार 2018: एक अवलोकन

प्र. नोबेल पुरस्कार क्या है इस पुरस्कार को प्रदान करने की प्रक्रिया को बताते हुए इसके महत्व का उल्लेख करें।

उत्तर:

दृष्टिकोण

- चर्चा का कारण
- पृष्ठभूमि
- नोबेल पुरस्कार का चुनाव
- 2018 के नोबेल पुरस्कार
    - चिकित्सा
    - भौतिकी
    - रसायन
    - शांति
    - अर्थशास्त्र
- निष्कर्ष

चर्चा का कारण

- 2018 के लिए विभिन्न क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कारों की घोषणा कर दी गई है हालांकि साहित्य का नोबेल इन बार नहीं दिये जाने का फैसला लिया गया है।
- पिछले 70 साल में ऐसा पहली बार हो जब साहित्य का नोबेल नहीं दिया जाएगा।

पृष्ठभूमि

- नोबेल पुरस्कार दरअसल एक पुरस्कार ही नहीं हो बल्कि एक ऐसा सम्मान है जो दुनिया में अलग-अलग क्षेत्रों में मानवता के लिए किये गये सर्वश्रेष्ठ कार्यों के लिए दिया जाता है।
- प्रारंभ में नोबेल पुरस्कार पाँच विषयों में काम करने के लिए दिया जाता था। अर्थशास्त्र के लिए पुरस्कार स्वीडिश बैंक ने अपनी 300वीं वर्षगाठ के मौके पर 1967 में शुरू किया गया। हालांकि 1969 में पहली बार इस सम्मान को प्रदान किया गया।

नोबेल पुरस्कार का चुनाव

- पहले चरण में लोगों से नामांकन मंगाए जाते हैं, फिर नामांकित किये गये लोगों पर विशेषज्ञ विचार करते हैं।
- नामांकित हुए शख्स के बारे में उसके देश की सरकार पूर्व नोबेल विजेताओं और विद्वानों से राय मांगी जाती है इसके बाद ही किसी के नाम का चयन होता है।

2018 के नोबेल पुरस्कार

- कैंसर के इलाज के लिए नई पद्धति की खोज अमेरिका के जेम्स पीएलिशन और जापान के ताजुकों हांजो के द्वारा किया गया है। इनके द्वारा विकसित उपचार के 'इम्यून चेक प्वाइंट थेरेपी' के नाम से जाना जाता है।
- इन वैज्ञानिकों ने इंसानों के शरीर में एनजाइम और एण्टीबॉडी विकसित करने के लिए क्रमिक विकास सिद्धांतों का प्रयोग किया।
- आर्थर आस्किन को लंजर बीन के जरिए पार्टिकल्स परमाणु वायरस और कोशिकाओं को पकड़ने वाली तकनीकि की खोज के लिए चुना गया है।

निष्कर्ष

- विश्व के महानतम कार्यों तथा खोज के लिए दिये जाने वाले नोबेल पुरस्कार के इतिहास में पहली ऐसा हुआ है कि वित्तीय अपराध तथा यौन शोषण के आरोप के कारण शांति का नोबेल पुरस्कार दिया नहीं जा रहा है जिससे कि इस पुरस्कार की गरिमा को गहरा धक्का लगा है। ■

बिजली संशोधन अधिनियम 2018: एक समीक्षा

प्र. हाल ही में सरकार द्वारा बिजली संशोधन अधिनियम के कौन से प्रावधान किए गए है? यह प्रावधान कहाँ तक उद्योग व उपभोक्ता को फायदा पहुँचा सकते हैं? चर्चा करें।

उत्तर:

दृष्टिकोण

- चर्चा का कारण
- अधिनियम में प्रावधान

- अधिनियम के फायदे
- चुनौतियाँ
- आगे की राह

चर्चा का कारण

- हाल ही में बिजली मंत्रालय 'बिजली संशोधन अधिनियम 2018' लाने जा रही है यह संशोधन अधिनियम 'विद्युत अधिनियम 2003' में संशोधन करके लाया जायेगा

बिजली संशोधन अधिनियम 2018 में प्रावधान

- बिजली अधिनियम, 2003 के मसौदे में संशोधन अंततः समाप्त हो गया है और इसका लक्ष्य बदलते बाजार गतिशीलता, नवीकरणीय क्षमता में वृद्धि और गुणवत्ता पूर्ण बिजली आपूर्ति प्रदान करने की चुनौती के साथ तालमेल रखना है।
- डिस्क्स द्वारा किए गए सब्सिडी और नुकसान के चक्र को तोड़ने के बाद, अधिनियम ने बिजली में डीबीटी भी पेश किया है।
- अधिनियम कहता है: यदि राज्य सरकार या केंद्र सरकार किसी भी उपभोक्ता या उपभोक्ताओं के वर्ग को कोई सब्सिडी देने की इच्छा रखती है, तो ऐसी सब्सिडी लाभार्थी के सीधे बैंक खाते में सीधे लाभ हस्तांतरण द्वारा लाभार्थी को हस्तांतरित की जाएगी।
- उपभोक्ताओं को बिजली वितरण के लिए आधारभूत संरचना निर्माता को अलग करने और लाइसेंसधारक को अधिनियम में पेश किया गया है
- मसौदे अधिनियम ने नवीकरणीय खरीद दायित्व पेश किया है और इसे डिफॉल्ट रूप से परिभाषित करने के लिए दंड भी परिभाषित किया है।
- जलविद्युत नवीकरणीय स्रोत के तहत परिभाषित किया गया है, लेकिन परियोजनाओं का आकार नहीं है।
- पहली बार विद्युत अधिनियम ने स्मार्ट मीटर और प्रीपेड मीटर और इसके नियमों का उल्लेख किया है, जिससे स्मार्ट मीटर स्थापित करना अनिवार्य है
- मसौदे संशोधन प्रस्तावित करते हैं कि 24×7 बिजली की आपूर्ति एक दायित्व है और राज्य बिजली नियामक कमीशन बिजली वितरण कंपनी (डिस्को) को दंडित कर सकता है, अगर ऐसा करने में विफल रहता है।
- आयोग डिस्क्स के लाइसेंस को निलंबित या रद्द कर सकता है, जिसे पहली बार अनिवार्य किया गया है।
- अधिनियम में प्रवधान है कि, पीपीए का उल्लंघन दंड का कारण बनता है जो उचित आयोग द्वारा निर्धारित किया जा सकता है जो कि जुर्माना के रूप में हो सकता है जो प्रति दिन एक करोड़ रुपये तक बढ़ा सकता है, और लाइसेंसधारकों के मामले में लाइसेंस के निलंबन और रद्दीकरण के लिए भी विस्तार किया जाता है।

बिजली संशोधन अधिनियम के फायदे

- इन संशोधनों में क्रॉस सब्सिडी खत्म कर बिजली दरों में एकरूपता लाने का प्रावधान है।
- बिजली क्षेत्र इस समय बिजली की कम मांग के संकट से जूझ रहा है। ऐसे में बिजली अधिनियम में प्रस्तावित संशोधनों से इसकी मांग बढने के साथ बिजली की आपूर्ति भी बेहतर हो सकती है।
- बिजली से चलने वाले वाहनों (ईवी) की जरूरत और उसकी बढ़ती स्वीकार्यता को चिह्नित कर अधिनियम में ईवी की चार्जिंग के लिए नियम बनाए गए हैं।
- इसे ईवी चार्जिंग के लिए अलग से वाणिज्यिक कारोबार के रूप में देखा जाएगा, जिससे राज्यों और ईवी विनिर्माताओं को चार्जिंग संबंधी बुनियादी ढांचा बनाने मे मदद मिल सकेगी।
- ईवी चार्जिंग के लिए बिजली की दर और शुल्क भी प्रतिस्पर्धी कारोबार होगा और राज्यों के बिजली वितरण या निजी बिजली वितरण कंपनियों से अलग होगा।
- पहली बार अधिनियम में ग्राहकों के लिए 24 घंटे बिजली आपूर्ति का प्रावधान किया गया है और अगर वितरण कंपनियां ऐसा करने में असफल रहती हैं तो जुर्माने का प्रावधान होगा।
- रेलवे के साथ मेट्रो रेल नेटवर्क भी अब खुली खरीद के माध्यम से किसी उत्पादक से सीधे बिजली खरीद सकेगा।
- अब तक इसने बिजली के लिए बिजली वितरण कंपनियों के साथ समझौता किया हुआ है।
- मौजूदा संशोधन से डीएमआरसी के वित्त पर सकारात्मक असर पड़ेगा और मूल्य पर नियंत्रण के साथ आपूर्तिकर्ता का चयन कर सकेगा।
- मौजूदा प्रवधान बिजली चोरी को रोकेगी। विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक प्रदेश में 1.5 लाख से ज्यादा ऐसे उपभोक्ता हैं, जिनके पास 10 किलोवॉट या इससे ज्यादा का कनेक्शन है।

आगे कि राह

- बिजली संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवधान अपने आप में नई फल है जरूरत है कि सरकार सब राज्य के साथ मिलकर आपस में सर्वसहमती से इस फल को लागू करें। इस संदर्भ में सोलर एनर्जी पर भी ध्यान दिया जा सकता है यह लोगों के लिए एक अच्छा विकल्प बनकर उभरी है। इसकी मदद से न केवल बिजली का बिल कम किया जा सकता है, बल्कि ग्रिड एनर्जी से निर्भरता भी घटाई जा सकती है। यह पर्यावरण और सेहत के लिए भी अनुकूल है। ■

बढ़ते हुए वैश्विक तापन की बढ़ती चेतावनी

प्र. हाल ही में जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल ने ग्लोबल वार्मिंग पर विशेष रिपोर्ट 'ग्लोबल वार्मिंग 1.5°C' जारी किया है जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल का मुख्य निष्कर्ष और अनुमान क्या है?

उत्तर:

दृष्टिकोण

- चर्चा का कारण
- यूएनआईपीसीसी का परिचय
- क्या है रिपोर्ट?
- ग्लोबल वार्मिंग के कारण
- प्रभाव
- आगे की राह

चर्चा का कारण

- जलवायु परितर्वन की वजह से तापमान में लगातार इजाफा हो रहा है, इससे कराची और कोलकाता को साल 2015 जैसे गर्म थपेड़ों का सामना करना पड़ सकता है।
- आईपीसीसी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन अगर इसी रफ्तार से जारी रहा तो कम से कम 2030 और अधिकतम 2050 तक धरती के तापमान में 1.5°C की वृद्धि हो जाएगी।

यूएनआईपीसीसी का परिचय

- जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल (IPCC) जलवायु परिवर्तन से संबंधित वैज्ञानिक आकलन करने हेतु संयुक्त राष्ट्र का एक निकाय है।
- जलवायु परिवर्तन पर लगाम लगाने के लिए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) तथा विश्व मौसम विज्ञान संगठन द्वारा 1988 में यूएनआईपीसीसी का गठन किया गया।

क्या है रिपोर्ट?

- रिपोर्ट में जलवायु परिवर्तन संबंधी अनुमान की अनिश्चितताओं के बावजूद तापमान में 1.5 से 2.0°C की वृद्धि होगी। आशंका वाले संभावित इलाकों में विकसित और विकासशील देशों के आर्थिक विकास में भारी अंतर भी दिखेगा।
- तापमान में वृद्धि को 1.5°C तक सीमित रखने के लिए CO_2 के उत्सर्जन में 2030 तक 45% की कटौती करनी होगी।

ग्लोबल वार्मिंग के कारण

- जिवाश्म ईंधन, वनों की कटाई, अधिक परिवहन का उपयोग, भूमि पर रसायनिक उर्वरकों के उपयोग में वृद्धि, आधुनिक जीवन शैली, औद्योगीकरण में वृद्धि, शहरीकरण, जनसंख्या वृद्धि, मांसाहार को बढ़ावा, भौम जल का अत्याधिक दोहन आदि।

प्रभाव

- बेमौसम बरसात, उत्पादन में कमी, 2060 तक फसलों के नुकसान की वजह से दुनिया की अर्थव्यवस्था को 44 लाख करोड़ रुपये का नुकसान हो सकता है।
- पूरे एशिया में बाढ़ की वजह से हर साल 15 करोड़ लोग प्रभावित होंगे, फिलहाल ऐसे लोगों की सख्या 7 करोड़ है।

आगे की राह

- वायुमंडल में कार्बन डाऑक्साइड की मात्रा 100 से 1000 गीगाटन (बिलियन टन) के बीच है जिसे कम किया जाना है। वर्तमान समय में पूरी दुनिया 47 बिलियन टन CO_2 का उत्सर्जन करती है। जिसे जल्द से जल्द कम करने की जरूरत है।
- कार्बन उत्सर्जन को रोकने के लिए ऊर्जा, भूमि, शहरी अवसंरचना (परिवहन और भवनों सहित) तथा औद्योगिक प्रणालियों में तीव्र एवं दुरगामी नज़रिये से बदलाव की आवश्यकता है। ■

ध्येय IAS अब व्हाट्सएप पर
Dhyeya IAS Now on Whatsapp

ध्येय IAS के व्हाट्सएप ग्रुप से जुडने के लिए 9355174440 पर "Hi Dhyeya IAS" लिख कर मैसेज करें

आप हमारी वेबसाइट के माध्यम से भी जुड सकते हैं

www.dhyeyaias.com
www.dhyeyaias.in

ध्येयIAS®
most trusted since 2003

Address: 635, Ground Floor, Main Road, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi 110009
Phone No: 011-47354625/ 26 , 9205274741/42, 011-49274400

सात महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरें

राष्ट्रीय

1. माजुली द्वीप पर पहली बार रो-रो सेवा आरंभ

असम सरकार तथा भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (IWAI) द्वारा संयुक्त रूप से 11 अक्टूबर 2018 से माजुली द्वीप पर रोल-ऑन-रोल-ऑफ (रो-रो) सेवा आरंभ की गई। यह फेरी सेवा असम में पहली बार लॉन्च की गई है।

रोल-ऑन-रोल-ऑफ (रो-रो) सेवा को असम स्थित नीमती तथा माजुली द्वीप के मध्य आरंभ किया गया है। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण ने इस सेवा के लिए एमवी भूपेन हजारिका को तैनात किया है।

असम की रो-रो सेवा

- इस रो-रो सुविधा के कारण लगभग 421 किलोमीटर की सड़क मार्ग की दूरी घटकर मात्र 12.7 किलोमीटर रह गई है।
- सवारी जलयान का नाम एमवी भूपेन हजारिका रखा गया है। इसकी लम्बाई 46.5 मीटर है तथा इसकी चौड़ाई 13.3 मीटर है।
- यह जलयान एक बार में आठ ट्रक तथा 100 यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने की क्षमता रखता है।
- इसकी स्पीड 22 किलोमीटर प्रति घंटा है जो कि नदी में चलने वाले जलयान के लिए पर्याप्त है।
- इसके दो मुख्य इंजन है जबकि दो अन्य इंजनों को आपातकाल स्थिति के लिए रिजर्व में रखा गया है।

रोल ऑन रोल ऑफ (रो-रो) सेवा क्या है?

रो-रो फेरी सेवा से तात्पर्य उस प्रकार की यात्रा सेवा से हैं जिनकी सहायता से जल मार्ग पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाया जाता है। यह स्थानीय स्तर पर आरंभ की जाने वाली यात्राएं होती हैं। इसमें मौजूद जलयान द्वारा ट्रक, कार जैसे वाहनों सहित मनुष्य भी एक स्थान से दूसरे स्थान तक यात्रा करते हैं।

माजुली द्वीप

एक सितंबर 2016 को माजुली द्वीप को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में शामिल किया गया था। इसे विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप घोषित किया गया। इससे पहले तक ब्राजील के माराजो द्वीप के पास यह खिताब था। गिनीज बुक में यह भी कहा गया कि माजुली द्वीप में 1.60 लाख लोग रहते हैं। माजुली का जिला मुख्यालय जोरहाट शहर है जो यहाँ से 20 किमी की दूरी पर है। माजुली जाने के लिए जोरहाट से नियमित परिवहन सेवाएँ उपलब्ध हैं। माजुली जाने के लिए फेरी लेना जरुरी है क्योंकि यहाँ नदी पर पुल नहीं है। असम की राजधानी गुवाहाटी से माजुली द्वीप लगभग 200 किलोमीटर पूर्व में है। ■

2. भारत के पहले राष्ट्रीय पर्यावरण सर्वेक्षण की घोषणा की गई

पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा हाल ही में घोषणा की गई कि जनवरी 2019 से देश के 24 राज्यों और तीन केंद्र शासित प्रदेशों के 55 जिलों में भारत का पहला राष्ट्रीय पर्यावरण सर्वेक्षण (एनईएस) आयोजित किया जायेगा।

सर्वेक्षण के संपूर्ण ग्रीन डेटा का पहला सेट 2020 से उपलब्ध होगा जो कि जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तरों पर निर्णय लेने के लिये नीति निर्माताओं के हाथों में एक महत्त्वपूर्ण उपकरण प्रदान करेगा।

राष्ट्रीय पर्यावरण सर्वेक्षण

- सर्वेक्षण विभिन्न पर्यावरणीय मानकों जैसे- वायु, जल, मिट्टी की गुणवत्ता, उत्सर्जन सूची, ठोस, खतरनाक तथा ई-अपशिष्ट, वन तथा वन्यजीव, जीव तथा वनस्पति, आर्द्रभूमि, झीलों, नदियों और अन्य जल निकायों पर व्यापक डेटा एकत्र करने के लिये ग्रिड-आधारित दृष्टिकोण के माध्यम से किया जाएगा।
- यह देश भर के सभी जिलों की कार्बन आच्छादन क्षमता का भी आकलन करेगा।
- राष्ट्रीय पर्यावरण सर्वेक्षण सभी जिलों को उनके पर्यावरण प्रदर्शन पर रैंक प्रदान करेगा और वहां मौजूद सबसे हरित क्षेत्र आदि के बारे में बताएगा।
- सर्वेक्षण के बाद अगले वर्ष अर्थात 2020 से डेटा उपलब्ध होगा क्योंकि एकत्रित डेटा को संकलित करने में इतना समय लग जायेगा।
- देश के सभी 716 जिलों में तीन से चार साल की अवधि में सर्वेक्षण किये जाने की उम्मीद है। वर्तमान में, सभी 55 जिलों में आवश्यक प्रारंभिक कार्य और प्रशिक्षण किया जा रहा

है जहाँ अगले वर्ष राष्ट्रीय पर्यावरण सर्वेक्षण आयोजित किया जाएगा।

- इन 55 जिलों में दक्षिण दिल्ली, महाराष्ट्र में पुणे और पालघर, हरियाणा में गुरुग्राम और मेवाट (नुह) शामिल हैं।
- हिमाचल प्रदेश में कुल्लू, बिहार में नालंदा, झारखंड में धनबाद, गुजरात में जामनगर एवं मेहसाना, राजस्थान में अलवर एवं बाड़मेर, तमिलनाडु में कोयम्बटूर एवं मदुरै, कर्नाटक में शिमोगा तथा तेलंगाना में हैदराबाद शामिल हैं।

सर्वेक्षण के लाभ

यह सर्वेक्षण नीति निर्माताओं को सटीक डेटा प्रदान करेगा जिससे वे पर्यावरण संबंधित उचित निर्णय ले सकेंगे। अभी तक देश में इस प्रकार का कोई सर्वेक्षण नहीं हुआ था जिसके चलते किसी क्षेत्र विशेष के लिए योजनाएं लागू करने से पूर्व इसकी आवश्यकता महसूस होती थी।

वर्तमान में देश के अधिकांश मानकों पर द्वितीयक डेटा उपलब्ध है। हालाँकि, राष्ट्रीय पर्यावरण सर्वेक्षण पहली बार सभी हरित भागों पर प्राथमिक डेटा प्रदान करेगा। यह उसी प्रकार का होगा जैसे राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण समय-समय पर विभिन्न सामाजिक-आर्थिक डेटा एकत्र करता है।■

3. भारतीय वायु सेना ने मोबाइल हेल्थ ऐप शुरू किया

भारतीय वायु सेना ने अपनी 86वीं वर्षगांठ पर 'डिजिटल इंडिया, आयुष्मान भारत और मिशन इन्द्रधनुष' के बारे में प्रधानमंत्री के सपने को ध्यान में रखते हुए 'मेडवाच' नामक एक मोबाइल हेल्थ ऐप की शुरूआत की है। इस ऐप की कल्पना भारतीय वायुसेना के चिकित्सकों ने की है और इसे बहुत कम लागत पर सूचना प्रौद्योगिकी निदेशालय द्वारा अपने देश में विकसित किया गया है। वायु सेना प्रमुख, एयर चीफ मार्शल बी. एस. धनोआ पीवीएसएम एवीएसएम वाईएसएम वीएम एडीसी ने वायु सेना दिवस पर 08 अक्टूबर 2018 को इसकी शुरूआत की।

मेडवाच

- 'मेडवाच' से वायु सेना के जवान और देश के सभी नागरिकों को स्वास्थ्य के बारे में सही-सही और वैज्ञानिक तथा विश्वस्त विवरण उपलब्ध होगा। यह ऐप www.apps.

mgov.gov.in पर उपलब्ध है और इसमें मूलभूत प्राथमिक उपचार, स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दे तथा पोषक आहार पर आधारित विवरण, समयानुसार स्वास्थ्य समीक्षा, रोग प्रतिरक्षण और स्वास्थ्य रिकॉर्ड कार्ड, बीएमआई कैलकुलेटर, हेल्पलाइन नम्बरों और वेब लिंकों जैसे उपयोगी माध्यम शामिल हैं। 'मेडवाच' तीनों सशस्त्र सेनाओं में सबसे पहला मोबाइल हेल्थ ऐप है। मेडवाच मोबाइल हेल्थ ऐप भारतीय वायु सेना की एक पहल होने के साथ ही हमारे नागरिकों के लिए एक छोटा योगदान है।

भारतीय वायु सेना दिवस

भारतीय वायुसेना की स्थापना 08 अक्टूबर 1932 को हुई थी। इसी मौके को याद करते हुए हर साल इस दिन को भारतीय वायु सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑपरेशन राहत और ऑपरेशन मेघदूत जैसे विभिन्न महत्वपूर्ण अभियानों में तैनात विमान और हेलीकाप्टर भी प्रदर्शित किये जाते हैं। इसके साथ-साथ, विभिन्न अभियानों के लिए तैयार किये गए नए विमान भी प्रदर्शित किए जाते हैं, साथ ही इसकी विशेषताओं और इसके उद्देश्यों को भी समझाया जाता है।भारतीय वायु सेना में लगभग 1,70,000 कर्मियों की ताकत है और 1,400 से अधिक विमान हैं और इसे दुनिया के अग्रणी वायु सेना में से एक माना जाता है। भारतीय क्षेत्रों को सभी जोखिमों से बचाना और प्राकृतिक आपदाओं के दौरान प्रभावित क्षेत्रों में सहायता प्रदान करना इसकी जिम्मेदारी है। ■

4. टाइप-2 पोलियो वायरस

हाल ही में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और तेलंगाना में टीकाकरण के लिये इस्तेमाल की जाने वाली शीशियों में पाए गए टाइप-2 पोलियो वायरस प्रदूषण की जाँच का आदेश दिया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने अपने नियमित निगरानी के दौरान मल के कुछ नमूनों में यह वायरस पाया। हालाँकि WHO ने यह भी सुनिश्चित किया कि पाए गए मामले अब तक

पोलियोमेलाइटिस (पोलियो) के रूप में विकसित नहीं हुए हैं। फिर भी, सरकार ने उपरोक्त तीनों राज्यों में सावधानी के तहत अतिरिक्त टीकाकरण का आदेश दे दिया है। पाए गए वायरस क्षीण (कमजोर) पोलियो वायरस हैं तथा ये पक्षाघात का कारण नहीं बनते हैं।

- ये वायरस 4-6 सप्ताह में नष्ट हो जाते हैं और मल के माध्यम से बाहर निकल जाते हैं।

पृष्ठभूमि

- वैश्विक स्तर पर टाइप-2 पोलियो वायरस का अंतिम मामला 1999 में भारत के अलीगढ़ में दर्ज किया गया था।
- 2014 में भारत को पोलियो मुक्त घोषित किया गया था तथा अंतिम मामला जनवरी 2011 में दर्ज किया गया था।
- टाइप-2 पोलियो वायरस के वैश्विक उन्मूलन के प्रमाणीकरण के बाद भारत ने ट्राईवैलेंट वैक्सीन (tOPV) से बाईवैलेंट वैक्सीन (bOPV) पर स्विच कर लिया था। पोलियो वैक्सीन से टाइप- 2 घटक को निकालने का उद्देश्य टीका-व्युत्पन्न पोलियो वायरस टाइप- 2 के प्रकोप को कम करना था।
- ओरल पोलियो वैक्सीन (OPV) में एक कमजोर लेकिन जीवित पोलियो वायरस होता है जो लकवा संबंधी पोलियो का कारण बन सकता है। इसके अलावा, यह वैक्सीन वायरस से प्रतिरक्षित बच्चों द्वारा उत्सर्जित

किया जाता है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में स्थानांतरित हो सकता है। OPV विषाणु को अधिक विषाक्त रूप में परिवर्तित होने के लिये अनुकूल वातावरण प्रदान करता है, जिससे टीका-व्युत्पन्न पोलियो वायरस (VDPV) का खतरा बढ़ जाता है। आयातित पोलियो की तरह यह खतरनाक VDPV प्रतिरक्षा से वंचित आबादी में प्रकोप को बढ़ा सकता है।

- हाल ही में भारत ने 2018 के लिये पल्स पोलियो प्रोग्राम भी लॉन्च किया था ताकि 28 जनवरी को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवसपर 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिये ओरल पोलियो वैक्सीन (ओपीवी) का बंदोबस्त किया जा सके।

पोलियो

- पोलियो या 'पोलियोमेलाइटिस' या जिसे अक्सर बहुतृषा भी कहा जाता है, एक विषाणु-जनित बेहद खतरनाक संक्रामक रोग है। यह आमतौर पर किसी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संक्रमण मल या भोजन के माध्यम से फैलता है।

शुरुआती लक्षण

- अधिकांश मामलों में रोगी को इसके लक्षणों का पता नहीं चल पाता है। इसके लक्षण इस प्रकार हैं- फ्लू जैसा लक्षण, पेट का दर्द, अतिसार (डायरिया), उल्टी, गले में दर्द, हल्का बुखार, सिर दर्द।

खतरनाक पोलियो वायरस के 3 उपभेदों (टाइप- 1, टाइप- 2 और टाइप- 3) में से पोलियो वायरस टाइप- 2 को 1999 में खत्म कर दिया गया था। नवंबर 2012 में नाइजीरिया में दर्ज आखिरी मामले के बाद पोलियो वायरस टाइप- 3 का कोई मामला नहीं मिला है। ■

5. कोंकण के अल्फोंसो आम को जीआई टैग प्रदान किया गया

महाराष्ट्र के रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, पालघर, ठाणे और रायगढ़ जिलों में पैदा होने वाले अल्फोंसो आम को हाल ही में 'भौगोलिक चिन्ह' (जीआई) के तौर पर पंजीकृत किया गया है।

हाल ही में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री सुरेश प्रभु ने भारतीय वस्तुओं के भौगोलिक चिन्ह के लिए 'लोगो और टैगलाइन' को लॉन्च करते हुए कहा कि इससे कलाकारों उत्पादनकर्ताओं की बौद्धिक संपदा का उनका अधिकार तथा उस उत्पाद के उत्पत्ति को सही अधिकार मिल सकेगा।

अल्फोंसो (हापुस) आम की पैदावार

अल्फोंसो (हापुस) आमों की सबसे बेहतरीन किस्म महाराष्ट्र के कोंकण इलाके में स्थित सिंधुदुर्ग जिले की तहसील देवगढ़ में उगायी जाती है, साथ ही सबसे अच्छे आम सागर तट से 20 किलोमीटर अंदर की ओर स्थित जमीन पर ही उगते हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र का रत्नागिरि जिला, गुजरात के दक्षिणी जिले वलसाड और नवसारी भी अल्फोंसो की पैदावार के लिए प्रसिद्ध हैं। कुछ समय पूर्व से बिहार के कुछ क्षेत्रों में भी अल्फोंसो की पैदावार शुरू की गयी है।

कोंकण अल्फोंसो के बारे में जानकारी

- अल्फोंसो को आमों का राजा कहा जाता है और महाराष्ट्र में इसे हापुस के नाम से जाना जाता है।
- इसके लजीज स्वाद, अनोखी खुशबू और चमकदार रंग के चलते इसकी भारत के अलावा अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में काफी मांग हैं।
- विश्व में यह काफी लंबे समय से मशहूर फल रहा है और इसे जापान, कोरिया तथा यूरोप को निर्यात किया जाता रहा है।
- हाल ही में अमेरिका और आस्ट्रेलिया ने भी अपने बाजारों में इसके आयात को मंजूरी दी है।
- भारत में पहला जीआई टैग दार्जिलिंग चाय को 2004 में दिया गया था और देश में इस टैग को हासिल करने वाले कुल उत्पादों की संख्या 325 हैं।

भौगोलिक चिन्ह (जीआई टैग)

- भौगोलिक चिन्ह किसी भी उत्पाद के लिए एक चिन्ह होता है जो उसकी विशेष भौगोलिक उत्पत्ति, विशेष गुणवत्ता और पहचान के लिए दिया जाता है और यह सिर्फ उसकी उत्पत्ति के आधार पर होता है।
- ऐसा नाम उस उत्पाद की गुणवत्ता और उसकी विशेषता को दर्शाता है।
- दार्जिलिंग चाय, महाबलेश्वर स्ट्रोबैरी, जयपुर की ब्लूपोटेरी, बनारसी साड़ी और तिरूपति के लड्डू कुछ ऐसे उदाहरण है जिन्हें जीआई टैग मिला हुआ है।
- जीआई उत्पाद दूरदराज के क्षेत्रों में किसानों, बुनकरों शिल्पों और कलाकारों की आय को बढ़ाकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को फायदा पहुंचा सकते हैं।

ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले हमारे कलाकारों के पास बेहतरीन हुनर, विशेष कौशल और पारंपरिक पद्धतियों और विधियों का ज्ञान है जो पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होता रहता है और इसे सहेज कर रखने तथा बढ़ावा देने की आवश्यकता है। ■

6. उद्योग 4.0

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चौथी औद्योगिक क्रांति के लिये विश्व आर्थिक मंच (WEF) के केंद्र की शुरुआत के अवसर पर कहा कि 'उद्योग 4.0' में मानव जीवन के वर्तमान और भविष्य को बदलने की क्षमता मौजूद है। उन्होंने कहा कि सैन फ्रांसिस्को, टोकियो और पेइचिंग के बाद दुनिया में यह चौथा केंद्र है, जिसकी शुरुआत होने से भविष्य में अपार संभावनाओं के दरवाजे खुलेंगे।

चतुर्थ औद्योगिक क्रांति या उद्योग 4.0

- पहली औद्योगिक क्रांति जल व भाप की शक्ति से हुई थी। दूसरी विद्युत ऊर्जा से, तीसरी क्रांति वर्तमान में चल रही इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रोद्योगिकी जनित है।
- चौथी औद्योगिक क्रांति में आइटी व विनिर्माण सेक्टर को मिलाकर कार्य किया जाएगा। अमेरिका और जर्मनी ने 2010 के बाद इस पर कार्य शुरू किया।
- 'उद्योग 4.0' विश्व आर्थिक फोरम की 2016 में आयोजित वार्षिक बैठक की थीम थी, जिसके बाद चतुर्थ औद्योगिक क्रांति का विचार तेजी से प्रसिद्ध होता गया।
- 'उद्योग 4.0' विश्वभर में एक शक्ति के रूप

में उभर कर सामने आया है और इसे अगली औद्योगिक क्रांति कहा जा रहा है।

- यह मुख्यत: इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT), बाधा रहित इंटरनेट कनेक्टिविटी, तीव्र गति वाली संचार तकनीकियों और 3डी प्रिंटिंग जैसे अनुप्रयोगों पर आधारित है, जिसके अंतर्गत अधिक डिजिटलीकरण तथा उत्पादों, वैल्यू चेन, व्यापार मॉडल को एक-दूसरे से अधिकाधिक जोड़ने की परिकल्पना की गई है।

प्रमुख बिंदु

- कृत्रिम बौद्धिकता, मशीन-लर्निंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ब्लॉकचेन और बिग डाटा जैसे उभरते क्षेत्र भारत को विकास की नई ऊँचाइयों पर ले जा सकते हैं तथा नागरिकों के जीवन को बेहतर बना सकते हैं।
- यह भारत के लिये न सिर्फ एक औद्योगिक परिवर्तन है बल्कि सामाजिक परिवर्तन भी है। 'उद्योग 4.0' में भारत में अपरिवर्तनीय रचनात्मक बदलाव लाने की क्षमता है। इससे भारत में कामों में आवश्यक तेजी आएगी और काम-काज बेहतर बनाने में सहायता मिलेगी।
- डिजिटल इंडिया अभियान ने डेटा को भारत के गाँवों तक पहुँचाया है। निकट भविष्य में संचार-सघनता, इंटरनेट कवरेज और मोबाइल इंटरनेट सुविधा लेने वालों की तादाद बहुत बढ़ने की संभावना है।
- दूरसंचार के क्षेत्र में 93% की वृद्धि हुई है और लगभग 50 करोड़ भारतीयों के पास अब मोबाइल फोन है।
- विश्व में सबसे अधिक मोबाइल डेटा खपत भारत में होती है और भारत एक ऐसा देश है जहाँ डेटा सबसे कम कीमत पर उपलब्ध है। इस संदर्भ में भारत की डिजिटल अवसंरचना और आधार, यूपीआई, ई-नाम तथा जीईएम सहित उसके इंटरफेस की प्रमुख भूमिका रही है।
- ऑप्टिक फाइबर के साथ सभी 2.5 लाख ग्राम पंचायतों को जोड़ने का काम जल्द ही पूरा हो जाएगा। 2014 में केवल 59 ग्राम पंचायतें ऑप्टिक फाइबर से जुड़ी थी, जबकि वर्तमान में यह संख्या 1 लाख से अधिक पहुँच गई है।
- कृत्रिम बौद्धिकता में अनुसंधान के लिये कुछ महीने पूर्व एक मजबूत अवसंरचना बनाने के लिये राष्ट्रीय रणनीति तैयार की गई है। नए केंद्र से इस प्रक्रिया को बल मिलेगा।
- उद्योग 4.0' और कृत्रिम बौद्धिकता के विस्तार से स्वास्थ्य क्षेत्र में बेहतर सुधार होगा और स्वास्थ्य पर होने वाला खर्च कम होगा। इससे किसानों को मदद मिलेगी और यह कृषि क्षेत्र के लिये काफी सहायक होगा।
- यातायात और स्मार्ट मोबिलिटी जैसे क्षेत्रों में यह केंद्र अहम भूमिका निभा सकता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इन क्षेत्रों में कार्य में होने वाली प्रगति के मद्देनजर 'भारत के लिये समाधान, विश्व के लिये समाधान' हमारा लक्ष्य है।
- स्किल इंडिया मिशन, स्टार्टअप इंडिया और अटल नवाचार अभियान जैसी सरकार की पहलें युवाओं को नई और उभरती प्रौद्योगिकियों के लिये तैयार कर रही हैं। ■

7. राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद्

केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने कौशल विकास से सम्बंधित दो नियामक संस्थानों - राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद् (National Council for Vocational Training – NCVT) और राष्ट्रीय कौशल विकास एजेंसी (National Skill Development Agency – NSDA) का विलय करके एक नए निकाय के निर्माण की मंजूरी दी है। इस निकाय का नाम होगा- राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद् (National Council for Vocational Education and Training – NCVET)। इस परिषद् में एक अध्यक्ष तथा अन्य कार्यकारी तथा गैर सदस्य होंगे।

NCVET व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण में संग्लन निकायों के कार्यों का नियमन करेगी तथा इनके कार्यकलाप के लिए न्यूनतम मानक निर्धारित करेगी। NCVET के मुख्य कार्य हैं- व्यावसायिक प्रशिक्षण एवं शिक्षा से जुड़ी हुई संस्थाओं को मान्यता देना और नियमित करना। व्यावसायिक

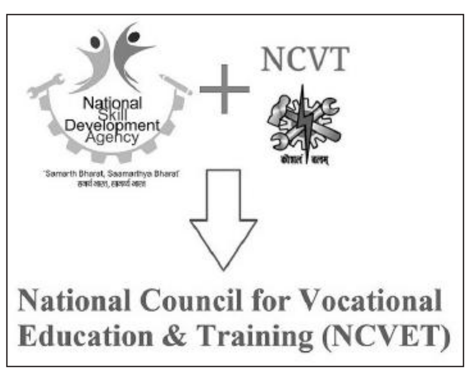

प्रशिक्षण के लिए प्रमाणपत्र निर्गत करने वाले निकायों तथा प्रक्षेत्रीय कौशल परिषदों के लिए योग्यता निर्धारित करना। व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों का अप्रत्यक्ष रूप से नियमन करना। शोध एवं जानकारी का प्रचार-प्रसार करना। शिकायतों के निवारण की व्यवस्था करना।

राष्ट्रीय कौशल विकास एजेंसी (NSDA) का स्वरूप

यह कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वायत्त निकाय होगा। यह भारत सरकार एवं निजी प्रक्षेत्र के द्वारा कौशल विकास के क्षेत्र में किये गए प्रयासों का समन्वय करता है जिससे 12वीं योजना में वर्णित कौशल विकास के लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके। NSDA का एक मुख्य काम राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क (National Skills Qualifications Framework – NSQF) को तैयार करना तथा नए व्यावसायिक प्रमाणीकरण निकायों की स्थापना में सहायता करना भी है। ■

अंतर्राष्ट्रीय

1. मलेशिया सरकार ने मृत्यु दण्ड को खत्म करने का फैसला किया

मलेशिया की सरकार ने यह निर्णय लिया है कि वह सभी अपराधों के लिए मृत्यु दंड को समाप्त कर देगी और मृत्यु दंड के जो भी मामले लंबित पड़े हैं, उनको भी रोक देगी। ज्ञातव्य है कि इस देश में मृत्युदंड का जबरदस्त विरोध चल रहा था।समाजिक कार्यकर्ताओं का कहना था कि मृत्युदंड बर्बर है और अकल्पनीय रूप से क्रूर और निरर्थक है। यह भी तर्क दिया जा रहा था कि इस बात का प्रमाण नहीं है कि मृत्यु दंड के कारण गंभीर प्रकृति के अपराध पर रोकथाम लगती है। कार्यकर्ताओं का एक और तर्क यह भी था कि मलेशिया में मृत्युदंड बंद हो जाता है तो हमलोग उन मलेशियाओं का जीवन बचाने के लिए नैतिकतापूर्ण ढंग से लड़ सकते हैं जिन्हें दूसरी देशों में फाँसी की सजा दी हुई है।

वर्तमान में मलेशिया में हत्या, दवा तस्करी, देशद्रोह, अपहरण, हथियार रखने तथा आतंकी गतिविधि आदि के लिए मृत्युदंड अनिवार्य है। इस दंड को लागू करने के लिए अपराधी को फाँसी पर लटका दिया जाता है। यह प्रथा ब्रिटेन के औपनिवेशिक शासन से चली आ रही है। मृत्युदंड की व्यवस्था के कारण अपराधी अपराध करने से बचते हैं, ऐसा आँकड़ों से न तो सिद्ध हुआ है और न ही असिद्ध। जहाँ तक इंग्लैंड का प्रश्न है, जब वहाँ 1965 में मृत्युदंड समाप्त कर दिया गया था तो उसके बाद हत्याओं की संख्या बढ़ गयी थी। दूसरी ओर, 1976 में मृत्युदंड बंद होने के पश्चात् कनाडा में हत्या की दर में कोई कमी नहीं आई। इससे सिद्ध होता है कि किसी भी समाज में अपराधों में वृद्धि अथवा ह्रास का सीधा सम्बन्ध उस समाज की सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों से होता है।

सच पूछा जाए तो दंड को कठोर बनाने से अपराध नहीं घटता है अपितु इस बात से घटता है कि अपराधी को निश्चित रूप से और समान रूप से सजा मिलेगी ही। मृत्यु दंड भी अपराधों को रोक सकता है परन्तु शर्त यह है कि यह सजा देने से पहले सही ढंग से जाँच-पड़ताल की गई हो तथा मुकदमे को बिना विलम्ब किये चलाया गया हो। अधिकतर पुलिस और न्यायालय स्वतंत्र नहीं होते हैं, जैसा कि विशेषकर कठुआ और उन्नाव के मामलों में देखा गया। इसलिए यह आवश्यक है कि यदि मृत्युदंड को कारगर बनाना हो तो पुलिस में सुधार तथा तेजी से चलने वाले न्यायालय आवश्यक हैं। ■

2. 100k जीनोम एशिया प्रोजेक्ट

सिंगापुर-स्थित नान्यांग प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय (Nanyang Technological University – NTU) के नेतृत्व में एक परियोजना चल रही है जिसमें 50 हजार भारतीयों सहित एक लाख एशियाई लोगों के सम्पूर्ण जीनोम को क्रमबद्ध किया जाएगा। इस योजना का नाम 100k जीनोम एशिया प्रोजेक्ट है। इसमें भारत के वैज्ञानिक और कंपनियाँ भी काम कर रही हैं।

100k जीनोम एशिया प्रोजेक्ट क्या है?

यह एक लाभ रहित परियोजना है जिसमें एशिया के एक लाख लोगों के जीनोम को इस उद्देश्य से क्रमबद्ध किया जा रहा है कि इससे एशिया महादेश के लोगों को सही-सही औषधि देना संभव हो जाएगा। इस परियोजना में डाटा विज्ञान एवं कृत्रिम बुद्धि (Artificial Intelligence – AI) के क्षेत्र में हुई प्रगतियों तथा डाटा विश्लेषण का भी सहारा लिया जाएगा। इसके लिए दक्षिण एशिया के 12 देशों तथा उत्तरी एवं पूर्वी एशिया के कम-से-कम 7 देशों के लोग चुने जाएँगे। प्रथम चरण में परियोजना में एशिया की सभी प्रमुख प्रजातियों के लिए चरणबद्ध (Reference Genomes) बनाने पर बल होगा। इससे एशिया की विभिन्न आबादियों के इतिहास और उसकी भीतरी बनावट को समझने में बहुत बड़ी सहायता मिलेगी। एक लाख व्यक्तिगत जीनोम को क्रमबद्ध करने के समय उससे माइक्रो-बायोम, चिकित्सीय और फेनोटाइप सूचनाएँ भी जोड़कर रखी जायेंगी। इससे लाभ यह होगा कि स्थानीय समुदायों के मरे हुए और स्वस्थ जीवित व्यक्तियों के विषय में गहनतम विश्लेषण संभव हो सकेगा।

एशिया में विश्व के 40% लोग रहते हैं। इन लोगों के बारे में अभी तक पर्याप्त अध्ययन नहीं हुआ है। एशियाई प्रजातियों के बारे में जीनोम की विविधता की जानकारी होने पर जीव विज्ञान को समझने में सहायता मिलेगी। एशिया के दक्षिणी, उत्तरी और पूर्वी भागों में कई प्रकार की प्रजातियाँ रहती हैं। यदि इनके जीनोम का गहन अध्ययन होता है तो इनमें प्राप्त विरल एवं उत्तराधिकार में प्राप्त रोगों, जैसे- कैंसर, मधुमेह एवं हृदय रोग, के विषय में हमारी समझ बढ़ जायेगी। ■

3. अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस

विश्वभर में 13 अक्टूबर 2018 को अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस मनाया गया। यह दिवस आपदा रहित समाज का निर्माण करने के लिए नागरिकों तथा सरकार को प्रोत्साहित करता है। इसका मुख्य उद्देश्य है आपदा जोखिम को कम करना और सुरक्षित समुदाय बनाना। वर्ष 2018 के अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस का विषय 'आपदा आर्थिक नुकसान को कम करना' (Reducing Disaster Economic Losses) रखा गया है। संयुक्त राष्ट्र डाटा के अनुसार, विश्वभर की आपदाओं में जान गंवाने वाले महिलाओं और बच्चों की संख्या पुरुषों के मुकाबले 14 प्रतिशत

अधिक है। हालांकि 60 प्रतिशत महिलाओं की मृत्यु बचाव योग्य स्थितियों में होती है जबकि पांच वर्ष से छोटे बच्चों में यह आंकड़ा 53 प्रतिशत है। अन्य प्रभावित लोगों अथवा समूहों में दिव्यांग लोगों के साथ रहने वाले व्यक्ति शामिल हैं। खतरों की जोखिम को कम करना, भूमि और पर्यावरण संसाधनों का उचित प्रबंधन, आपदाओं से निपटने के लिए समुदाय विशेष की तैयारी में सुधार करना और ऐसे सभी विनाशकारी घटनाओं के लिए पूर्व चेतावनी जारी करना आपदा जोखिम न्यूनीकरण प्रयोजन का केन्द्र बिन्दु है।

अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस

अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस आपदाओं के जोखिम में कमी लाने की जागरूकता विकसित करने के लिए मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष 13 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य विश्व में जोखिम प्रबंधन के प्रति जागरुकता बढ़ाई जा सके एवं आपदाओं से होने वाले नुकसान को कम किया जा सके। यह दिन आपदा से उबरने की अधिक क्षमता वाले समुदायों और राष्ट्रों के निर्माण में भाग लेने के लिए हर नागरिक और सरकार को प्रोत्साहित करता है। संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 1989 में प्रत्येक वर्ष के अक्टूबर माह के दूसरे बुधवार को इस दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी, लेकिन बाद में 21 दिसम्बर 2009 को संयुक्त राष्ट्र ने प्रत्येक वर्ष 13 अक्टूबर को इस दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। ■

4. विश्व बैंक ने मानव पूंजी सूचकांक रिपोर्ट जारी की

विश्व बैंक ने मानव पूंजी सूचकांक की अपनी पहली रिपोर्ट जारी की है, जिसमें बच्चों के जीवित रहने की संभावना, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे पैमानों पर 157 देशों का आकलन किया गया है। हमारे लिए यह कुछ तकलीफ वाली बात है कि रिपोर्ट में भारत को नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार और बांग्लादेश से भी नीचे 115वें स्थान पर रखा गया है। सूची में सिंगापुर का स्थान सबसे ऊपर है और चोटी के चार देश एशियाई हैं। भारत ने इस रिपोर्ट को यह कहकर खारिज कर दिया है कि इसमें मानव पूंजी को बढ़ाने के लिए भारत सरकार द्वारा किए गए अहम प्रयासों को नजरअंदाज किया गया है। वित्त मंत्रालय ने अपने बयान में कहा कि सूचकांक तैयार करने में समग्र शिक्षा अभियान, आयुष्मान भारत कार्यक्रम, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना और प्रधानमंत्री जनधन योजना पर गौर नहीं किया गया है। बहरहाल, अंतर्राष्ट्रीय अध्ययनों और रिपोर्टों की अपनी सीमाएं हैं। विभिन्न एजेंसियों के अपने आग्रह-पूर्वाग्रह भी होते ही हैं। लेकिन इस तरह के आकलन हमें अपनी अब तक की तैयारियों की समीक्षा करने और अपनी कमर थोड़ा और कस लेने का अवसर जरूर देते हैं। यह एक कड़वा सच है कि अर्थव्यवस्था के विकास की तेज गति के बावजूद मानव विकास के स्तर पर भारत का रिकॉर्ड अनेक विकासशील देशों से भी खराब रहा है।

देश के तमाम विशेषज्ञ इस बात को स्वीकार करते हैं कि चीजें बदल रही हैं पर हमारी चुनौती जितनी बड़ी है, उस अनुपात में बदलाव की गति धीमी है। नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत ने कुछ ही समय पहले कहा था कि देश के मानव विकास सूचकांक (एचडीआई) में सुधार लाए बिना 10 प्रतिशत के आसपास आर्थिक वृद्धि दर हासिल करना असंभव है। वैसे देश में शिशु मृत्यु दर लगातार घटी है। 1990 में यह प्रति 1000 पर 129 थी। 2005 में यह घटकर 58 हो गई, जबकि 2017 में प्रति 1000 पर यह 39 रह गई है। दुनिया भर में होने वाली मौतों में भारत का हिस्सा भी घटकर 18 प्रतिशत हो गया है, लेकिन कुपोषण दूर करने में हमें अपेक्षित सफलता नहीं मिली है। 2006 में देश में पांच साल से कम आयु वर्ग में औसत से कम लंबाई वाले बच्चों की संख्या 48 फीसद थी। एक दशक बाद यानी 2016 में ऐसे बच्चों का प्रतिशत घटकर 38 आ गया। यह प्रदर्शन अच्छा जरूर है पर इसे बेहतरीन नहीं कहा जा सकता। स्वास्थ्य सेवाओं में लगातार सुधार के बावजूद स्वास्थ्य ढांचा लचर है। इस मद में भारत सरकार का खर्च जीडीपी का मात्र 1.15 प्रतिशत है और हमारी गिनती हेल्थ पर सबसे कम खर्च करने वाले देशों में होती है। शिक्षा में भी स्थिति सुधरी है पर अंधेरे कोने काफी है। हमारे पास सपने हैं, योजनाएं हैं पर शायद उन्हें लागू करने के तरीके में कोई कमी है सरकार को इस पहलू पर सोचना चाहिए।

विश्वबैंक की इस सूची में पहला स्थान सिंगापुर को मिला है। इस सूची में सिंगापुर के बाद दक्षिण कोरिया, जापान, हॉगकॉग और फिनलैंड का स्थान है। नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत ने जुलाई माह में कहा था कि भारत में मानव विकास इंडेक्स में सुधार किए बगैर 10 प्रतिशत की आर्थिक वृद्धि की दर को हासिल नहीं किया जा सकता है। उन्होंने कहा था कि देश में विकास तभी रफ्तार पकड़ सकता है जब जच्चा-बच्चा की मृत्यु दर निम्न हो। उन्होंने कहा था कि अगर 10 फीसदी की रफ्तार से विकास करना है तो एचडीआई में सुधार लाना जरूरी है। ■

5. दक्षिण-पूर्व एशियाई विनियामक नेटवर्क

उन्नत संगणन विकास केंद्र (South-East Asia Regulatory Network (Centre for Development of Advanced Computing) के द्वारा दक्षिण-पूर्व एशियाई विनियामक नेटवर्क (South East Asia Research Network - SEARN) के निमित्त बनाए गए एक सूचना आदान-प्रदान गेटवे का हाल ही में अनावरण किया गया। यह दक्षिण-पूर्व एशियाई क्षेत्र के देशों के बीच स्वास्थ्य के विषय में सहयोग को बढ़ावा देगा।

SEARN क्या है?

- यह एक मंच है जो शोध के क्षेत्र में सहयोग को आगे बढ़ाने का काम करता है। यह लंदन स्कूल ऑफ हाइजीन एंड ट्रॉपिकल मेडिसिन में कार्यशील है।यह मंच शोधों के निष्कर्षों के संचार तथा प्रचार में सहयोग करता है।
- यह शोध उन के विषयों तथा उनसे जुड़े लोगों और सहयोगकर्ताओं को एक-दूसरे से जोड़ता है जो मुख्य तथा दक्षिण-पूर्व एशियाई हितों से सम्बद्ध हैं।

ASEAN के सभी देश निम्नलिखित देश हैं- भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, मालदीव, म्यांमार, ओमान, थाईलैंड, वियतनाम, लाओस, म्यांमार (बर्मा), कंबोडिया, मलेशिया, इंडोनेशिया,

ब्रुनेई, सिंगापुर, तिमोर-लेस्ट (पूर्वी तिमोर) और फिलीपींस, श्रीलंका और थाईलैंड।

यदि भारत के संदर्भ में देखें तो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्री जे.पी. नड्डा ने कहा कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति देश के लिए स्वास्थ्य के सर्वश्रेष्ठ मानदंडों के लिए समर्पित है। उन्होंने कहा कि सरकार ने आयुष्मान भारत नामक एक राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण योजना शुरू की है, जिसमें प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपये के स्वास्थ्य बीमा का प्रावधान है। इससे 50 करोड़ से भी अधिक लोग लाभान्वित होंगे। यह विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है। उन्होंने कहा कि 23 सितम्बर, 2018 को इसकी शुरूआत के बाद से इस योजना के तहत सेवाएं उपलब्ध होने से 50,000 व्यक्ति लाभान्वित हुए। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री श्री अश्विनी कुमार चौबे ने स्वास्थ्य लक्ष्यों तक पहुंचने में पारंपरिक चिकित्सा प्रणाली के महत्व के बारे में चर्चा की। वहीं, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री श्रीमती अनुप्रिया पटेल ने कहा कि सतत विकास लक्ष्य सबके बेहतर भविष्य के लिए मंत्र है और औषधियों तक पहुंच कायम करना इसका महत्वपूर्ण लक्ष्य है। ■

6. नासा का न्यू होराइजन अभियान

नासा का न्यू होराइजन नामक खोजी अन्तरिक्षयान अपनी यात्रा के क्रम में अब Kuiper belt में अवस्थित पदार्थ Ultima Thule नामक पिंड से होकर गुजरने वाला है। यह पिंड पृथ्वी से 6.6 बिलियन किलोमीटर की दूरी पर है। इस प्रकार इसके पहले किसी भी अन्तरिक्षयान के द्वारा इतनी लम्बी दूरी पर स्थित पिंड तक यात्रा नहीं की गई थी।

- अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा को न्यू हॉरिजन मिशन के तहत प्लूटो से करीब अरबों मील दूर एक पिंड का पता चला है। 'एमयू 69' नाम का यह पिंड मूंगफली के आकार का दिख रहा है। खगोलविदों का मानना है कि ये एक नहीं बल्कि समान आकार वाले दो पिंड हो सकते हैं। ऐसे में संभावना है कि एमयू 69 के पास अपना चंद्रमा हो सकता है। पहली बार न्यू हॉरिजन मिशन 2014 में प्लूटो के आगे गया था। तब एमयू 69 की खोज हुई थी। न्यू हॉरिजन टीम के मार्क बुई ने बताया कि हम इस पिंड के बारे में जितनी जानकारियां एकत्र कर रहे हैं, यह उतना ही अधिक रोचक होता जा रहा है। नासा के स्ट्रैटोस्फेरिक ऑब्जरवेटरी फॉर इंफ्रारेड एस्ट्रोनामी (Stratospheric Observatory for Infrared Astronomy) से पहली बार 10 जुलाई को एकत्र किए गए डाटा से पता लगाया था कि कि एमयू 69 के पास अपना चांद हो सकता है। एमयू 69 पृथ्वी से 6.5 अरब किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। नासा के ग्रह विज्ञान निदेशक जिम ग्रीन ने कहा, 'प्लूटो के लिए न्यू होराइजन मिशन हमारे अनुमान से आगे निकल गया है और आज भी अंतरिक्ष यान के आंकड़े हैरत पैदा कर रहे हैं।' उन्होंने कहा कि हम सौर प्रणाली की अज्ञात गहराई की दिशा में लगातार आगे बढ़ते जाने से उत्साहित हैं। यह विज्ञान का एक नया लक्ष्य है। जिसकी खोज अंतरिक्ष यान लांच होने तक नहीं की जा सकी थी विज्ञान उसे सामने लाने में जुटा है। ■

7. जलवायु संबंधी आपदाओं पर यूएनआईएसडीआर रिपोर्ट

यूएनआईएसडीआर ने बेल्जियम के कैथोलिक डे लाउवेन विश्वविद्यालय में आपदाओं से महामारी पर शोध केंद्र (सीआरईडी) की रिपोर्ट में कहा कि

1978-1997 के दौरान जलवायु संबंधी आपदाओं की लागत 895 करोड़ डॉलर थी। 1998-2017 के दौरान यह बढ़कर 225 अरब डॉलर पर पहुंच गई। रिपोर्ट में कहा गया है कि अमेरिका चीन जापान और भारत जैसे देशों में इसकी वित्तीय लागत अधिक बढ़ी है। रिपोर्ट में बताया गया है कि 1998 से 2017 के दौरान जलवायु संबंधी आपदाओं की संख्या 6600 से अधिक रही। इसमें तूफान और बाढ़ की संख्या सबसे अधिक रही।

रिपोर्ट से जुड़ी अन्य विशेषताएँ

- 4.1 बिलियन लोग घायल, बेघर एवं आपातकाल जैसी परेशानियों का शिकार हुए हैं।
- पांच देशों संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, भारत, फिलीपिंस एवं इंडोनशिया में सबसे अधिक आपदाएं दर्ज की गयीं।
- संयुक्त राष्ट्र आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्यालय (यूएनआईएसडीआर) द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार केवल 35 प्रतिशत रिकार्ड्स में आर्थिक दिक्कतों का जिक्र किया गया है।

यूएनआईएसडीआर के अनुमान के अनुसार भूकंप एवं सूनामी के कारण 250 से 300 बिलियन अमेरिकी डॉलर की हानि हुई। वर्ष 2008 में म्यांमार में आये नरगिस तूफान के कारण एशिया में 1,38,000 लोगों की मृत्यु हुई। वर्ष 1995 से 2015 तक बाढ़ से जलवायु संबंधित आपदाओं का कुल 47 प्रतिशत भाग शामिल है जिसमें 2.3 बिलियन लोग प्रभावित हुए एवं 1,57,000 मारे गये। तूफानों से सबसे अधिक हानि हुई जिसमें 2,42,000 लोगों की मृत्यु हुई जो विश्व के कुल जलवायु संबंधित प्रभाव का 40 प्रतिशत है। हीट वेव के कारण उत्पन्न हुए अधिक तापमान से 1,48,000 लोगों की मृत्यु हुई जिसमें विकसित देशों में हुई मृत्यु की दर 92 प्रतिशत है। सूखे के कारण अफ्रीका में सबसे अधिक प्रभाव पड़ा, वर्ष 1995 से 2015 के बीच 136 बार यह घटनाएं सामने आ चुकी हैं जिनमें 77 अकाल पूर्वी अफ्रीका में दर्ज किये गये। ■

सात ब्रेन बूस्टर्स

तितली चक्रवात

चर्चा का कारण

1.1 हाल ही में "तितली" नामक चक्रवाती आँधी ने बंगाल की खाड़ी तथा "लुबान" नामक चक्रवातीय आँधी ने अरब सागर पर दस्तक दी है।

नाम कैसे पड़ता है?

2.1 सितम्बर 2004 में ऊष्णकटिबंधीय चक्रवातों से सम्बंधित एक अंतर्राष्ट्रीय पैनल ने निर्णय किया कि इस क्षेत्र के देश अपना-अपना नाम देंगे जिसके आधार पर बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में उठने वाली आँधियों का नाम रखा जाएगा।

2.2 8 देश भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, मालदीव, म्यांमार, ओमान, श्रीलंका और थाईलैंड- ने 64 नाम सुझाए।

2.3 आँधी आने पर नई दिल्ली स्थित क्षेत्रीय विशेषज्ञ मौसम वैज्ञानिक केंद्र (Regional Specialized Meteorological Centre) नामों की सूची में से एक नाम चुनता है।

नाम देना आवश्यक क्यों?

3.1 ज्ञातव्य है कि अटलांटिक आँधियों के लिए 1993 से ही नाम दिए जाते रहे हैं। परन्तु ऊष्ण कटिबंधीय चक्रवातों का नामकरण पहले नहीं होता था क्योंकि यह भय था कि बहुल राष्ट्रीयता वाले इस क्षेत्र का कोई न कोई देश नाम के मामले में संवेदनशील हो सकता है। अब ऊष्णकटिबंधीय चक्रवातों का भी नामकरण होता है।

3.2 इसका उद्देश्य यह है कि लोग किसी चक्रवात के बारे में आसानी से समझ सकें और याद रख सकें। ऐसा करने से आपदा के बारे में जागरूकता, तैयारी, प्रबंधन एवं उसके निवारण में सुविधा हो सके।

मार्गनिर्देश

4.1 किसी चक्रवात के नामकरण के लिए सामान्य नागरिक भी अपना सुझाव मौसम विज्ञान महानिदेशक को दे सकता है। किन्तु इस निदेशालय ने नाम चुनने के लिए कठोर नियम बना रखे हैं-

4.1.1 उदाहरण के लिए नाम को छोटा और आसानी से समझ लेने लायक होना चाहिए।

4.1.2 नाम ऐसा हो जो सांस्कृतिक रूप से संवेदनशील न हो और उसका कोई ऐसा अर्थ न हो जो आक्रोश पैदा कर सके।

4.1.3 व्यापक मृत्यु एवं विनाश लाने वाले चक्रवात का नाम दुबारा उपयोग में नहीं आता है। ज्ञातव्य है कि अटलांटिक और पूर्वी प्रशांत महासागरीय आँधियों के नाम की सूची के नामों का कुछ-कुछ वर्षों के बाद दुबारा प्रयोग होता है।

चक्रवातों की श्रेणियाँ

5.1 श्रेणी 1 : 90 से 125 किमी. प्रति घंटे चलने वाली हवाएँ, घरों को नाममात्र की क्षति, पेड़ों और फसलों को कुछ क्षति।

5.2 श्रेणी 2 : 125 से 164 किमी. प्रति घंटे की विध्वंसक हवाएँ, घरों को छोटी-मोटी क्षति, पेड़ों, फसलों और कारवाँओं को अच्छी-खासी क्षति, बिजली जाने का जोखिम।

5.3 श्रेणी 3 : 165 से 224 किमी. प्रति घंटे की अति विध्वंसक हवाएँ, छतों और भवन-संरचना को कुछ क्षति, कुछ कारवाँओं का विनाश, बिजली जाने की संभावना।

5.4 श्रेणी 4 : 225-279 किमी. प्रति घंटे की अति विध्वंसक हवाएँ, छतों और भवन संरचनाओं को अच्छी-खासी क्षति, कारवाँओं का विनाश, उनका हवाओं में उड़ जाना, चारों ओर बिजली का जाना।

5.5 श्रेणी 5 : 280 किमी. प्रति घंटे से अधिक की गति की अत्यंत खतरनाक हवाएँ जो दूर-दूर तक विनाश लाती हैं।

छः छः वर्ष पर फिर से उपयोग किये गए नाम

6.1 अटलांटिक और प्रशांत महासागर की आँधियों के नाम हर छठे वर्ष फिर से उपयोग में लाये जाते हैं। पर यदि कोई आँधी अत्यंत जानलेवा और क्षतिकारक सिद्ध होती है तो भविष्य में उस आँधी के नाम को दुहराया नहीं जाता है क्योंकि म्यामी-स्थित US नेशनल हरीकेन सेंटर के पूर्वानुमानकर्ताओं का कहना है कि ऐसा करना असंवेदनशील तथा भ्रमोत्पादक होता है।

चक्रवातीय मौसम

7.1 देश में चक्रवात अप्रैल से दिसम्बर के बीच होते हैं। भीषण आँधियों से दर्जनों की मृत्यु हो जाती है और निचले क्षेत्रों से हजारों को खाली कराया जाता है। साथ ही फसल और सम्पत्ति को व्यापक क्षति पहुँचती है।

हरिकेन, चक्रवात और तूफान में अंतर

8.1 हरिकेन, चक्रवात और तूफान- ये सभी ऊष्णकटिबंधीय आँधियाँ हैं। ये सभी एक हैं, बस इनके नाम स्थान विशेष में बदल जाते हैं।

8.2 उत्तरी अटलांटिक महासागर और पूर्वोत्तर प्रशांत महासागर के ऊपर बनने वाली आँधी हरिकेन, हिन्द महासागर और दक्षिणी प्रशांत महासागर के ऊपर बनने आँधी चक्रवात तथा पश्चिमोत्तर प्रशांत महासागर के ऊपर बनने वाली आँधी तूफान कहलाती है।

प्रतिस्पर्धा आयोग

चर्चा का कारण

1.1 हाल ही मे भारत के प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) ने संयोजन विनियमों में संशोधन किया है। यह संशोधन अन्यथा निश्चित रूप से सीसीआई से पहले संयोजन मामलों के निश्चितता और पारदर्शिता प्रदान करता है और तेजी से निपटान करता है।

पृष्ठभूमि

2.1 प्रतिस्पर्धा कानून, 2002 के अनुच्छेद 8(1) में व्यवस्था है कि आयोग में एक अध्यक्ष होगा तथा दो से कम और छह से अधिक सदस्य् नहीं होंगे।

2.2 प्रतिस्पर्धा (संशोधन) कानून, 2007 में कानून के अनुच्छेद 22 में बेंचों के गठन का प्रावधान समाप्त करने के लिए संशोधन किया गया था। इसी संशोधन कानून में एक अध्यक्ष और दो सदस्यों को मिलाकर प्रतिस्पर्धा अपीलीय न्यायाधिकरण का गठन किया गया।

2.3 आयोग के आकार में आनुपातिक कटौती नहीं की गई और इसमें एक अध्यक्ष और दो से कम लेकिन छह से अधिक सदस्य नहीं रखने की व्यवस्था की गई। प्रतिस्पर्धा प्राधिकार का आकार जापान, अमरीका और ब्रिटेन जैसे अनेक प्रमुख अधिकार क्षेत्रों की तरह है।

प्रस्तावना

3.1 प्रतिस्पर्धा यह सुनिश्चित करने हेतु श्रेष्ठ साधन है कि सामान्य जन अथवा आम आदमी की पहुंच अत्यधिक प्रतिस्पर्धी मूल्यों पर व्यापक श्रेणी में वस्तुओं एवं सेवाओं तक हो।

3.2 बढ़ती हुई प्रतिस्पर्धा से उत्पादकों को नव परिवर्तन लाने एवं विशेष अध्ययन करने में अधिकतम प्रोत्साहन मिलेगा। इसके परिणाम स्वरूप लागत में कमी आएगी और उपभोक्ताओं को रुचि के व्यापक विकल्प मिलेंगे। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए बाजार में उचित प्रतिस्पर्धा का होना अनिवार्य है।

3.3 हमारा लक्ष्य अर्थव्यवस्था में उचित प्रतिस्पर्धा का सृजन करना और उसको सतत रूप से बनाए रखना है जो उत्पादकों (विनिर्माताओं) को एक स्तरीय कार्य क्षेत्र मुहैया कराएगा तथा बाजारों को उपभोक्ताओं के कल्याण के लिए कार्यशील बनाएगा।

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग

4.1 इस अधिनियम के उद्देश्यों को भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) के माध्यम से प्राप्त किया जाना है जिसका गठन केन्द्र सरकार द्वारा 14 अक्टूबर, 2003 को किया गया है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग में केन्द्र सरकार द्वारा नियुक्त एक अध्यक्ष तथा 6 सदस्य शामिल हैं।

4.2 आयोग का कर्त्तव्य प्रतिस्पर्धा पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव वाले व्यवहारों को समाप्त करना, प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना तथा उसे सतत रूप से बनाए रखना, उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना और भारतीय बाजारों में व्यापार की स्वतंत्रता सुनिश्चित करना है।

4.3 आयोग को विधि के अंतर्गत स्थापित किसी भी सांविधिक प्राधिकरण से प्राप्त होने वाले संदर्भ पर प्रतिस्पर्धा संबंधी मुद्दों पर अपनी राय देना तथा प्रतिस्पर्धा परामर्श आरंभ करना, प्रतिस्पर्धा मुद्दों पर जन-जागरूकता का सृजन करना और प्रशिक्षण देना भी अपेक्षित है।

सीसीआई के कार्य

5.1 भारत के प्रतिस्पर्धा आयोग को जांच प्रक्रिया द्वारा प्रतिस्पर्धा विरोधी समझौते, और एकाधिकार के दुरुपयोग को रोकने तथा संयोजनों (विलयन अथवा गठजोड अथवा अधिग्रहण) के नियमन का कार्य करना।

5.2 किसी भी कानून (सांविधिक अधिकार) के तहत गठित प्राधिकरण/केन्द्र सरकार से प्राप्त संदर्भ के संबंध में प्रतिस्पर्धा मुद्दे पर अपना मत देना।

5.3 सीसीआई को प्रतिस्पर्धा मुद्दों पर प्रतिस्पर्धा की हिमायत, जन जागरुकता और प्रशिक्षण भी प्रदान करने का अधिदेश है।

5.4 केन्द्र सरकार अथवा कोई राज्य सरकार अथवा किसी भी कानून के तहत गठित प्राधिकरण जांच के लिए संदर्भ दे सकता है। आयोग के द्वारा स्वयं अपनी जानकारी अथवा ज्ञान के आधार पर जांच शुरु की जा सकती है। प्रतिस्पर्धा विरोधी समझौते और प्रमुख स्थितियों के दुरुपयोग के मामलों में आयोग निम्नलिखित आदेश पारित कर सकता है-

5.4.1 जांच के दौरान आयोग एक पार्टी को प्रतिस्पर्धा विरोधी समझौते अथवा प्रमुख स्थिति के दुरुपयोग से रोककर अंतरिम राहत प्रदान कर सकता है।

5.4.2 उद्यम के सकल कारोबार का अधिकतम 10 प्रतिशत जुर्माना और कार्टेल के संबंध में कार्टेल से प्राप्त लाभ की तीन गुना राशि जुर्माना।

5.4.3 जांच के बाद आयोग दोषी उद्यम को प्रतिस्पर्धा विरोधी समझौते अथवा प्रमुख स्थिति के दुरुपयोग से दूर रहने और इसमें दोबारा प्रवेश न करने का निर्देश दे सकता है।

5.4.4 मुआवजा प्रदान करवाना।

5.4.5 समझौते में सुधार लाना।

5.4.6 यदि कोई उद्यम प्रभावशाली स्थिति का लाभ उठा रहा है तो केन्द्र सरकार को इसके विभाजन की संस्तुति करना।

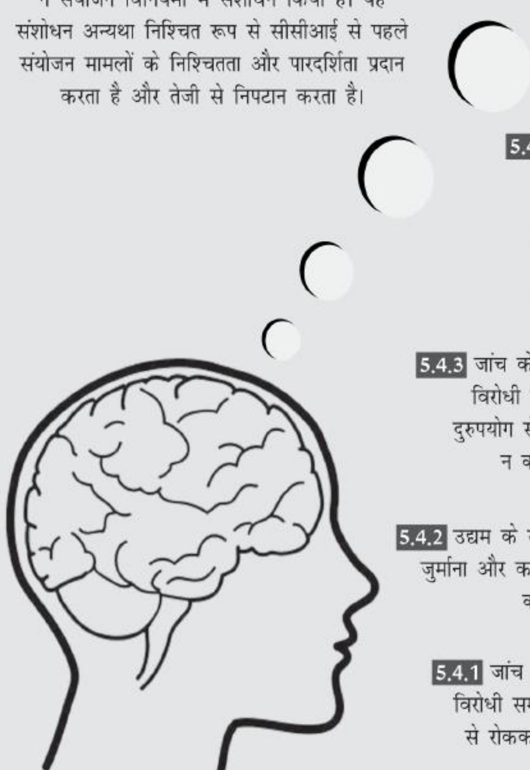

जीका वायरस

चर्चा का कारण

1.1 जयपुर में 22 लोगों में जीका वायरस का संक्रमण पाया गया है। इसके अलावा बिहार और उत्तप्रदेश मे भी इसके प्रभाव को देखा गया। इसी वजह से बिहार सरकार ने अपने सभी 38 जिलों में इस जीका वायरस के लक्षणों से पीड़ित लोगों पर खास निगरानी रखने को कहा है।

1.2 वहीं, भारत के जयपुर के अलावा यह वायरस अभी तक 86 देशों में भी फैल चुका है।

1.3 जयपुर से पहले जीका वायरस फैलने की खबरें अहमदाबाद से आईं थी। लेकिन फिलहाल जयपुर के लोग कड़ी निगरानी में हैं और स्वास्थ्य मंत्रालय भी इस वायरस को लेकर सतर्क हो चुका है।

पृष्ठभूमि

2.1 इसका संबंध अफ्रीका के जिका जंगल से है। जहाँ से 1947 में अफ्रीकी विषाणु अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिक पीले बुखार पर रिसर्च करने के लिए रीसस मकाक (एक प्रकार का लंगूर) को लाए।

2.2 इस लंगूर को हुए बुखार की जांच की गई, जिसमें पाए गए संक्रामक घटक (Infectious component) को जगंल का ही नाम जिका दिया गया। इसके 7 साल बाद 1954 में नाइजीरिया के एक व्यक्ति में यह वायरस पाया गया। इस वायरस के ज्यादा मामले पहली बार 2007 में अफ्रीका और एशिया के बाहर देखने को मिले।

कैसे फैलता है?

3.1 यह वायरस डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया की ही तरह मच्छरों से फैलता है। यह एक प्रकार का एडीज मच्छर ही है, जो दिन में सक्रिय रहते हैं।

3.2 अगर यह मच्छर किसी संक्रमित व्यक्ति को काट लेता है, जिसके खून में वायरस मौजूद है, तो यह किसी अन्य व्यक्ति को काटकर वायरस फैला सकता है। मच्छरों के अलावा असुरक्षित शारीरिक संबंध और संक्रमित खून से भी जीका बुखार या वायरस फैलता है।

लक्षण

4.1 जीका वायरस से संक्रमित कई लोग खुद को बीमार महसूस नहीं करते। लेकिन इसके आम लक्षण डेंगू बुखार की ही तरह होते हैं। जैसे थकान, बुखार, लाल आंखे, जोड़ों में दर्द, सिरदर्द और शरीर पर लाल चकत्ते।

खतरा

5.1 यह वायरस इतना खतरनाक है कि अगर किसी गर्भवती महिला को हो जाए तो गर्भ में पल रहे बच्चे को भी यह बुखार हो सकता है। जिस वजह से बच्चे के सिर का विकास रूक सकता है और वर्टिकली ट्रांसमिटेड इंफेक्शन भी फैल सकता है।

5.2 वर्टिकली ट्रांसमिटेड इंफेक्शन में स्किन रैशेज या दाग, पीलिया, लिवर से जुड़ी बीमारियां, अंधापन, दिमागी बीमारी, ऑटिज्म, सुनने में दिक्कत और कई बार बच्चे की मौत भी हो सकती है। वहीं, वयस्कों में जीका वायरस गुलैन-बैरे सिंड्रोम का कारण बन सकता है, जिसमें शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली नसों पर हमला करती हैं, इस वजह से शरीर में कई दिक्कतों की शुरुआत होती है।

जीका वायरस का इलाज?

6.1 इस वायरस का कोई टीका नहीं है, न ही कोई उपचार है। इस संक्रमण से पीड़ित लोगों को दर्द में आराम देने के लिए पैरासिटामॉल (एसिटामिनोफेन) दी जाती है।

बचने के उपाय

7.1 जीका वायरस को फैलाने वाले मच्छर से बचने के लिए वही उपाय हैं जो आप डेंगू से बचने के लिए करते आए हैं। जैसे मच्छरदानी का प्रयोग, पानी को ठहरने नहीं देना, आस-पास की साफ-सफाई, मच्छर वाले एरिया में पूरे कपड़े पहनना, मच्छरों को मारने वाली चीजों का इस्तेमाल और खून को जांचे बिना शरीर में ना चढ़वाना।

7.2 बुखार, गले में खराश, जोड़ों में दर्द, आंखें लाल होने जैसे लक्षण नजर आने पर अधिक से अधिक तरल पदार्थों का सेवन और भरपूर आराम करें। स्थिति में सुधार नहीं होने पर फौरन डॉक्टर को दिखाना चाहिए।

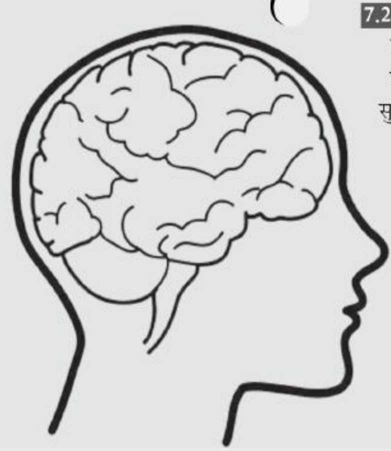

जंगल की आग

चर्चा का कारण

1.1 पीछले कुछ समय से भारत सहित दुनियाभर के कई देश जंगलों में लगी आग से प्रभावित हुए हैं। इससे सरकारों को अरबों रुपये का नुकसान उठाना पड़ा है।

1.2 एक रिपोर्ट के मुताबिक, भारत के 60 फीसदी जिले हर साल जंगल की आग से बुरी तरह प्रभावित होते हैं। आग लगने की इन घटनाओं से देश को हर साल करीब 1,100 करोड़ रुपये का नुकसान होता है।

1.3 ज्ञातव्य है कि देश में कुल 700 से अधिक जिले हैं, जिसमें से करीब 400 जिलों में मौजूद जंगल हर साल आग की चपेट में रहते हैं। इनमें से 20 जिले मुख्य रूप से पूर्वोत्तर में स्थित हैं। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और विश्व बैंक ने एक संयुक्त रिपोर्ट जारी की है, जिसमें ये बातें सामने आई हैं।

1.4 रिपोर्ट के मुताबिक, 2003 से 2016 के बीच देश के कुल 20 जिलों में जंगल में आग लगने की 44 फीसदी घटनाएं हुई हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि इन घटनाओं को रोकने के लिए सरकार की मौजूदा नीति में रणनीति का अभाव है।

1.5 रिपोर्ट में ये सिफारिश की गई है कि जंगल में आग की घटनाओं को रोकने के लिए जनभागीदारी सुनिश्चित करने वाली एक दीर्घकालिक कार्ययोजना बनाई जाए। साथ ही केंद्र और राज्य सरकारों से तकनीकी सहयोग भी बढ़ाने की सिफारिश की गई है।

कैसे लगती है आग?

2.1 जगंलों की आग विशुद्ध रूप से मानवीय भूल की परिणिति है। अक्सर सैलानी या अन्य लोग जंगलों में सुलगती सिगरेट, बीड़ी, या कैम्प फायर को अनबुझा छोड़ देते हैं। यही चीजें दावानल को जन्म देती हैं।

2.2 इसके अतिरिक्त स्थानीय लोग घास के लालच में भी जंगलों में आग लगा देते हैं ताकि सतह से पत्तियां साफ हो जाएं और घास ज्यादा उगे। लेकिन यही आग बेकाबू होकर कहर मचा देती है।

2.3 शहद के लिए जंगलों का रुख करने वाले भी पीछे आग छोड़ जाते हैं। इन तीनों राज्यों में अधिकांशत: चीड़ प्रजाति के पेड़ हैं। चीड़ की पत्तियां सूखने पर अत्यधिक ज्वलनशील हो जाती हैं। ऐसे में हल्की सी चिंगारी भी बड़े अग्निकांड में बदल जाती है।

वर्तमान स्थिति

3.1 भारत में 7 लाख,1 हजार 673 वर्ग किलोमीटर भूमि पर जंगल हैं। यह पूरे देश का करीब 21 फीसदी है। कुल 50 फीसदी जंगल आग के लिहाज से संवेदनशील हैं। हर 80 हेक्टेयर पर एक फायर वाचर की नियुक्ति जरूरी है पर ऐसा होता नहीं है।

3.2 दुनिया के कई देशों में वनाग्नि को बुझाने के लिए हेलीकॉप्टर इस्तेमाल होते हैं। भारत में ऐसा सिस्टम अभी नहीं है।

3.3 इस समय दुनियाभर में हर इंसान के लिए 422 पेड़ मौजूद हैं। प्रतिव्यक्ति सबसे ज्यादा पेड़ के मामले में रूस पहले नंबर पर है।

3.4 रूस में करीब 64 हजार करोड़ पेड़ हैं। जबकि कनाडा में 31 हजार 800 करोड़ पेड़ हैं। ब्राजील में 30 हजार करोड़ और अमेरिका में 22 हजार 800 करोड़ पेड़ हैं। भारत की बात करें तो हमारे देश में सिर्फ 3500 करोड़ पेड़ हैं

3.5 इसे भारत के हर व्यक्ति में बांट दिया जाए तो ये संख्या होगी 28 पेड़ प्रति व्यक्ति यानी भारत में रहने वाले हर व्यक्ति के लिए 28 पेड़ मौजूद हैं। पेड़ों की कटाई की बात करें तो दुनियाभर में हर साल 1500 करोड़ पेड़ काटे जा रहे हैं जबकि 500 करोड़ पेड़ उगाए जा रहे हैं यानी हर साल दुनिया को 1000 करोड़ पेड़ों का नुकसान हो रहा है।

उपग्रहों की मदद से ली जा रही जानकारी

4.1 रिपोर्ट में कहा गया है कि जंगलों में आग लगने की जानकारी हासिल करने में उपग्रहों की मदद का बेहतर इस्तेमाल सराहनीय प्रयास है।

4.2 इस मामले में बाकी देशों की अपेक्षा भारत काफी बेहतर है। यहां उपग्रहों की मदद से जंगलों में लगी आग की जानकारी जल्द मिल जाती है और उसके बाद आग पर काबू पाने की कोशिशें शुरू हो जाती हैं।

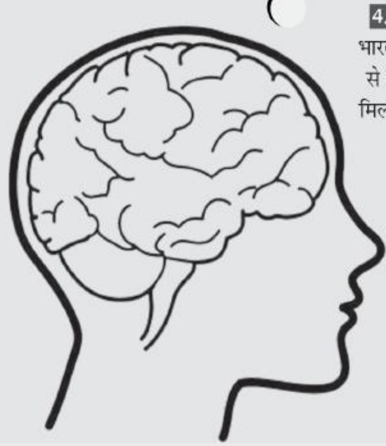

असम में रह रहे गोरखा समुदाय

चर्चा का कारण

1.1 हाल ही मे गृह मंत्रालय ने प्रवासी कानून, 1946 के अनुसार असम में रह रहे गोरखा समुदाय के सदस्यों की नागरिकता की स्थिति के बारे में राज्य सरकार को स्पष्टीकरण जारी किया है।

क्या है मामला?

2.1 ऑल असम गोरखा स्टूडेंट्स यूनियन ने गृह मंत्री श्री राजनाथ सिंह को एक ज्ञापन दिया था क्योंकि असम में रह रहे गोरखा समुदाय के सदस्यों के कुछ मामले प्रवासी न्यायाधिकरण के पास भेज दिए गए थे।

2.2 असम सरकार को भेजी गई जानकारी में गृह मंत्रालय ने गारेखा नागरिकों के सामने उत्पन्न कठिनाइयों को दूर करने के विभिन्न प्रावधानों की एक सूची दी है।

2.3 24 सितम्बर, 2018 को लिखे गए पत्र में कहा गया है कि गोरखा समुदाय के जो सदस्य संविधान बनने के समय भारतीय नागरिक थे, अथवा जो जन्म से भारतीय नागरिक हैं, जिन्होंने पंजीकरण अथवा नागरिकता कानून, 1955 के प्रावधानों के अनुसार नागरिकता हासिल की है प्रवासी कानून, 1946 के अनुच्छेद 2 (ए) तथा प्रवासी कानून 1939 के पंजीकरण के विषय में ''विदेशी'' नहीं हैं अतः ऐसे मामलों को प्रवासी न्यायाधिकरण के पास नहीं भेजा जाएगा।

2.4 इसमें जोर देकर कहा कि गया है कि गोरखा समुदाय का कोई भी सदस्य जिसके पास नेपाली नागरिकता है और जो नेपाल सीमा पर जमीन अथवा वायु के रास्ते पासपोर्ट अथवा वीजा के बिना भारत पहुंच चुका है और कितने भी लंबे समय से भारत में रह रहा है उसे अवैध प्रवासी नहीं माना जाएगा यदि उसके पास पहचान का कोई दस्तावेज जैसे नेपाली पासपोर्ट, नेपाली प्रमाणपत्र, नेपाल के चुनाव आयोग द्वारा जारी वोटर आईडी, भारत में नेपाली दूतावास द्वारा जारी सीमित वैधता फोटो पहचान प्रमाणपत्र है।

2.5 इसमें 10-18 वर्ष के आयु वर्ग के ऐसे बच्चे भी शामिल हैं जिनके पास स्कूल के प्रधानाचार्य द्वारा जारी फोटो आईडी है और जो वैध यात्रा दस्तावेजों के साथ यात्रा करने वाले अपने माता-पिता के साथ हैं।

2.6 10 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए ऐसे किसी दस्ताोवेज की आवश्यकता नहीं है।

विदेशी न्यायाधिकरण से मुक्त

3.1 गोरखा समुदाय के सदस्यों के मामलों में एक पैमाने के भीतर आने वाले मामलों को विदेशी न्यायाधिकरणों को इस बात के लिए संदर्भित नहीं किया जाएगा कि क्या व्यक्ति विदेशी अधिनियम, 1946 के अर्थ में "विदेशी" है।

3.2 बांग्लादेश में नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 1985 के पहले उन व्यक्तियों को जो असम राज्य में रहते हैं, लेकिन भारतीय नागरिक नहीं हैं, उन्हें विदेशियों के ट्रिब्यूनल को संदर्भित किया जा सकता है।

नागरिकों का राष्ट्रीय रजिस्टर (एनआरसी) क्या है?

4.1 एनआरसी को बांग्लादेश से अवैध आप्रवासियों की पहचान करने और असम में भारतीय नागरिकों को पहचानने के लिए पेश किया गया था।

4.2 1955 के सिटिजनशिप एक्ट के तहत केन्द्र सरकार पर देश में हर परिवार और व्यक्ति की जानकारी जुटाने की जिम्मेदारी है। सिटिजनशिप एक्ट 1955 के सेक्शन 14ए में 2004 में संशोधन किया गया था जिसके तहत हर नागरिक के लिए अपने आप को एनआरसी में रजिस्टर्ट करना अनिवार्य है।

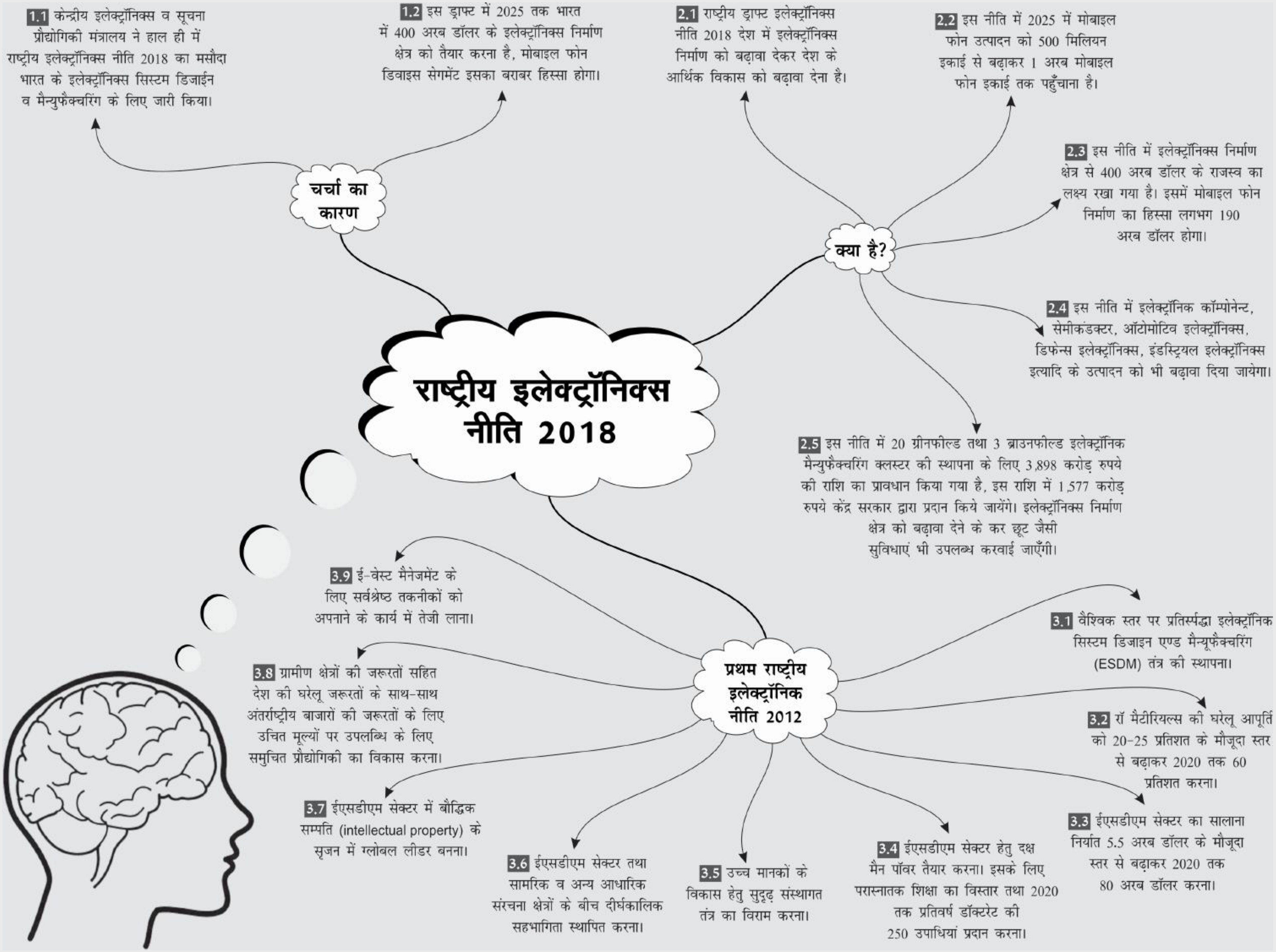
राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स नीति 2018
चर्चा का कारण
1.1 केन्द्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने हाल ही में राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स नीति 2018 का मसौदा भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम डिजाईन व मैन्युफैक्चरिंग के लिए जारी किया।
1.2 इस ड्राफ्ट में 2025 तक भारत में 400 अरब डॉलर के इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण क्षेत्र को तैयार करना है, मोबाइल फोन डिवाइस सेगमेंट इसका बराबर हिस्सा होगा।
क्या है?
2.1 राष्ट्रीय ड्राफ्ट इलेक्ट्रॉनिक्स नीति 2018 देश में इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण को बढ़ावा देकर देश के आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है।
2.2 इस नीति में 2025 में मोबाइल फोन उत्पादन को 500 मिलियन इकाई से बढ़ाकर 1 अरब मोबाइल फोन इकाई तक पहुँचाना है।
2.3 इस नीति में इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण क्षेत्र से 400 अरब डॉलर के राजस्व का लक्ष्य रखा गया है। इसमें मोबाइल फोन निर्माण का हिस्सा लगभग 190 अरब डॉलर होगा।
2.4 इस नीति में इलेक्ट्रॉनिक कॉम्पोनेन्ट, सेमीकंडक्टर, ऑटोमोटिव इलेक्ट्रॉनिक्स, डिफेन्स इलेक्ट्रॉनिक्स, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स इत्यादि के उत्पादन को भी बढ़ावा दिया जायेगा।
2.5 इस नीति में 20 ग्रीनफील्ड तथा 3 ब्राउनफील्ड इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर की स्थापना के लिए 3,898 करोड़ रुपये की राशि का प्रावधान किया गया है, इस राशि में 1,577 करोड़ रुपये केंद्र सरकार द्वारा प्रदान किये जायेंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देने के कर छूट जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध करवाई जाएँगी।
प्रथम राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक नीति 2012
3.1 वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्द्धा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन एण्ड मैन्यूफैक्चरिंग (ESDM) तंत्र की स्थापना।
3.2 रॉ मैटीरियल्स की घरेलू आपूर्ति को 20-25 प्रतिशत के मौजूदा स्तर से बढ़ाकर 2020 तक 60 प्रतिशत करना।
3.3 ईएसडीएम सेक्टर का सालाना निर्यात 5.5 अरब डॉलर के मौजूदा स्तर से बढ़ाकर 2020 तक 80 अरब डॉलर करना।
3.4 ईएसडीएम सेक्टर हेतु दक्ष मैन पॉवर तैयार करना। इसके लिए परास्नातक शिक्षा का विस्तार तथा 2020 तक प्रतिवर्ष डॉक्टरेट की 250 उपाधियां प्रदान करना।
3.5 उच्च मानकों के विकास हेतु सुदृढ़ संस्थागत तंत्र का विराम करना।
3.6 ईएसडीएम सेक्टर तथा सामरिक व अन्य आधारिक संरचना क्षेत्रों के बीच दीर्घकालिक सहभागिता स्थापित करना।
3.7 ईएसडीएम सेक्टर में बौद्धिक सम्पति (intellectual property) के सृजन में ग्लोबल लीडर बनना।
3.8 ग्रामीण क्षेत्रों की जरूरतों सहित देश की घरेलू जरूरतों के साथ-साथ अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की जरूरतों के लिए उचित मूल्यों पर उपलब्धि के लिए समुचित प्रौद्योगिकी का विकास करना।
3.9 ई-वेस्ट मैनेजमेंट के लिए सर्वश्रेष्ठ तकनीकों को अपनाने के कार्य में तेजी लाना।

सावरेन गोल्ड बांड योजना

चर्चा का कारण

1.1 भारत सरकार की महत्वपूर्ण योजना 'गोल्ड बॉन्ड स्कीम' 15 अक्टूबर से शुरू होगी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जानकारी दी कि यह योजना फरवरी तक चलेगी।

1.2 समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार, ये सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड अक्टूबर 2018 से फरवरी 2019 तक हर महीने जारी किए जाएंगे। ये बॉन्ड विशेष कैलेंडर के आधार पर जारी किए जाएंगे।

1.3 इन बॉन्ड्स को बैंकों, स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, संबंधित पोस्ट ऑफिस, स्टॉक एक्चेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बीएसई के माध्यम से बेचा जा सकेगा।

1.4 योजना का पहला अंश 15-19 अक्टूबर को सब्सक्रिप्शन के लिए खोला जाएगा। 15 से 19 अक्टूबर को लोग गोल्ड बॉन्ड लेंगे उन्हें 23 अक्टूबर को बॉन्ड जारी किए जाएंगे।

1.5 योजना का अगला अंश 5 से 9 नवंबर को खोला जाएगा जिसके बॉन्ड 13 नवंबर को जारी किए जाएंगे। इसके अगला अंश 24-28 दिसंबर को खोला जाएगा जिसके लिए 1 जनवरी को बॉन्ड जारी किए जाएंगे।

1.6 इसके बाद अगला अंश 14-18 जनवरी के को खोला जाएगा जिसके लिए 22 जनवरी को बॉन्ड जारी किए जाएंगे। इसके बाद स्कीम का आखिरी अंश 4-8 फरवरी के बीच खोला जाएगा जिसके लिए 12 फरवरी को बॉन्ड जमा किए जाएंगे।

पृष्ठभूमि

2.1 सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम नवंबर 2015 को शुरू हुई थी। इस योजना का उद्देश्य सोने की भौतिक मांग में कमी लाना था, जो लोग घरेलू बचत के लिए सोना खरीदते हैं उन्हें फाइनेंशियल सेविंग में लाना था।

2.2 इस स्कीम के तहत सबसे छोटा बॉन्ड एक ग्राम सोने के बराबर रखा गया था। इसके बाद कोई भी व्यक्ति एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम 500 ग्राम सोने का बॉन्ड खरीद सकता है।

2.3 एक व्यक्ति के लिए अधिकतम बॉन्ड की सीमा 4 किलोग्राम और किसी संगठन के लिए 20 किलोग्राम सोने के बराबर बॉन्ड खरीदने की है।

ब्याज दर

3.1 सॉवरेन गोल्ड बांड के लिए सरकार जिस ब्याज दर के साथ बांड जारी करेगी और उसका निर्धारण खुद सरकार ही करेगी। ब्याज दर का निर्धारण करते समय घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजार की स्थितियों को ध्यान में रखा जाएगा और यहां एक ट्रांच (किस्त) दूसरे से अलग हो सकता है।

3.2 निवेश करते समय गोल्ड की जो कीमत होगी, ब्याज दर का निर्धारण उसके अनुसार होगा। ब्याज की दर फैसले के मुताबिक या तो फिक्स्ड होगी या फ्लोटिंग।

3.3 गोल्ड की कीमत पहले से तय रेफरेन्स रेट से निकाली जा सकती है और रुपया समतुल्य राशि (रूपी इक्वीवैलेंट अमाउंट) को जारी किए जाने और भुगतान होने पर आरबीआई रेफरेन्स रेट के अनुसार कन्वर्ट किया जा सकता है। इस रेट को जारी करने, रिडेम्पशन और एलटीवी उद्देश्य और कर्ज अदायगी के लिए उपयोग किया जाएगा।

3.4 इस योजना के तहत कम-से-कम एक ग्राम सोना और अधिक-से-अधिक 500gm सोने के वजन के मूल्य के बराबर बॉण्ड खरीदे जा सकते हैं। इसकी मियाद आठ वर्ष और इसके लिये ब्याज की दर 2.5% है।

3.5 इसका उद्देश्य देश के मंदिरों तथा घरों में जमा सोने की विशाल मात्रा को उत्पादक कार्यों में लगाना, सोने का आयात कम करना, विदेशी मुद्रा का संरक्षण करना तथा चालू खाता घाटे को कम करना है।

सीमा

4.1 सॉवरेन गोल्ड बांड 5, 10, 50, 100 ग्राम गोल्ड या दूसरे रूप में जारी किए जाएंगे, और इसकी सीमा प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति 500 ग्राम होगी। सॉवरेन गोल्ड बांड को रुपये के रूप में भुगतान किए जाने पर जारी किया जाएगा और इसे ग्राम गोल्ड में नामित किया जाएगा। बांड को भारत के निवासियों या संस्थाओं द्वारा खरीदा सकता है और इसकी अधिकतम सीमा 500 ग्राम है।

4.2 रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अनुसार, बॉन्ड खरीदने के लिए कैश का भुगतान अधिकतम 20 हजार रुपए, डिमांड ड्राफ्ट, चेक या इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग से होगा। गोल्ड बॉन्ड पर मिलने वाला ब्याज टैक्स के दायरे में आएगा।

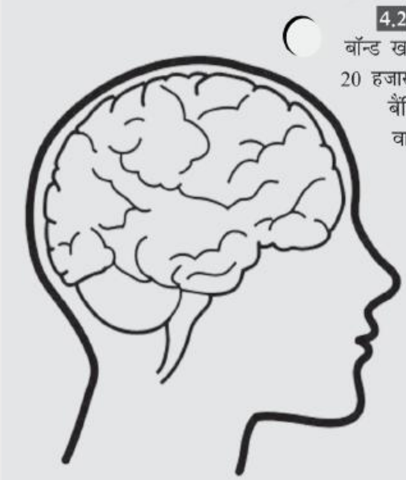

सात वस्तुनिष्ठ प्रश्न तथा उनके व्याख्या सहित उत्तर
(ब्रेन बूस्टर्स पर आधारित)

1. तितली चक्रवात

प्र. तितली चक्रवात के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें-

1. चक्रवातों को नाम देने का उद्देश्य यह है कि लोग किसी चक्रवात के बारे में आसानी से समझ सकें और याद रख सकें।
2. देश में अक्सर चक्रवात अप्रैल से दिसम्बर के बीच आते हैं।
3. हरिकेन, चक्रवात और तूफान ये सभी उष्णकटिबंधीय आँधियाँ है।
4. उत्तरी अटलांटिका महासागर और पूर्वोत्तर प्रशांत महासागर के ऊपर बनने वाली आँधी हरिकेन, हिन्द महासागर और दक्षिणी प्रशांत महासागर के ऊपर बनने वाली आँधी चक्रवात कहलाती है।

उपर्युक्त कथनों में कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1 व 3 (b) केवल 2 व 4
(c) केवल 1, 2 व 3 (d) उपरोक्त सभी

उत्तरः (d)

व्याख्याः हाल ही में 'तितली' नामक चक्रवातीय आँधी ने बंगाल की खाड़ी तथा 'लुबान' नामक चक्रवाती आँधी ने अरब सागर पर दस्तक दी है। सितम्बर 2004 में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से संबंधित एक अंतर्राष्ट्रीय पैनल ने निर्णय किया कि इस क्षेत्र के देश अपना-अपना नाम देंगे जिसके आधार पर बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में उठने वाली आँधियों का नाम रखा जाएगा। 8 देश भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, मालदीव, म्यांमार, ओमान, श्रीलंका और थाइलैंड ने 64 नाम सुझाएं। इस संदर्भ में दिए गये सभी कथन सही है इसलिए उत्तर (d) होगा। ■

2. प्रतिस्पर्धा आयोग

प्र. प्रतिस्पर्धा आयोग के संदर्भ में गलत कथन का चयन करें

(a) प्रतिस्पर्धा (संशोधन) कानून, 2002 के अनुच्छेद 8(1) में व्यवस्था है कि आयोग में एक अध्यक्ष होगा तथा दो से कम और छह से अधिक सदस्य नही होंगे।

(b) प्रतिस्पर्धा (संशोधन) कानून 2009 में कानून के अनुच्छेद 32 में बेंचों के गठन का प्रावधान समाप्त करने के लिए संशोधन किया गया था। इसी संशोधन कानून में एक अध्यक्ष और चार सदस्यों को मिलाकर प्रतिस्पर्धा अपीलीय न्यायाधिकरण का गठन किया गया।

(c) वर्तमान में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग में केन्द्र सरकार द्वारा नियुक्त एक अध्यक्ष तथा 6 सदस्य शामिल हैं।

(d) प्रतिस्पर्धा आयोग को जाँच प्रक्रिया द्वारा प्रतिस्पर्धा विरोधी समझौते और एकाधिकार के दुरूपयोग को रोकने तथा संयोजनों के नियामक का कार्य संपन्न करने की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है।

उत्तरः (b)

व्याख्याः प्रतिस्पर्धा (संशोधन) कानून 2007 में कानून के अनुच्छेद 22 में बेंचों के गठन का प्रावधान समाप्त करने के लिए संशोधन किया गया था। इसी संशोधन कानून में एक अध्यक्ष और दो सदस्यों को मिलाकर प्रतिस्पर्धा अपीलीय न्यायाधिकरण का गठन किया गया है। इस तरह कथन (b) गलत है इसलिए उत्तर (b) होगा। ■

3. जीका वायरस

प्र. जीका वायरस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें-

1. जीका वायरस का संबंध अफ्रीका के जीका जंगल से है।
2. जीका वायरस डेगूं, मलेरिया और चिकनगुनियाँ की तरह ही मच्छरों से फैलता है। यह एक प्रकार का एडीज मच्छर है जो दिन में सक्रिय रहता है।
3. इस वायरस का कोई टीका नहीं है, न ही कोई उपचार है। इसके दर्द को कम करने के लिए पैरासिटामॉल दी जाती है।

उपर्युक्त कथनों में कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1 व 3 (b) केवल 1 व 2
(c) उपरोक्त में से कोई नहीं (d) उपरोक्त सभी

उत्तरः (d)

व्याख्याः जीका वायरस का संबंध अफ्रीका के जीका जंगल से है, जहाँ से 1947 में अफ्रीकी विषाणु अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिक पीले बुखार पर रिसर्च करने के लिए रीसस मकाक (एक प्रकार का लंगूर) को लाए। इस लंगूर को हुए बुखार की जाँच की गई, जिसमें पाए गए संक्रामक घटक को जंगल का ही नाम जीका दिया गया। इस वायरस के ज्यादा मामले पहली बार 2007 में अफ्रीका और एशिया के बाहर देखने को मिले। इस संदर्भ में दिए गए सभी कथन सही हैं इसलिए उत्तर (d) होगा। ■

4. जंगल की आग

प्र. जंगल की आंग के संदर्भ में दिए गये कथनों पर विचार करें-

1. एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत के 60 फीसदी जिले हर साल जंगल की आग से बुरी तरह प्रभावित होते हैं। देश को हर साल करीब 1100 करोड़ रुपये का नुकसान होता है।
2. देश में कुल 700 से अधिक जिले हें जिसमें करीब 400 जिलों में मौजूदा जंगल हर साल आग की चपेट में रहते हैं।
3. भारत में लगभग 7 लाख, 1 हजार 673 वर्ग किलोमीटर भूमि पर जंगल है जो पूरे देश का करीब 30 फीसदी है।
4. इस समय दुनियाभर में हर इंसान के लिए 422 पेड़ मौजूद है। प्रतिव्यक्ति सबसे ज्यादा पेड़ के मामले में चीन पहले नंबर पर है।

उपर्युक्त कथनों में कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1 व 2 (b) केवल 1 व 3

(c) केवल 2, 3 व 4 (d) इनमें से कोई नहीं

उत्तरः (a)

व्याख्याः भारत में लगभग 7 लाख, 1 हजार 673 वर्ग किलोमीटर भूमि पर जंगल है जो पूरे देश का करीब 21 फीसदी है (न कि 30%)। इस तरह कथना 3 गलत है। इस समय दुनियाभर में हर इंसान के लिए 422 पेड़ हैं। प्रतिव्यक्ति सबसे ज्यादा पेड़ के मामले में रूस पहले नंबर पर है। इस तरह कथन 4 भी गलत है इसलिए उत्तर (a) होगा। ■

5. असम में रह रहे गोरखा समुदाय

प्र. असम में रह रहे गोरखा समुदाय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. गोरखा समुदाय मामले में गृह मंत्रालय ने असम में रह रहे गारेखा समुदाय के सदस्यों को नागरिकता स्थिति के बारे में राज्य सरकार को स्पष्टीकरण दिया है।
2. एनआरसी को बांग्लादेश में अवैध आप्रवासियों की पहचान करने और असम में भारतीय नागरिकों को पहचानने के लिए पेश किया गया था।
3. एनआरसी को सर्वप्रथम 1951 में तैयार किय गया था। इस व्यवस्था को सबसे पहले असम में लागू किया गया।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

(a) 1 और 3 (b) 2 और 3

(c) उपरोक्त सभी (d) उपरोक्त कोई नहीं

उत्तरः (c)

व्याख्याः हाल ही में गृह मंत्रालय ने प्रवासी कानून, 1946 के अनुसार असम में रह रहे गोरखा समुदाय के सदस्यों की नागरिकता स्थिति के बारे में राज्य सरकार को स्पष्टीकरण जारी किया है। इस संदर्भ में उपर्युक्त सभी कथन सही है। ■

6. राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स

प्र. राष्ट्रीय इलेक्ट्रानिक्स नीति से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. इस नीति के तहत इलेक्ट्रानिक निर्माण क्षेत्र से 400 अरब डॉलर के राजस्व का लक्ष्य रखा गया है।
2. यह नीति देश के इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण को बढ़ावा देकर आर्थिक विकास पर बल देती है।
3. इस नीति के अनुसार भारत में 2025 तक 200 अबर डॉलर का इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण क्षेत्र को तैयार किया जाएगा।
4. राष्ट्रीय इलेक्ट्रानिक नीति 20 ग्रीनफील्ड तथा 3 ब्राउनफील्ड इलेक्ट्रानिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर की स्थापना के लिए 3,898 करोड़ रुपये की राशि का प्रावधान करता है।

उपर्युक्त कथनों में कौन-सा/से सही नही है/हैं?

(a) केवल 3 (b) केवल 2 और 3

(c) केवल 1 और 4 (d) केवल 1 और 3

उत्तरः (a)

व्याख्याः (a) सही नहीं है- इस ड्राफ्ट में 2025 तक भारत में 400 अरब डॉलर के इलेक्ट्रानिक्स निर्माण क्षेत्र को तैयार करना है, मोबाइल फोन डिवाइस सेगमेंट इसका बराबर हिस्सा होगा। ■

7. सावरेन गोल्ड बांड योजना

प्र. हाल ही में चर्चित 'सावरेन गोल्ड बांड योजना' के संदर्भ में निम्ननिलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. सावरेन गोल्ड बांड स्कीम नवंबर 2015 को शुरू हुई थी। इस योजना का उद्देश्य सोने की भौतिक माँग में कमी लाना है।
2. इस स्कीम के तहत सबसे छोटा बॉण्ड एक ग्राम सोने के बराबर रखा गया है।
3. सॉवरेन गोल्ड बांड के लिए ब्याज दर का निर्धारण सरकार द्वारा किया जायेगा।

उपुर्यक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 1 और 3

(c) केवल 2 और 3 (d) उपर्युक्त सभी

उत्तरः (d)

व्याख्याः सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड नवंबर 2015 को शुरू हुई थी। इस योजना का उद्देश्य सोने की भौतिक माँग में कमी लाना था, जो लोग घरेलू बचत के लिए सोना खरीदते हैं उन्हें फाइनेंशियल सेविंग में लाना था। इस संदर्भ में सभी कथन सही हैं।

■

सात महत्वपूर्ण तथ्य

1. पुरुष हॉकी विश्व कप 2018 का आधिकारिक शुभंकर कौन है?

- ओल्ली कछुआ

2. पहले भारत-इजराइल इनोवेशन सेंटर को किस शहर में लांच किया गया?

- बंगलुरु

3. भारत के किस राज्य ने 100% जैविक खेती के लिए एफएओ का फ्यूचर पालिसी गोल्ड अवार्ड जीता?

- सिक्किम

4. भारत का नया सॉलिसिटर जनरल किसे नियुक्त किया गया?

- तुषार मेहता

5. किस देश ने हाल ही में स्वच्छ भारत मिशन को अपना समर्थन दिया है?

- जापान

6. किस व्यक्ति को यूएन कानफरेन्स आन डिसारमामेंट में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है?

- पंकज शर्मा

7. हाल ही में कौन सा सोशल नेटवर्क प्लेटफॉर्म बंद हो रहा है?

- गूगल+

सात महत्वपूर्ण सम्मेलन

1. पहला वैश्विक दिव्यांगता सम्मेलन

- 24 जुलाई, 2018 को 'पहले वैश्विक दिव्यांगता सम्मेलन' (Global Disability Summit) का आयोजन लंदन (यू.के.) में किया गया।सम्मेलन का उद्देश्य दिव्यांगजनों के प्रति विभिन्न देशों के नेताओं की प्रतिबद्धता को और मजबूत करना था।
- भारत के अलावा इस सम्मेलन में 40 से अधिक देशों के नेता शामिल हुए और उन नेताओं ने दिव्यांगजनों के आर्थिक सशक्तीकरण की दिशा में काम करने के प्रति संकल्प लिया।
- सम्मेलन में विश्व भर से आए नेताओं ने इस कलंक और भेदभाव को मिटाने, समेकित शिक्षा को बढ़ावा देने, आर्थिक सशक्तीकरण, दिव्यांगों के लिए सहायक यंत्रों की प्रौद्योगिकी एवं नवोन्मेष को बढ़ावा देने इत्यादि के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जाहिर की।
- यह सम्मेलन यू.के. सरकार (U.K.Government) की सह-मेजबानी में अंतरराष्ट्रीय दिव्यांगता गठबंधन (International Disabilty Alliance) और केन्या सरकार के सहयोग से किया गया।
- केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत ने इस सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया।

2. अंतरराष्ट्रीय महिला उद्यमी शिखर सम्मेलन, 2018

- 3-5 सितंबर, 2018 के मध्य 'अंतरराष्ट्रीय महिला उद्यमी शिखर सम्मेलन' (International Women Enterpreneurs Summit), 2018 काठमांडू, नेपाल में आयोजित किया गया।
- नेपाल के उपराष्ट्रपति नंद बहादुर पुन ने इस शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया।इसका आयोजन दक्षिण एशियाई महिला विकास मंच (South Asia Women Development Forum) द्वारा किया गया।
- इस तीन दिवसीय सम्मेलन का मुख्य विषय 'समानता आर्थिक सशक्तिकरण के साथ शुरू होती है' था।

3. विश्व सतत विकास सम्मेलन, 2018

- 15-17 फरवरी, 2018 के मध्य 'विश्व सतत विकास सम्मेलन' (World Sustainable Development Summit: WSDS) 2018 नई दिल्ली में आयोजित की गई। विदित हो कि 16 फरवरी, 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस तीन दिवसीय सम्मेलन का मुख्य विषय (Theme)-"Partnership for a Resilient Planet" है।
- डब्ल्यूएसडीएस-2018 जलवायु परिवर्तन की पृष्ठभूमि में विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के समक्ष मौजूद कुछ सबसे महत्वपूर्ण चुनौतियों का समाधान करने के लिए एक 'एक्शन फ्रेमवर्क' बनाने का प्रयास करता है।
- विदित हो कि डब्ल्यूएसडीएस, द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट (TERI) का प्रमुख मंच है जो टिकाऊ विकास, ऊर्जा और पर्यावरण क्षेत्र से जुड़े वैश्विक नेताओं और विचारकों को एक साथ लाने का प्रयास करता है।
- विश्व भर के नीति निर्माताओं शोधकर्ताओं, विचारकों, राजनयिकों और कंपनियों सहित 2000 से अधिक प्रतिनिधि इस सम्मेलन में भाग ले रहे हैं।

4. विश्व ऊर्जा भविष्य शिखर सम्मेलन-2018

- 15-18 जनवरी, 2018 के मध्य 'विश्व ऊर्जा भविष्य शिखर सम्मेलन (World Future Energy Summit: WFES)-2018 आबूधाबी, संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित हुई। जिसका आयोजन मसदर (A Mubadala Company) द्वारा किया गया। यह शिखर सम्मेलन आबूधाबी निरंतरता सप्ताह का एक भाग है।
- अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन मंच के पहले दिन आईएएसए मंत्रियों का पूर्ण मंत्रिस्तरीय सत्र का आयोजन किया गया।
- आईएसए सदस्य देशों के सात ऊर्जा मंत्रियों ने मंत्रिस्तरीय सत्र में भाग लिया।
- केंद्रीय विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) आर.के. सिंह ने इस मंच में भारत का प्रतिनिधित्व किया।
- इस अवसर पर अपनी तरह के पहले कार्यक्रम में अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA) ने 17-18 जनवरी, 2018 के दौरान दो दिवसीय 'अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा गठबंधन मंच' की मेजबानी की।
- इस अवसर पर उन्होंने सौर परियोजना वित्त पोषण के लिए 350 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सौर विकास निधि बनाने की घोषणा की।

5. अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन, 2018

- 28-29 अप्रैल, 2018 के मध्य 'अंतरराष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन (International Buddhist Conference), 2018 लुम्बिनी, नेपाल में संपन्न हुआ। भगवान बुद्ध के 2562 वीं जन्म शताब्दी के अवसर पर इस सम्मेलन का आयोजन किया गया।
- इस सम्मेलन का मुख्य विषय (Theme)-''लुम्बिनी नेपाल: भगवान बुद्ध की जन्मस्थली तथा विश्व शांति एवं बौद्ध धर्म का उत्पत्ति स्थान'' है।
- सम्मेलन का प्रमुख उद्देश्य भगवान बुद्ध की शिक्षाओं का प्रसार करना और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में अहिंसा, भाईचारे, सह-अस्तित्व प्रेम और शांति का संदेश फैलाना था।
- इस सम्मेलन का उद्घाटन नेपाल के प्रधानमंत्री के.पी. शर्मा ओली द्वारा किया गया। भारत सहित 20 से अधिक देशों के प्रतिभागियों ने इस दो दिवसीय सम्मेलन में भाग लिया।

6. चतुर्थ 'भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव' 2018

- 5-8 अक्टूबर, 2018 के मध्य चतुर्थ 'भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव' 2018 (India International Science Festival: IISF) का आयोजन लखनऊ में किया गया। इसका आयोजन इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में किया गया।
- इस महोत्सव का मुख्य विषय (Theme) ''विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी-सहकारिता निर्माण, प्रभावशील समाज'' है। इस विज्ञान महोत्सव में साइंस विलेज का भी आयोजन किया गया
- इस महोत्सव का मुख्य उद्देश्य शोध एवं औद्योगिक क्षेत्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देना, विज्ञान एवं औद्योगिक परिषदों की उपलब्धियों को प्रदर्शित करना, आमजन में वैज्ञानिक सोच को लोकप्रिय बनाना, उद्योग एवं वैज्ञानिकों के बीच सूचनाओं के आदान-प्रदान की प्रक्रिया को सुविधाप्रद बनाना, छात्र-छात्राओं में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना तथा सभी राज्यों में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के विकास पर बल देना है।
- ज्ञातव्य है कि पूर्व में तीन बार भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन क्रमश: वर्ष 2015 व 2016 में नई दिल्ली तथा तीसरा वर्ष 2017 में चेन्नई में किया गया था।
- इस महोत्सव का आयोजन विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय व विज्ञान भारती के सहयोग से पृथ्वी-विज्ञान मंत्रालय द्वारा किया जाता है।
- जैव प्रौद्योगिकी विभाग तथा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्युनोलॉजी इस कार्यक्रम में समन्वय की भूमिका का निर्वहन करते हैं।

7. इंडिया-विस्बाडेन सम्मेलन, 2018

- 16-17 अप्रैल, 2018 के मध्य 'इंडिया-विस्बाडेन सम्मेलन' (India&Wiesbaden Conference), 2018 नई दिल्ली में आयोजित हुआ। फिक्की (Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry) इस आयोजन का इंडस्ट्री पार्टनर था।
- इस सम्मेलन का शीर्षक (Title) "संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के संकल्प 1540 के प्रभावी कार्यान्वयन की दिशा में सरकार-उद्योग भागीदारी के माध्यम से वैश्विक आपूर्ति शृंखलाओं को सुरक्षित रखना'' था।
- इसका आयोजन विदेश मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जर्मनी सरकार और यूनाइटेड नेशंस ऑफिस फॉर डिसआर्मामेंट अफेयर्स (UNODA) के सहयोग से किया गया।
- इस दो दिवसीय सम्मेलन में 39 देशों के सरकार और उद्योग के प्रतिनिधियों एवं यूएनएससी (UNSC) 1540 समिति और न्यूयॉर्क स्थित यूएन ऑफिस फॉर डिसआर्मामेंट अफेयर्स (UNODA) के विशेषज्ञों ने भाग लिया।
- ज्ञातव्य है कि सरकार-उद्योग साझेदारी के माध्यम से 'यूएनएससी 1540' के कार्यान्वयन को मजबूत करने के लिए वर्ष 2012 में जर्मनी सरकार द्वारा विस्बाडेन प्रक्रिया प्रारंभ की गई थी।
- यह सम्मेलन प्रतिभागियों को अपने निर्यात नियंत्रण प्रणालियों पर अनुभव साझा करने और 'यूएनएससी 1540' के राष्ट्रीय कार्यान्वयन में कानूनी एवं तकनीकी सहायता, कार्य योजना और चुनौतियों की पहचान करने का अवसर प्रदान करता है।

सात महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्न (मुख्य परीक्षा हेतु)

1. सूचना के अधिकार से आप क्या समझते हैं? भारत सरकार द्वारा हाल ही में सूचना के अधिकार में कुछ संशोधन का प्रस्ताव दिया गया है इन संशोधनों का जिक्र करते हुए इसका सूचना के अधिकार कानून पर पड़ने वाले प्रभाव को बताइए।

2. औद्योगिक क्रांति क्या है? यह किस तरह अर्थव्यवस्था और समाज को प्रभावित करती है? क्या आप इस बात से सहमत हैं कि 'औद्योगिक क्रांति का चौथा दौर श्रम महत्व को कम कर सकता है'' अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दें।

3. राजनीति में अपराधीकरण से आप क्या समझते हैं? भारतीय राजनीति में वे कौन से कारक हैं जो इसे बलवती बनाते हैं? इस संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय के दिशा-निर्देशों का भी जिक्र करें।

4. हाल ही में सरकार द्वारा शुरू किया गया 'राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति-2018' के उद्देश्यों का जिक्र करते हुए इसका समाज पर पड़ने वाले प्रभावों की चर्चा करें।

5. क्या आप इस बात से सहमत हैं कि ''महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण उनके सामाजिक और राजनीतिक सशक्तिकरण में सार्थक है'' इस संदर्भ में अपने तर्क दें।

6. वर्तमान विश्व में भारत की गुटनिरपेक्ष छवि कहाँ तक उसके सार्थक उद्देश्यों की पूर्ति कर सकी है? इस संदर्भ में भारत के लिए गुटनिरपेक्षता की प्रासंगिकता बताएं।

7. बुलेट ट्रेन भारतीय आधारभूत संरचना के लिए कहाँ तक सार्थक है? अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दें।

ध्येयIAS®
most trusted since 2003

THE JOURNEY OF A THOUSAND MILES BEGINS WITH THE FIRST STEP

Comprehensive All India

IAS PRELIMS TEST SERIES PROGRAMME - 2019
(OFFLINE & ONLINE)

Reshape Your Prelims Strategy with us.

कार्यक्रम विवरण

कुल टेस्ट 31

18^{th} Nov. to 19^{th} May, 2019

GS-25, CSAT-6

मुख्य विशेषताएँ:

- प्रश्नों की बदलती प्रकृति एवं प्रवृत्ति के अनुसार सिविल सेवा प्रतियोगियों को उनके अध्ययन की रणनीति एवं स्रोत को पुनः आकार देने की आवश्यकता है। अतः हमारा प्रयास प्रतियोगियों के दृष्टिकोण को प्रारंभिक परीक्षा के प्रति विस्तृत करना है।
- इस उद्देश्य हेतु हमारा मुख्य केन्द्र बिन्दु इकोनॉमिक सर्वे, इंडिया ईयर बुक, सरकारी वेबसाइटें, मंत्रालयों की वार्षिक रिपोर्ट एवं समसामयिक मुद्दों पर होगा।
- टेस्ट सीरीज यूपीएससी की परीक्षा के समरूप होगी।
- टेस्ट सीरीज में प्रतियोगियों को अधिक संख्या में सम्मिलित विद्यार्थियों के कारण उचित प्रतियोगी वातावरण प्राप्त होगा, क्योंकि यह अखिल भारतीय स्तर पर एवं हमारे सभी केन्द्रों पर आयोजित होगी।
- चूंकि अब सीसैट पेपर-II के अंक मूल्यांकन में नहीं जोड़े जाते बल्कि केवल इसे उत्तीर्ण करना आवश्यक है अतः हमने आवश्यकता के अनुरूप 6 सीसैट टेस्ट को संपूर्ण सामान्य अध्ययन टेस्ट के साथ कराने की योजना बनायी है।
- परीक्षण पुस्तिका 4 सेटों A, B, C एवं D में एवं मुद्रित प्रारूप में होगी।
- प्रत्येक टेस्ट के बाद व्याख्यात्मक उत्तर प्रदान किये जायेंगे।
- परीक्षण पुस्तिका एवं व्याख्यात्मक उत्तर दोनों को यूपीएससी के अनुरूप द्विभाषी प्रारूप में निर्मित किया जायेगा।
- OMR को अखिल भारतीय रैंकिंग के अनुसार मूल्यांकित किया जायेगा।

शुल्क विवरण

OFFLINE

ध्येय विद्यार्थी: ₹ 5000/-

अन्य विद्यार्थी: ₹ 7000/-

ONLINE

ध्येय विद्यार्थी: ₹ 3000/-

अन्य विद्यार्थी: ₹ 5000/-

मेधावी छात्रों हेतु आकर्षक अवसर

सामान्य अध्ययन मेरिट परीक्षा

4^{th} NOVEMBER

12:00- 2:00 PM

100 सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों के लिए 100% नि:शुल्क

Face to Face Centres

MUKHERJEE NAGAR : 011-49274400 | 9205274741, **RAJENDRA NAGAR** : 011-41251555 | 9205274743, **LAXMI NAGAR** : 011-43012556 | 9205212500, **ALLAHABAD** : 0532-2260189 | 8853467068, **LUCKNOW** : 0522-4025825 | 9506256789, **GREATER NOIDA RESIDENTIAL ACADEMY** : 9205336037 | 9205336038 **BHUBANESWAR** : 08599071555

Live Streaming Centres

BIHAR - PATNA 9334100961, **CHANDIGARH** - 8146199399, **DELHI & NCR** - FARIDABAD 9711394350, 01294054621, **GUJRAT** - AHMEDABAD 9879113469, **HARYANA** - HISAR 9996887708, KURUKSHETRA 8950728524, 8607221300, YAMUNANAGAR - 9050888338, **MADHYA PRADESH** - GWALIOR - 9907553215, JABALPUR 8982082023, 8982082030, REWA - 9926207755, 7662408099, **PUNJAB** - JALANDHAR 9888777887, PATIALA 9041030070, LUDHIANA 9876218943, **RAJASTHAN** - JODHPUR 9928965998, **UTRAKHAND** - HALDWANI 7060172525, **UTTAR PRADESH** - ALIGARH - 9837877879, 9412175550 BAHRAICH 7275758422, BAREILLY 9917500098, GORAKHPUR 7080847474, 7704884118, KANPUR - 7275613962, LUCKNOW (ALAMBAGH) 7570009004, 7570009006, LUCKNOW (GOMTI NAGAR) 7570090003, 7570009005, MORADABAD 9927622221, VARANASI 7408098888

YouTube dhyeyaias | dhyeyaias.com | /dhyeya1 | STUDENT PORTAL

Dhyeya IAS Now on WhatsApp

Join Dhyeya IAS Whatsapp Group by Sending

"Hi Dhyeya IAS" Message on 9355174440.

You can also join Whatsapp Group through our website

www.dhyeyaias.com
www.dhyeyaias.in

most trusted since 2003

Address: 635, Ground Floor, Main Road, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi 110009
Phone No: 011-47354625/ 26 , 9205274741/42, 011-49274400